DESCRIPTIVE GENETIC APPROACH IN DATA MINING ASSOCIATION RULE

Divya Uppal Sakhuja[1], V.K Pathak[2], Rohit Miri[3]

[1]PhD Scholar, Department of Information Technology
Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur, India (C.G.)
Dr. V.K Pathak (H.O.D)
[2,4]Department of Computer Science, Govt. PG College Dhamtari(C.G)
[3]Department of Computer Science & Engineering
Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur, India (C.G.)

Abstract : now a day's soft computing plays vital role on the field of research. R programming plays very important role on soft computing technique. There are many packages available for implementing data mining. In our research, we uses Apriori package to find association rules amongst data items of student data sets. Less number of Students takes Maths subject on the 11[th] subject those who belong to rural area. Our research objective is to find the reason behind this by using the data mining association rule by using R programming. We will also correlates with their past background on their academic as descriptive genetic approach.

IndexTerms - Descriptive Genetic, R programming, Data mining

I. INTRODUCTION

R programming is very important programming aspect to analysis of data and it is very easy to do. In our research work we implement the association rule by using the Apriori package. The student data set is taking from the school which consists of various parameters like their 10[th] standard marks and their family background. We also take some parameter of the same students of their 11 standard subject selection. On same data set we applied Apriori algorithm to find some association facts regarding the subject selection on the basis of their family background and the student academic background.

II. LITERATURE REVIEW

Xiaoling Haang et al 2018 "association Rule mining for selecting proper students to take part in different discipline competition: A case study of Zhejiang University of finance and economic. " iJET , in this paper the authors describes the participation probability of students to be awarded in different discipline competition. They obtained the essential things from 164 undergraduate's student's data sets by using R programming techniques. They choose the best students by using association rule in R programming to obtained more chance for getting award in particular discipline.

Kalpana 2017 Data mining Apriori algorithm implementation using R. in this paper author describes the steps for finding association rule using Apriori packages in R programming. Author also describes the advantages and disadvantages of R programming. It also explain the different data types in R programming. They describe each step for calculating association rule by using standard data sets in R programming environment.

Sanjay Rathee et al 2015(ACM) "R Apriori: An efficient apriori based algorithm on Spark" Authors explain the implementation of Apriori algorithm in a SPARK or cloud computing environment. It also used MAP-REDUCE function for large data sets by using R apriori. " they also describe the application area of Apriori algorithm in wide range of application like in crime detection/prevention, cyber security and crowd mining. It also compare R apriori by the Apriori and AprioriTid algorithm that was developed by R Agrawal et al.

Kulvinder Singh and Rakesh kumar "Optimization of functional testing using genetic algorithm" 2010, International Journal of innovation, Management and technology. In this paper the authors went to explain about the performance of software test cases for genetic algorithm. It also explains about the function of genetic transformation like crossover, mutation and selection. In MATLAB environment and C++ environment. It also concludes that the GA are easy to apply in many complex application like the travelling salesman problem, inductive concept learning scheduling and layout problem.

Luca scucca "GA: A package for genetic algorithm in R" 2013 journal of statistical software. In this paper author wants to describe the package available for GA in R programming. It also explain the different operation of GA implementation in R programming. It also provide details explanation of all the packages available for GA for R programming environment.

[6-13] in this papers the authors are explain about the fuzzy association rule. They used standard membership function for doing

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

www.ijecs.in
International Journal Of Engineering And Computer Science ISSN: 2319-7242
Volume 6 Issue 2 Feb. 2017, Page No. 20403-20409
Index Copernicus Value (2015): 58.10, DOI: 10.18535/ijecs/v6i2.43

Knowledge Discovery using Data Mining

Divya Uppal Sakhuja, Dr. V.K.Pathak
Lecture
APIC Raipur(C.G.)
divya.cvru@gmail.com
Hod(Computer Science)
Govt. P.G. College Dhamtari (C.G.)
vkpath21162@yahoo.co.in

Abstract: - The fast developing computer science and engineering techniques has made the information easy to capture process and store in databases. Information or data are considered as elementary variable facts. Knowledge is considered as a set of instructions, which describes how these facts can be interpreted and use[1]. Data describes the actual state of the world; however knowledge describes the structure of the world and consists of principal and laws. How to gather, store and retrieve data is considered in database. Soft computing (SC) is an evolving collection of methodologies, which aims to exploit tolerance for imprecision, uncertainty, and partial truth to achieve robustness, tractability, and low cost. SC provides an attractive opportunity to represent the ambiguity in human thinking with real life uncertainty. Soft computing has recently been playing an important role in advanced knowledge processing. An advanced learning method using a combination of perception and motion has been introduced. Emergent, self-organizing, reflective, and interactive (among human beings, environment, and artificial intelligence) knowledge processing is considered by using soft computing and by borrowing ideas from bio-information processing [2].

Soft computing (SC)was proposed for construction of new generation artificial intelligence (high machine intelligence quotient (HMIQ), human-like information processing) and for solving nonlinear and mathematically unmodeled systems (tractability) (TR) [3].

Data mining is a field at the intersection of computer science and statistics, is the process that attempts to discover patterns in large data sets. It utilizes methods at the intersection of artificial intelligence, machine learning, statistics, and database systems. The overall goal of the data mining process is to extract information from a data set and transform it into an understandable structure for further use[4][5][6].

I. Introduction:

Due to the increasing use of very large databases and data warehouses, mining useful information and helpful knowledge from transactions is evolving into an important research area. Most of conventional data mining algorithms identify the relation among transactions with binary values. Transactions with quantitative values are, however, commonly seen in real world applications.

Through data mining, we can able to effectively extract data in the form of knowledge discovery which provides useful helping guide for information processing that can be utilized in varieties of applications. It is the most sought after field in recent scenario and its importance can not be ignored at all as effective data analysis outputs to extensive information utilization in almost all the fields and a proper data mining provides the appropriate and effective result. Different types of data mining techniques are augmented for powerful data mining applications that can ranges from Super market data to science, research, medical, media, web, entertainment and a lot of other fields which are implemented through data warehouses and Online Analytical Processing along with different data mining models. In this paper we have focused on data mining works with respect to current research approaches in variety of fields.

II. Steps of knowledge discovery using data mining:

The process of knowledge discovery is the process of information extraction from very large databases. Its importance is described along with several techniques and considerations for selection the most appropriate technique for extracting information from particular data set. We are using 5 steps for knowledge discovery:-

1. **Data Cleaning:-** This is the first step in which the noise, meaningless data and inconsistent data is removed. Only reliable and useful data is required.

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

Availability and Reliability analysis of a system having main unit and its sub unit & two associate units

V.K. Pathak[1], *H.L. Manker*[2]

Assistant Professor, BCS Govt. P.G. College, Dhamtari (C.G.),

Email: vkpath21162@yahoo.co.in

Assistant Professor, Govt. G. S. G. P.G. College, Balod (C.G.),

Email: hl_manker@rediffmail.com

ABSTRACT

Reliability is one of the most vital elements in Information industry. An understanding of failure process is central to any effort to model development and availability is closely related to reliability and can be calculated from reliability. Reliability measurements such as Transition Probability, Mean time to system failure, Availability and Busy period of repairman in repairing the failed units can be used to guide managerial and engineering decisions on various projects. This basic model represents a system having one main unit along with its sub unit and two of its associate units. Functioning of main unit is essential for the functioning of the system. Associate units depend on the main unit and sub unit. The system fails as soon as the main unit fails. There is a single repairman who is always available and repairs the failed unit. After a random period of time, the whole system goes for preventive maintenance. In this paper the failure and repair time distributions are taken to be exponential. Using Markov regenerative process, several system characteristics using chapman-kolmogorov equations are evaluated and profit analysis is done. This kind of analysis is of immense help to the owners of small scale industry. Also the involvement of preventive maintenance in the model increases the reliability of the functioning units.

Keywords: Regenerative Point, MTSF, Availability, Busy Period

Academic Discipline: Mathematics

Subject Classification: 53A04, 53A05

1. Introduction: In the past, Arora et-al[2] has done reliability analysis of two unit standby redundant system with constrained repair time. Gupta et-al [6] has worked on a compound redundant system involving human failure. Rander et-al [2] has evaluated the cost analysis of two dissimilar cold standby systems with preventive maintenance and replacement of standby units. A pioneer work in this field was done by Gopalan [1] and Osaki [3] by performing analysis of warm standby system and parallel system with bivariate exponential lif respectively. Earlier Pathak et al [7&8] studied reliability parameters of a main unit with its supporting units and also compared the results with two different distributions. This particular system consists of four units namely one main unit M, one sub unit A and two associate units B & C. Here the associate units B and C dependents upon main units M and sub unit A . The system is operable when the main unit, sub unit and at least one associate unit is in operation. Main unit and sub units can also function with either of B or C. As soon as a job arrives, all the units work with load. It is assumed that only one job is taken for processing at a time. There is a single repairman who repairs the failed units on priority basis. Using regenerative point technique several system characteristics such as transition probabilities, mean sojourn times, availability and busy period of the repairman are evaluated. In the end the expected profit is also calculated.

3. Assumptions used in the model:

a. The system consists of one main unit, one sub unit and two associate units

b. The associate unit A and B works with the help of main unit and sub unit.

c. There is a single repairman which repairs the failed units on priority basis.

d. After random period of time the whole system goes to preventive maintenance.

e. All units work as new after repair.

f. The failure rates of all the units are taken to be exponential whereas the repair time distributions are arbitrary.

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE

Scanned by CamScanner

[Jour]nal of the Calcutta Mathematical Society, 12, (1) 47-61 (2016)

RELIABILITY, AVAILABILITY COST (RAC) ANALYSIS OF THREE UNIT SYSTEMS

V.K. PATHAK[1], H.L. MANKER[2], HEMANT KUMAR SAW[1] AND SEEMA SAHU[1]

(Received 20 May 2016)

Abstract : In this study we develop a Reliability model of three unit system. The system consists of three units one main unit and two associate units. Here the associate units are dependent upon main unit and the system is operable when the main unit and at least one associate unit are operable. The system is taken in down mode when the main unit is not functioning. Main unit functions with help of associate units. As soon as a job arrives, all the units work with load. It is further assumed that only one job is taken for processing time. There is a single repairman who repairs the failed units on first come first served basis. Using semi Markov process and regenerative point techniques expression for various reliability characteristics are obtained and expected profit is calculated. The tabular representation of MTSF, availability and profit with respect to maximum rate of operation time has also been shown for a particular case. In the end use of C program is made to evaluate values of MTSF, Availability and Busy Periods to calculate the expected profit.

Introduction. Standby redundant systems represent one approach to improving system reliability. Spare parts and back systems are examples of standby redundancy. Barlow and Prochan (1975), carried our pioneer work in the field of Reliability and Life Testing of Probabilistic models. Then on, redundant system with parallel configuration was discussed by the likes of Osaki (1980). Chandrashekhar et al (1995) performed the same study taking the Eglangian distribution in repair time. In recent years various reliability models have been formulated for predicting, estimating or optimizing the probability of survival, the mean life or more generally the life distribution of components or systems. Industries are trying to develop more and more automation in their industrial processes in order to meet the ever increasing demands of society. The complexities of industrial systems as well as their products are increasing day by day. A parallel work in this field was done by Rander (Murari and Goel, 1984) by performing analysis of cold standby system with preventive maintenance and replacement of standby unit. Singh et. al (2000) studied reliability characteristics of an integrated steel plant. This kind of analysis is of immense help to the owners of small scale industry. Also the involvement of preventive maintenance and replacement of standby unit in the models increase the reliability of the functioning units to great extent. In the last, the result is interpreted with the help of 'C' program.

The aim of this paper is to analyzing a system with three units namely one main unit A and two associate units B and C. Here the associate units B and C are dependent upon main unit

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B. C. S. GOVT. P. G. COLLEGE
No. ----
Dt. ----
Scanned by CamScanner

International Recognized Double-Blind Peer Reviewed Multidisciplinary Research Journal
Indian Streams Research Journal
ISSN 2230-7850
Impact Factor : 3.1560(UIF)
Volume - 5 | Issue - 4 | May - 2015
Available online at www.isrj.org

भारतीय रेल उपक्रम में "मानव संसाधन व लागत" विश्लेषण

राधेश्याम साहू
(सहायक प्राध्यापक वाणिज्य) राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी, जिला – मुंगेली (छ.ग.)

Short Profile

Radhe Shyam Sahu is Assistant Professor at Department of Commerce in Rajiv Gandhi Govt. Art's and commerce collage Lormi Dist – Mungeli.He Has Completed M.com , M.Phil , Ph.d. He Has Professional Experience of 7 Years and Research Experience of 3 Years.

Short Profile

चन्द्रशेखर चौबे
(प्राचार्य) बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी जिला – धमतरी (छ.ग.)

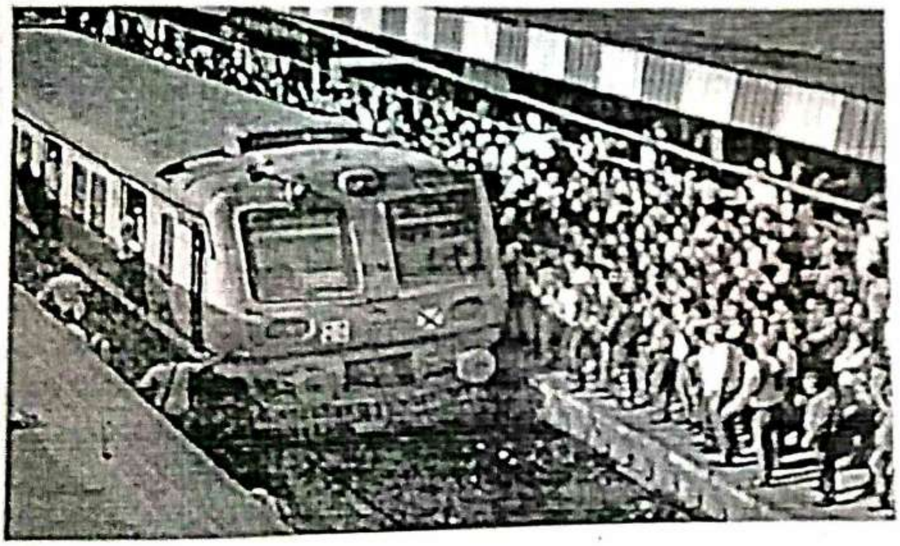

सारांश –
मानव संसाधन की उपादेयता अन्य सभी संसाधनों की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है, एवं आर्थिक विकास में मानव संसाधन की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज जो विशालकाय उद्योग, तकनीकी व चमत्कार, यातायात का जाल, विद्युत शक्ति का बहुआयामी उपयोग, संचार साधनों का विस्तार व मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के सभी साधन जो उपलब्ध है, वह सभी मानवीय बुद्धिमता एवं श्रम का ही परिणाम है, अर्थात् मानव संसाधन के बिना आर्थिक विकास संभव ही नहीं है।

प्रस्तावना :–

मानव संसाधन किसी भी संस्था का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते है, क्योंकि संस्था के सभी अन्य संसाधन जैसे – मशीन, औजार, तकनीकी तथा कम्प्युटर इत्यादि संसाधनों का संचालन कुशल एवं दक्ष मानव संसाधन पर निर्भर करता है। मानव संसाधन के द्वारा ही उत्पादन के अन्य सभी संसाधनों का उपभोग कर पाना संभव है। यदि उद्योगों, संस्थाओं या उपक्रमों में से मानव संसाधन को अलग कर दिया जाए, तो कोई भी साधन उत्पादन के रूप में प्राप्त नहीं होगा अर्थात् वह सभी संसाधन केवल उत्पादन साधन बन कर ही रह जायेंगे। यह सर्व विदित है, कि किसी भी संस्था के मानव संसाधनों की उपादेयता अन्य सभी संसाधनों की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। संस्था के अन्य संसाधनों जैसे – मशीन, औजार तथा कम्प्युटर इत्यादि के मूल्य में सदैव समय के साथ – साथ ह्रास होता है, किन्तु मानव संसाधन के मूल्य में सदैव असीम ज्ञान, अनुभव एवं कार्यदक्षता के कारण समय के साथ – साथ उत्तरोत्तर वृद्धि होता है। आर्थिक

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

Refugees & Durable Solutions: An Overview

Premnath Bharti*

Introduction:

At international level the main objective of refugee's protection is to seek durable solution to the people who have forcibly fled their country of origin. International cooperation in refugee's situations is directed primarily towards the prevention of refugee's movement and towards return. The General Assembly initiative on cooperation to avert new flows of refugees both reaffirmed 'the right of refugees to return to their homes in their Homelands', but also the right of those not wishing to return to receive adequate compensation. The word 'Solution' can have different meanings depending on how the problem to be addressed is defined.

In defining solution a first step must be to define the problem that requires solving. Our ideas about solution will depend on how we perceive the problem.[1] Thus the word 'solution' could be used either to refer to measures which address the problem of individuals or groups who have found temporary refuge or to refer to measures seeking to address the root causes of refugee flows.

To whom is the UNHCR[2] ultimately responsible, to refugees under its charge or to sovereign members of the United Nations? What are the essential conditions which must be satisfied before the UNHCR should assist repatriation? While many refugee repatriations have run their course without problems and have resulted in a total return of all refugees and their effective reintegration into their home religions, in other cases repatriations have turned out to be a most difficult and problematic durable solutions to implement.

UNHCR's primary responsibility is to provide international protection to refugees and to seek permanent solutions for the problem of refugees by assisting Governments and, subject to the approval of the Governments concerned, private organizations to facilitate the *'voluntary repatriation'* of refugees or their assimilation within new national communities. Notwithstanding the weight of rule and principle, UNHCR's capacity to obtain protection and 'asylum' for refugees is often closely linked to, if not contingent on its success in promoting solutions.[3] Evidently also, the absence or failure to provide solutions will have a destabilizing effect on populations, likely lending to further displacement, or to what some states have characterized as irregular movements. The temporary nature of the refugee's

---

* Research Scholar, Faculty of Law, Banaras Hindu University, Varanasi.

[1] As per G.J.L. Coles. "The Human Rights Approach to the Solution of the Refugee Problem: A Theoretical and Practical Enquiry".

[2] UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees.

[3] Executive Committee General Conclusions on International Protection (1990). Report of the 41st Session: UN doc:A/AC.96/760

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B. C. S. GOVT. P. G. COLLEGE
DHAMTARI (C.G.)

Issue of Determination of Refugee Status for Addressing Global Refugee Menace

Premnath Bharti*

Abstract:

Generally a person becomes refugee at the moment when he or she satisfies the criterion of the definition. The 1951 Convention has defined the term 'refugee' but provided no guidance for determination of refugee status and left to states as choice of means. As a general rule applicable in this regard, the onus is on the applicant to establish his or her case to the satisfaction of receiving State. Giving protection to the refugees as one of the objective of the Convention, a liberal interpretation of the criteria is called for. Refugee protection is an international obligation of States in International law on account of their membership of the United Nations and signature or accession to Refugees Instruments. Refugees do not only benefit from the rights contained in the 1951 convention, but like all those forcibly displaced, also exist within a global framework of human rights standards and institutions. This paper deals with Issue of Determination of Refugee Status for Addressing Global Refugee Menace.

Key words: Refugee, Determination of Refugee Status, Global Refugee Menace

Introduction:

International Refugee law is a regime of protection connected to a legally constructed status with specified guarantees. There is a dedicated supervisory mechanism, in the form of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)[1]. Refugees do not only benefit from the rights contained in the 1951 convention[2], but like all those forcibly displaced, also exist within a global framework of human rights standards and institutions. The International Human Rights Law actually neglects the plight of particular individual or does not recognized multiple identities or even that there is no acceptance of the place of citizenship and nationality.

As we know that refugees belong to such a group which is popularly known as vulnerable groups, the term 'refugee' demands an assumption that the person concerned is worthy of protection and assistance. For providing protection in effective mode, the term must be specifically defined. In ordinary sense, the term refugee may mean a person who seeks to escape his home for which he himself is not responsible the reasons for fleeing may be many, such as, fleeing from oppression, from threat to life, fleeing from persecution, from grinding poverty, fleeing from war or civil style, fleeing from natural disasters – flood, draught, earthquake etc. Since the refugee does not enjoy the protection of the country of

---

* Research Scholar, Faculty of Law, Banaras Hindu University, Varanasi.

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

www.ijecs.in
International Journal Of Engineering And Computer Science ISSN: 2319-7242
Volume 5 Issues 7 July 2016, Page No. 17243-17255

Availability and Reliability analysis of a system having main unit and its sub unit & two associate units

V.K. Pathak[1], H.L. Manker[2]

Assistant Professor, BCS Govt. P.G. College, Dhamtari (C.G.),

Email: vkpath21162@yahoo.co.in

Assistant Professor, Govt. G. S. G. P.G. College, Balod (C.G.),

Email: hl_manker@rediffmail.com

ABSTRACT

Reliability is one of the most vital elements in Information industry. An understanding of failure process is central to any effort to model development and availability is closely related to reliability and can be calculated from reliability. Reliability measurements such as Transition Probability, Mean time to system failure, Availability and Busy period of repairman in repairing the failed units can be used to guide managerial and engineering decisions on various projects. This basic model represents a system having one main unit along with its sub unit and two of its associate units. Functioning of main unit is essential for the functioning of the system. Associate units depend on the main unit and sub unit. The system fails as soon as the main unit fails. There is a single repairman who is always available and repairs the failed unit. After a random period of time, the whole system goes for preventive maintenance. In this paper the failure and repair time distributions are taken to be exponential. Using Markov regenerative process, several system characteristics using chapman-kolmogorov equations are evaluated and profit analysis is done. This kind of analysis is of immense help to the owners of small scale industry. Also the involvement of preventive maintenance in the model increases the reliability of the functioning units.

Keywords: Regenerative Point, MTSF, Availability, Busy Period

Academic Discipline: Mathematics

Subject Classification: 53A04, 53A05

1. Introduction: In the past, Arora et-al[2] has done reliability analysis of two unit standby redundant system with constrained repair time. Gupta et-al [6] has worked on a compound redundant system involving human failure. Rander et-al [2] has evaluated the cost analysis of two dissimilar cold standby systems with preventive maintenance and replacement of standby units. A pioneer work in this field was done by Gopalan [1] and Osaki [3] by performing analysis of warm standby system and parallel system with bivariate exponential life respectively. Earlier Pathak et al [7&8] studied reliability parameters of a main unit with its supporting units and also compared the results with two different distributions. This particular system consists of four units namely one main unit M, one sub unit A and two associate units B & C. Here the associate units B and C dependents upon main units M and sub unit A . The system is operable when the main unit, sub unit and at least one associate unit is in operation. Main unit and sub units can also function with either of B or C. As soon as a job arrives, all the units work with load. It is assumed that only one job is taken for processing at a time. There is a single repairman who repairs the failed units on priority basis. Using regenerative point technique several system characteristics such as transition probabilities, mean sojourn times, availability and busy period of the repairman are evaluated. In the end the expected profit is also calculated.

3. Assumptions used in the model:

a. The system consists of one main unit, one sub unit and two associate units.

b. The associate unit A and B works with the help of main unit and sub unit.

c. There is a single repairman which repairs the failed units on priority basis.

d. After random period of time the whole system goes to preventive maintenance.

e. All units work as new after repair.

f. The failure rates of all the units are taken to be exponential whereas the repair time distributions are arbitrary.

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

Journal of the Calcutta Mathematical Society, **12**, (1) 47–64 (2016)

RELIABILITY, AVAILABILITY COST (RAC) ANALYSIS OF THREE UNIT SYSTEMS

V.K. PATHAK[1], H.L. MANKER[2], HEMANT KUMAR SAW[3] AND SEEMA SAHU[4]

(*Received 20 May 2016*)

Abstract : In this study we develop a Reliability model of three unit system. The system consists of three units one main unit and two associate units. Here the associate units are dependent upon main unit and the system is operable when the main unit and at least one associate unit are operable. The system is taken in down mode when the main unit is not functioning. Main unit functions with help of associate units. As soon a job arrives, all the units work with load. It is further assumed that only one job is taken for processing at a time. There is a single repairman who repairs the failed units on first come first served basis Using semi Markov process and regenerative point techniques expression for various reliability characteristics are obtained and expected profit is calculated. The tabular representation of MTSF, availability and profit with respect to maximum rate of operation time has also been shown for a particular case.In the end use of C program is made to evaluate values of MTSF, Availability and Busy Periods to calculate the expected profit.

Introduction. Standby redundant systems represent one approach to improving system reliability. Spare parts and back systems are examples of standby redundancy. Barlow and Prochan (1975), carried our pioneer work in the field of Reliability and Life Testing of Probabilistic models. Then on, redundant system with parallel configuration was discussed by the likes of Osaki (1980). Chandrashekhar et al (1995) performed the same study taking the Eglangian distribution in repair time. In recent years various reliability models have been formulated for predicting, estimating or optimizing the probability of survival, the mean life or more generally the life distribution of components or systems. Industries are trying to develop more and more automation in their industrial processes in order to meet the ever increasing demands of society. The complexities of industrial systems as well as their products are increasing day by day. A parallel work in this field was done by Rander (Murari and Goel, 1984) by performing analysis of cold standby system with preventive maintenance and replacement of standby unit. Singh et al (2000) studied reliability characteristics of an integrated steel plant. This kind of analysis is of immense help to the owners of small scale industry. Also the involvement of preventive maintenance and replacement of standby unit in the models increase the reliability of the functioning units to great extent. In the last, the result is interpreted with the help of 'C' program.

The aim of this paper is to analyzing a system with three units namely one main unit A and two associate units B and C. Here the associate unit-B and C are dependent upon main unit

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
GOVT. P. G. COLLEGE

35

भारतवर्ष में आत्महत्याएँ : समाजशास्त्रीय चिंतन

डॉ. राजेश शुक्ला,
प्राध्यापक समाजशास्त्र
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

डॉ.अनिता राजपुरिया ,
प्राध्यापक समाजशास्त्र
बी.सी.एस. शा.स्ना.महाविद्यालय धमतरी

=============***********===============

आत्महत्या वैयक्तिक विघटन की चरम अभिव्यक्ति है व्यक्ति का आत्म जब विभिन्न सामाजिक दबावों के इतने अधीन हो जाता है कि वह अपना जीवन समाप्त कर लेता है। तब इस स्थिति को हम आत्महत्या कहते है। कई लोग आत्महत्या को मानसिक दुर्बलता का परिणाम मानते है पर वास्तविकता यह है कि यह एक सामाजिक तथ्य या सामाजिक घटना भी है।

आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय इमाईल दुर्खीम को जाता है दुर्खीम का ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सामूहिक चेतना के अधीन होता है यह चेतना व्यक्ति को एक निश्चित रूप में व्यवहार करने को बाध्य करती है और जब दवाब स्वस्थ्य रूप से न होकर आवश्यकता से अधिक या [illegible] हो जाता है तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या उसकी आत्महत्या करने की संभावना बढ़ जाती है।

आत्महत्या शब्द का सामान्य अर्थ व्यक्ति व्दारा जानबूझ कर अपने जीवन को समाप्त करना है। पर आत्महत्या की अवधारणा इतनी सरल नही है। आत्महत्या जैसे व्यवहार अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक परिस्थितियां आदि जटिल तत्वों का समावेश होता है।

आत्महत्या क्या है?

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका व्दारा ''आत्महत्या स्वच्छापूर्ण और जानबूझ कर की जाने वाली आत्महनन की क्रिया है।

दुर्खीम — आत्महत्या मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है जो मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होता है। जिसके भावी परिणाम (मृत्यु) को वह जानता है। आत्महत्या की परिभाषाओं से निम्न पक्ष प्रगट होते है :—

१. आत्महत्या में स्वंय व्यक्ति अपने को मारता है। यह कार्य दूसरों की सहायता से नहीं करता।
२. यह इरादतन अपने आप को जानबूझकर मारने की क्रिया है।
३. आत्महत्या में व्यक्ति अपने क्रियाओं के प्रति जागरूक होता है तथा उसका परिणाम क्या होगा वह जानता है।
४. आत्महत्या के लिए व्यक्ति स्वंय ही प्रयास करता है तथा वही उस विधि का चयन करता है जो आत्महत्या के लिए प्रयोग करेगा।
५. आत्महत्या व्यक्ति विघटन के साथ—साथ सामाजिक विघटन का भी प्रतीक है।

वैष्विक परिदृश्य एवं भारत में आत्म हत्याऐं

वैष्विक परिदृष्य में देखे तो दुनिया में लगभग आठ लाख लोग हर वर्ष हत्या करते है अर्थात् दुनिया के किंसी न किसी हिस्से में लगभग हर ४० सेकेण्ड में एक आत्महत्या दर्ज की गई तथा इसके २५ गुना लोग आत्महत्या का प्रयास करते है। इस तरह आत्महत्या एक वैष्विक समस्या भी है। दुनिया में आत्महत्या की दल गुयाना में सर्वाधिक ४४.२ प्रतिशत पाई गई। तत्पश्चात् क्रमशः दक्षिण कोरिया (२८.८ प्रतिशत) लंका (२८.८ प्रतिशत),

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

Indian Journal of Research PARIPEX

Original Research Paper Education

छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में नवा जतन योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन

डॉ. मनदीप खालसा — प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी (छ.ग.)

कु. शीतल सोनकर — शोधार्थी,शोध केन्द्र, बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी (छ.ग.)

KEYWORDS

संक्षेप सार :-

कुपोषण पर नियंत्रण करके विश्व अर्थव्यवस्था के तीसरे देशों में शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर तथा मातृत्व मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। कुपोषण का सबसे निचला स्तर नवजात मृत्यु दर में वृद्धि के कारको को बढ़ाता है। उन नवजात व बच्चों की अपेक्षा जो पर्याप्त रूप से पोषित हैं। गर्भावस्था में तथा प्रसवोपरांत माताओं में कुपोषण बच्चों में कुपोषण का एक प्रमुख कारण है। महिलाओं में कुपोषण का स्तर युगों से चली आ रही लिंग भेदभाव और असमानता है। समुदाय में महिलाओं और बच्चों की स्थिति सर्वाधिक निम्न स्तर पर पायी जाती है। जो कि पोषण स्तर को बनाये रखने के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके समुचित विकास के लिए पौष्टिक आहार पहली प्राथमिकता है, जो स्वास्थ्य और संतुलित जीवन के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही दृष्टि से पर्याप्त होनी चाहिए। इनकी पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हो सकें तभी ये अपना स्वास्थ्य संतुलित एवं विकास सुनिश्चित कर पायेंगें।

प्रस्तावना :- नवा जतन कार्यक्रम राज्य में ०१ जनवरी २०१२ से संचालित हैं। नवाजतन राज्य के जनसंख्या में पारिवारिक एंव.सामजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन से बच्चों में कुपोषण कम करने की महती योजना है। यह योजना एक राज्यव्यापी कार्यक्रम हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों के द्वारा कुपोषण मुक्ति करने हेतु प्रयत्न किया जाता है। जिसमें परिवारों में घर भ्रमण कर स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा देना है। परिवारों के घर में उपलब्ध पोषण संबंधी स्थानीय संसाधनो पर समझ विकसित कर तदानुसार परामर्श दिया जा सकें। 'ासकीय योजनाओं का समय से लाभ दिलाया जा सके। गरीबी एवं कुपोषण के कारण अच्छा जीवन स्तर ,अच्छा स्वास्थ्य स्तर अच्छी शिक्षा प्राप्त करना कठीन समस्या है। महिलाओं एवं बच्चों के समुचित विकास से ही एक अच्छे और सभ्य समाज की कल्पना की जा सकती है।

अध्ययन का उद्देश्य :-

१. कुपोषण दूर करना है।

२. स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण शिक्षा देना है।

३. स्थानीय उपलब्ध खाद्य संसाधनों को अपनाना है।

अध्ययन का क्षेत्र एंव प्रविधि :- जिले में नवा जतन कार्यकम की सफलता और असफलता का मुल्यांकन करना हैं। प्रस्तुत 'ोध पत्र द्वितीयक आकड़ों पर आधारित है ।

नवजतन चौथे चरण में धमतरी जिले में लक्षित बच्चों की संख्या २०१५.१६

2015. 16	0.42 माह				43.60 माह				0.60 माह				
	साम. ान्य	मध्यम	गंभीर	योग	साम. ान्य	मध्यम	गंभीर	योग	साम. ान्य	मध्यम	गंभीर	योग	:
धमतरी षहरी	344	123	85	552	117	118	26	261	461	241	111	813	56.7
धमतरी ग्र. ामीण	615	251	129	995	202	220	73	495	817	471	202	1490	54.8
कुरूद	813	572	239	1624	532	502	136	1170	1345	1074	375	2794	48.1
मग. रलोड	236	138	54	428	127	108	24	259	363	246	78	687	52.8
नगरी	849	443	230	1522	147	179	52	378	996	622	282	1900	52.4
मह. ायोग	2857	1527	737	5121	1125	1127	311	2563	3982	2654	1048	7684	51.8

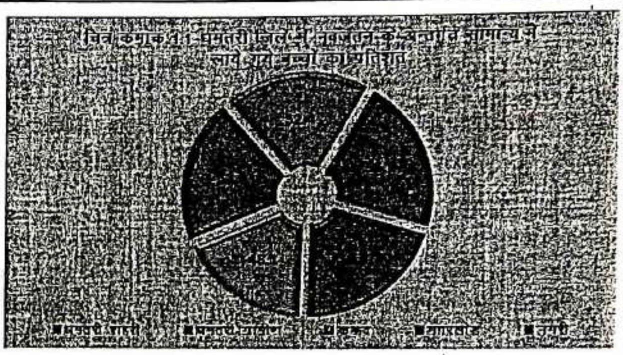

तालिका के अध्ययन में पाया गया धमतरी 'ाहरी में नवाजतन योजना के अन्तर्गत ०.४२ माह के कुल ५५२ बच्चों में ८५ बच्चें गंभीर तथा १२३ बच्चे मध्यम कुपोषण में पाये गये। ४३.६० माह के बच्चों में २६ बच्चें गंभीर तथा ११८ बच्चें मध्यम कुपोषण में पाये गये। इसी प्रकार धमतरी ग्रामीण में ०.४२ माह के ६६५ बच्चों में १२६ बच्चें गंभीर तथा २५१ बच्चें मध्यम कुपोषित पाये गये। तथा ४३.६० माह के ४६५ बच्चों में से ७३ बच्चें गंभीर तथा २२० बच्चें मध्यम कुपोषण से ग्रसित पाये गये। कुरूद विकासखण्ड में ०.४२ माह के १६२४ बच्चों में २३६ बच्चें गंभीर कुपोषित तथा ५७२ बच्चें मध्यम कुपोषण में पाये गये। तथा ४३.६० माह के ११७० बच्चों में से १३६ बच्चें गंभीर कुपोषित तथा ५०२ बच्चें मध्यम कुपोषित पाये गये। मगरलोड विकासखण्ड में ०.४२ माह के ४२८ बच्चों में ५४ बच्चें गंभीर तथा १३८ बच्चे मध्यम कुपोषण से ग्रसित पाये गये। तथा ४३.६० माह के २५६ बच्चों में २४ बच्चे गंभीर तथा १०८ बच्चें मध्यम कुपोषित पाये गये। नगरी विकासखण्ड मे ०.४२ माह के १५२२ बच्चों में ४४३ बच्चें मध्यम कुपोषित तथा २३० बच्चे गंभीर कुपोषण ग्रसित पाये गये। ४३.६० माह के ३७८ बच्चों में से १७६ बच्चें मध्यम कुपोषित तथा ५२ बच्चें गंभीर कुपोषित पाये गये। अध्ययन से स्पष्ट हैं कि धमतरी में ०.४२ माह के ५१२१ बच्चों में से ७३७ गंभीर कुपोषित तथा ४३.६० माह के २५६३ बच्चों में से ३११ बच्चें गंभीर कुपोषित पाये गये।

धमतरी जिले में नवाजतन योजना के अन्तर्गत ०.६० माह के बच्चों का प्रतिशत

प्रतिषत में	0.42 माह	कुपोशित बच्चों का प्रतिषत	43.60 माह	कुपोशित बच्चों का प्रतिषत	0.60 माह	कुपोशित बच्चों का प्रतिषत
धमतरी षहरी	62.3	37.7	44.8	55.2	56.7	43.3
धमतरी ग्रामीण	61.8	38.2	40.8	59.2	54.8	45.2
कुरूद	50.1	48.9	45.5	54.5	48.1	51.9
मगरलोड	55.1	44.9	49.0	51	52.8	47.2
नगरी	55.8	44.2	38.9	61.1	52.4	47.6
महायोग	55.8	44.2	43.9	56.1	51.8	48.2

चित्र कमांक १.२ जिलें के विकासखण्डों में सर्वाधिक कुपोषित का प्रतिशत

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

ISSN 2347-5153 (Print)
2454-2679 (Online)

Vol. 06| Issue-04|
October- December| 2018

Available online at
www.anvpublication.org

International Journal of Advances in Social Sciences

RESEARCH ARTICLE

लघु सिंचाई साधनों का कृषि उत्पादन एवं रोजगार पर प्रभावः धमतरी जिले के नगरी तहसील के विशेष संदर्भ में

अशोक कुमार पटेल[1], डॉ. मनदीप खालसा[2]

[1]शोध छात्र, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी ;छ0ग0

[2]प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी ;छ0ग0

*Corresponding Author E-mail:

ABSTRACT:

कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्वो में सिंचाई साधनों का विशेष महत्व है। प्रस्तुत शोध पत्र छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी तहसील पर आधारित है। शोध पत्र का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में लघु सिंचाई साधनों को चिन्हित करना, एवं साधनों का कृषि उत्पादन तथा कृषकों के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से पता चला कि सिंचाई साधनों के प्रयोग से कुल उत्पादन में वृध्दि 71.52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा रोजगाद में वृध्दि दोगुना हुई है।

KEYWORDS: कृशि, सिंचाई साधन।

प्रस्तावना :—

भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की लगभग 60 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। महत्वपूर्ण उद्योगो को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि से लोगों के खाद्यान्न की आव यकता की पूर्ति होती है। पशुओ के लिए चारा भी कृषि से ही प्राप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व इतना अधिक है कि इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। वही कृषि के लिए जल अनिवार्य तत्व है। यह वर्षा द्वारा अथवा कृत्रिम सिंचाई से प्राप्त किया जाता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा उचित और ठीक समय पर होती है, वहा पानी की कोई समस्‍ नही होती, विपरीत कम उत्पादन या फसल सू जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश क कुल क्षेत्रफल 3287263 वर्ग किमी है, जो विश क्षेत्रफल का 2.42 प्रतिशत है। वही जनसंख्या क दृष्टि से चीन के बाद दूसरे नम्बर पर है, इससे जाहिर है कि बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थो की आव यकता होगी। अतः स्वतंत्रता के बाद देश मे लागु प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951—56) में कृषि के साथ सिंचाई को प्राथमिकता दिया गया। भारत में कृषि क्षेत्र (1999—2000) 141.23 मिलियन हेक्टेयर (कुल भूमि का 43 प्रतिशत) है। जिसमें सिंचित क्षेत्र फसल भूमि का 40 प्रति त हिस्सा मात्र है। जबकी 60 प्रतिशत फसल भूमि मानसून पर निर्भर है। देश की कुल सिंचाई क्षमता दसवीं योजना के अतिंम वर्ष 2006—07 तक 102.8 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित की गई थी, जिसमें लघु सिंचाई परियोजना के

Received on 20.08.2018 Modified on 21.10.2018
Accepted on 20.11.2018
© A&V Publications All right reserved
Int. J. Ad. Social Sciences. 2018; 6(4): 172-180.

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

Khadhya Suraksha Yojana Me Parivaar Ki Mukhiya Mahila :MahilaSashaktikaran Ki Ek Pahal(Chhattisgarh ke dhamtarivikashkhand kevishesh sandarbh me)

खाद्य सुरक्षा योजना में परिवार की मुखिया महिला : महिला सशक्तिकरणकीएक पहल(छत्तीसगढ़ के धमत्री विकासखंड के विशेष संदर्भ मे)

Ku. Tameswari Sahu — Research scholar,research centre, B.C.S. college Dhamatari, C.G.

Dr Mrs. Mandeep Khalsha — Professor, research Guide, Research centre B.C.S. College Dhamtary C.G.

ABSTRACT

सशक्त महिला सशक्त समाज की आधारशिला होती है। देश की आधी आबादी स्त्री शक्ति को देश की संसद मे प्रतिनिधित्व देने के लिए महिला आरक्षण विधेयक पारित नही हो पाया किन्तु महिलाये अपने परिवार का प्रतिनिधित्व कर इसलिये सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना अतर्गत महिलाओ को मुखिया बनाने का प्रावधान किया गया है। जो महिलाओं की परिवार मे भागीदारी सुनिश्चित करता है और कुशल प्रबंधन कला को रेखाकित करता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अतर्गत सभी वर्ग की महिलाओ एवं बच्चों को खाद्य सुरक्षा के दायरे मे लाने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन खाद्य सुरक्षा योजना मे परिवार की मुखिया महिला के विशयान्तर्गत धमतरी विकासखण्ड के सदर्भ मे किया गया है, महिलाओ की राय इस संदर्भ मे अत्यंत सकारात्मक एवं आशावादी है।

KEYWORDS :

प्रस्तावना –

देश में महिला सशक्तिकरण के अनेक प्रयास किये गये है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में परिवार की महिला को मुखिया का दर्जा लिखित रूप में प्रदान करके उन्हे आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया गया है। समृद्ध घरों की पढ़ी लिखी महिलाओं के लिये यह महत्वपूर्ण स्थान नही रखता है। लेकिन कम पढ़ी लिखी गरीब, परित्यक्ता, विधवा आदि उपेक्षित वर्ग की महिलाओं के लिये यह महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहल है। पुरूष प्रधान समाज जहां पुरूष अपने घर की राशन सामग्री बेचकर नशापान करते हैं और पूरा परिवार भूखा रहने के लिय मजबूर होता है ऐसे परिवार के लिये महिला मुखिया की पहल अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सार्थक सिद्ध हो रहा है। भविष्य में शासन की अन्य योजनाओं में महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनाया जाय जिससे महिलायें और अधिक सशक्त और मजबूत बनेंगी।

अध्ययन का उद्देश्य –

खाद्य सुरक्षा योजना में महिला मुखिया बनाये जाने पर महिलाओं के विचारों एवं राय का अध्ययन करना।

महिला मुखिया की प्रासंगिकता एवं महत्व का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन का क्षेत्र एवं प्रविधि –

धमतरी विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिदर्श 520 महिला मुखिया से साक्षात्कार अनुसूची एवं समूह चर्चा द्वारा महिला मुखिया बनाये जाने पर उनके विचार समस्या एवं सुझाव का संकलन किया गया।

प्राथमिक समंक संकलन –

- साक्षात्कार अनुसूची
- समूह चर्चा

द्वितीयक समंक संकलन –

- इंटरनेट
- पत्र पत्रिका, ग्राम पंचायत खाद्य सुरक्षा मार्गदर्शिका

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 –

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 के अध्याय 4, धारा 13 (1), (2) में उल्लेख है। महिला सशक्तिकरण हेतु परिवार की सबसे बड़ी उम्र की महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो परिवार की मुखिया बनने के पात्र होगी। जिस घर में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला नही है किन्तु 18 वर्ष से कम उम्र की महिला सदस्य है तो राशन कार्ड निर्गमन करने के लिये परिवार के बड़ी उम्र के पुरूष सदस्य पात्र होंगे। महिला सदस्य 18 वर्ष के होने पर वह परिवार की मुखिया होगी अर्थात राशन कार्ड पर मुखिया पुरूष सदस्य के स्थान पर महिला सदस्य का नाम लिखा जायेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में समर्थ बनाने के लिये वहनीय कीमत पर गुणवत्ता युक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। जो कल्याण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर अधिकार आधारित दृष्टिकोण का द्योतक है।

प्रमुख प्रावधान –

75: ग्रामीण जनसंख्या (कम से कम 46: प्राथमिकता परिवार)

- 50: शहरी जनसंख्या (28: प्राथमिकता परिवार) को राजसहायता युक्त खाद्यान्नों की पात्रता प्रदान करना।
- महिलाओं एवं बच्चों को पोषित सहायता (आंगनबाड़ी एवं स्कूलों के माध्यम से)
- निराश्रित एवं बेघर व्यक्तियों, आपातकाल एवं आपदा प्रभावित लोगों एवं भूखमरी में जी रहे लोगों जैसे विशेष समूह के लिये भोजन का प्रावधान किया गया है।
- गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलायें छः माह तक 1000 रूपये प्रतिमाह मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होगी एवं आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त गर्म भोजन उपलब्ध कराना।

अ खाद्यानों अथवा भोजन की आपूर्ति न किये जाने की स्थिति में पात्र व्यक्तियों को संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जायेगा।

देश को कुपोषण एवं भूखमरी से मुक्त करने के लिये सभी वर्ग हेतु प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा बिल 2012

छत्तीसगढ़ में 90: जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा के घेरे में लाया गया है। विकेन्द्रित तंत्र ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय के माध्यम से हितग्राहियों की पहचान की गई है। हितग्राहियों का विस्तृत रूप से वर्गीकरण किया गया है। संक्षेप मे प्रमुख वर्ग निम्नलिखित है -

हितग्राही समूह का वर्गीकरण एवं राशन कार्ड का रंग –

अंत्योदय योजना में शामिल परिवार – गुलाबी राशन कार्ड

प्राथमिकता वाले परिवार में शामिल परिवार – नीला राशन कार्ड

निःशक्त मुखिया वाले परिवार – हरा राशन कार्ड

सामान्य परिवार – भूरा राशन कार्ड

अपवर्जित परिवार की श्रेणी – किसी भी प्रकार के राशन कार्ड की पात्रता नहीं।

जब तक नये राशन कार्ड नही बन जाते तब तक पुराने राशन कार्ड के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराया जाता रहेगा। अतः कुछ हितग्राही परिवार के पास पुराने राशन कार्ड है।

वर्तमान से नवीन राशन कार्ड की पात्रता

[illegible]	[illegible]	नवीन राशन कार्ड का रंग	पात्रता का आधार
[illegible]	अंत्योदय (लाल)	अंत्योदय (गुलाबी)	महागरीबी रेखा के परिवार

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Education

KEY WORDS:

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक चिंतन का समीक्षात्मक विश्लेशण

डॉ. मनदीप खालसा — प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्षए बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला– धमतरी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थचिंतन उच्च कोटि का भारतीयकरण, सांस्कृतिक राश्ट्रवाद, आर्थिक लोकतंत्र, सभ्यता और परिस्थितियों के अनुरूप एकात्म मानववाद पर आधारित हैं। उनके अनुसार किसी देश की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो मानव के मानवत्व को समाप्त न करें। अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लोगों के भरण–पोशण जीवन के विकास और राष्ट्र की धारणा जिनकी आवश्यकता होती हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार प्रत्येक देश में इस प्रश्न पर विचार किया गया हैं कि उत्पादन उपभोग का अनुसरण करे अथवा उपभोग उत्पाद का दर्शन सामने रखा वह भारतीय मनीशा के युगों–युगों के तत्व चिंतन का प्रतीक हैं। सर्वत्र मूलभूत एकता का दर्शन ही एकात्म मानववाद है। पंडित दीनदयाल जी की यह मान्यता थी कि सृष्टि का स्वरूप बाहर में कितना विविधतापूर्ण हो लेकिन वह एकात्मवादी है। उसके विविध रूपों में परस्पर सहयोग सांमजस्य और परिपूरकता का भाव मुख्य हैं। पंडित जी के अनुसार व्यक्ति और समाज में कोई विरोध नहीं हैं। वे व्यक्ति की चार मूल आंकाक्षाओं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में कोई विरोध नहीं देखते। वे व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को आवश्यक मानते हैं। किंतु मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता।

उद्देश्य :– पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का आर्थिक चिंतन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :– पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक राजनेता के साथ–साथ पत्रकार, लेखक, संगठनकर्ता एवं सजग इतिहासकार,अर्थशास्त्री एवं भाषाविद् थें। उन्होनें विश्व को एक नया मार्ग एकात्म मानववाद दिया। उनका जीवन व विचार रा ट्रवाद को बल देना वाला हैं। उनके आर्थिक चिंतन एक स्वतंत्र विचारधारा हैं जो उन्होनें देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किये। उनकी विचारधारा देश के आर्थिक विकास में सहायक हो सकती हैं। उनके आर्थिक सिंद्धात हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकते हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अर्थचिंतन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव :– मनु य की आवश्यकताऐं अन्नत हैं, उनकी निंरतर पूर्ति होनी चाहिए। सर्वप्रथम इच्छा जन्म लेती हैं तदुपरान्त उनको पूरा करने के लिए साधन जुटाये जाते हैं। वर्तमान में जो उत्पादित किया जा रहा हैं उसके लिए उपभोग की इच्छा उत्पन्न की जाती हैं। बाजार में पूर्ति बढ़ाने की जगह पूर्ति के लिए बाजार तैयार किया जाता हैं।उनके अनुसार अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लोगों के भरण–पोषण, जीवन के विकास एवं राष्ट्र के लिए भौतिक साधनो को उतना ही उत्पादन होना चाहिए जितनी आवश्यकता हैं। पंडित दीनदयाल जी के अनुसार देश को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन उपभोग का अनुसरण करें अथवा उपभोग उत्पाद का ।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रकृति के संतुलित दोहन के पक्षधर थें। वे प्रकृति का शो ण नही उसका उपयोग चाहते हैं। उनके अनुसार प्राकृतिक सम्पदा सीमित है, यदि उसके उत्पादन को असीमित रूप से बढ़ाया जायेगा तो प्राकृतिक सम्पदा लम्बे समय तक साथ नहीं देगी। वर्तमान अर्थव्यवस्था इसे असंतुलित कर रही हैं हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जिसकी वह पूर्ति कर सकें।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के कृषि अर्थव्यवस्था पर सजग दृष्टि रखते थें। उनके अनुसार बड़ी अर्थव्यवस्था विकास के लिए उचित नहीं हैं कृषि जोत का स्वामित्व स्वयं कृषक होना चाहिए । उन्होनें सहकारी कृषि पर बल दिया । उनके अनुसार खाद्यान्न व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। वे भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वावलंबन के पक्ष में थें। उनके अनुसार मशीन मनु य की सहायक हो सकती हैं। प्रतिस्पर्धी नही। मशीन के उपयोग मे बेरोजगारी बढ़ती हैं तो उसका उपयोग सीमित मात्रा में होना चाहिए।

उनके अनुसार कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार हैं एवं विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था विकास के लिए आवश्यक हैं। उनके अनुसार हमें ""कमाने वाला खायेगा"" की जगह खाने वाला कमायेगा का लक्ष्य रखकर भारत की अर्थरचना करना चाहिए वे चाहते थें कि नया युग श्रम का युग हो। उनके अनुसार यदि किसी कारखाने की पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा तो वह घाटे का सौदा हैं। उन्होनें भारतीय रूपये के अवमूल्यन का विरोध किया वे 1960 में पी.एल 480 ,1963 में स्वर्ण नियंत्रण कानून,1966 में भारतीय रूपये के अवमूल्यन पर विरोध प्रकट किया। ी पुस्तक भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन इसी पर आधारित हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी पंचवर्शीय योजनाओं के समीक्षक रहें उन्होनें इस विषय पर अपनी पुस्तक की " दो योजनाएं वायदे अनुपालन आसार 1958" उनकी यह पुस्तक प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्शीय योजना का तार्किक विश्लेषण करती हैं ए सर्वागीण विकास पर एक आकलन प्रस्तुत करती हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्शीय योजना अपने आलेख के माध्यम से समीक्षा की। पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के पक्ष में नहीं थें वह अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सामान्य एवं कमिक विकास के पक्ष में थें।

पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी देश की स्वतंत्रता का परितो ण करने वाले , जनता की समृद्धि को बढ़ाने वाले अपने स्वतंत्र आर्थिक सिंद्धात प्रस्तुत किये उन्हे ना तो रूस की सरकारी पूँजीवादी प्रणाली पंसद थी ना अमेरिका की मुक्त अर्थव्यवस्था। वे दोनों के विरोधी थें। उन्होनें मानव के संतुलित विकास पर बल दिया ।

निश्कर्श :– उन्होनें राजनीति को समाज कल्याण के मार्ग के रूप में चुना हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विचारों को पत्रकारिता के माध्यम से जन–जन तक पहुचाने का कार्य किया। उन्होनें पत्रकारिता के माध्यम से रा ट्रवादी जनमत निर्माण करने महत्वपूर्ण कार्य किया था । उनके अनुसार राष्ट्रभक्ति की भावना का निर्माण करने और उसको साकार रूप देने का श्रेय राष्ट्र की संस्कृति का हैं वह राष्ट्र की संकुचित सीमाओं को मोड़कर मानव की एकात्मकता का अनुभव करना हैं अतः संस्कृति को स्वतंत्रता आवश्यक हैं।

उन्होनें सीमित साधनों के अधिकतम उपयोग पर बल दिया। उन्होने सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का केन्द्र मानव होना चाहिए, भौतिक चीजें मानव के सुख के साधन है साध्य नहीं पर बल दिया। उनकी प्रमुख पुस्तकें :–

1. पॉलीटिकल डायरी
2. राष्ट्र चिंतन
3. दो योजनाएं : वायदे अनुपालन आसार
4. भारतीय अर्थनीति : विकास की एक दिशा
5. अवमूल्यन एक महान क्षति

संदर्भ ग्रथ सूची :–

1. पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन– बलवंत नारायण जोग
2. पुरखा के सुरता –हमर पं. दीनदयाल उपाध्याय – अवधेश कुमार जैन
3. एकात्म अर्थनीति– श्री शरद कुलकर्णी
4. राष्ट्र की अवधारणा – श्री सी.पी. भिशीकर
5. एकात्म मानव दर्शन – श्री वी.वी. नैने

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE
No
Dt.

Volume : 4 | Issue : 2 | Feb 2015 ISSN - 2250-1991

Research Paper Economics

Indian Journal of Research PARIPEX

Dharmatari jeele ki Arthik Vikas me Benko ki Bhumika

Dr. MANDEEP KOUR KHALSA	Professor (Economics) B.C.S. Govt. p.g. College Dhamtari, District Dhamtari Chhattishgarh
Dr. V. M. JURRY	Professor & H.O.D. (Economics) B.C.S. Govt. p.g. College Dhamtari, District Dhamtari Chhattishgarh

ABSTRACT

अर्थव्यवस्था में बैकिंग संस्थाओं की निर्णायक भूमिका के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नही हो सकता। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था की सफलता उस राष्ट्र की बैकिंग व्यवस्था व्दारा निर्धारित होती है। मौदिक प्रबंध के अंतर्गत बैकिंग प्रबंध अत्यंत ही जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में साख एवं नकदी की पर्याप्त मात्रा सदैव बनाये रखने की दृष्टि से कुशल बैकिंग प्रबंध की आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों कृषि, उद्योग, विदेशी व्यापार, लघु एवं कुटीर उद्योग के लिये विशिष्ट प्रकार के बैंको की आवश्यकता होती है। भारत के कृषि एवं ग्रामीण साख के इतिहास में 12 जुलाई 1982 को एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में जाना जाता है। इस दिन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास National Bank For Agriculture ।दक Rural Development Bank (NABARD) की स्थापना की गयी। नाबार्ड का रिजर्व बैंक से सीधा संबंध है। नाबार्ड व्दारा अपने कोषों की पूर्ति सरकार व्दारा विश्व बैंक व्दारा तथा अन्य संस्थाओं व्दारा की जाती है। नाबार्ड को विकास बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन धमतरी जिले में बैंको व्दारा संचालित विभिन्न लोकहितकारी योजनायें जैसे कृषि उद्योग एवं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र एवं वित्तीय समावेशन सहित समस्त शासकीय योजनायें सम्मिलित है। इस योजनाओं से हितग्राहियों की स्थिति में हुये वास्तविक सुधार से संबंधित है। वर्ष 2012–13 के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार अग्रणी बैंक देना बैंक व्दारा धमतरी जिले में नाबार्ड व्दारा जारी Potential Linked Credit Plan को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है।

KEYWORDS

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य धमतरी जिले मे बैकों व्दारा संचालित योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन करना है। शोध पत्र में द्वितीयक संमकों का प्रयोग किया गया है।

जिले की बैकिंग संरचना

विकासखण्डवार बैंकवार शाखाऍं – जिला धमतरी

अप्रैल 2012 तक जिले में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की 32 शाखाऍं, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की 09 शाखाऍं, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की 02 शाखाऍं ,छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की 15 शाखाऍं, एच.डी.एफ.सी.बैंक की 01 शाखा, आई.सी.आई.सी. बैंक की 01 शाखा, एक्सिस बैंक की 01 शाखा एवं नागरिक सहकारी बैंक की 01 शाखा इस तरह धमतरी जिले में कुल 62 शाखाऍं कार्यरत् है। इनमें से तीन अनुशंगी शाखाऍं है। विकासखण्डवार बैंक शाखाओं की स्थिति निम्न तालिकाओं में है :–

क्र.	बैंक का नाम	विकासखण्ड का नाम				[illegible]	अर्ध शहरी	शहरी	योग
		[illegible]	[illegible]	कुरुद	[illegible]				
1	[illegible]	2	2	3	3	-	1	9	10
2	[illegible]	-	-	1	-	-	-	1	1
3	[illegible]	1	-	1	-	-	1	1	2
4	[illegible]	1	-	-	-	-	1	-	1
5	[illegible]	1	-	1	-	-	1	1	2
6	[illegible]	1	2	-	-	-	1	2	3
7	[illegible]	4	1	1	-	-	3	3	6
8	[illegible]	1	-	-	-	-	1	-	1
9	[illegible]	1	-	-	-	-	1	-	1
10	[illegible]	1	-	-	-	-	1	-	1
11	[illegible]	1	-	-	-	-	1	-	1
12	[illegible]	1	-	-	-	-	1	-	1
13	[illegible]	1	-	-	-	-	1	-	1
14	[illegible]	1	-	-	-	-	1	-	1
15	[illegible]	1	-	-	-	-	1	-	1
16	[illegible]	1	-	-	-	-	1	-	1
17	[illegible]	1	-	-	-	-	1	-	1
18	[illegible]	1	-	-	-	-	1	-	1
	योग-	21	5	7	3	-	19	17	36
18	[illegible]	2	1	4	2	-	1	8	9
19	[illegible]	0	1	1	-	-	-	2	2
	योग-	2	2	5	2	-	1	10	11
20	[illegible]	4	4	5	2	-	2	13	15
	महायोग-	27	11	17	7	-	22	40	62

धमतरी जिले में बैकिंग पर एक दृष्टि–

क्र.	विवरण	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	62	63	64	68	73	-
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

नोट :– उपरोक्त आंकड़े बैंक शाखाओं व्दारा प्रेषित लीड बैंक विवरणियों पर आधारित है।

पिछली जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं परामर्शदात्री समिति के कार्यवृत्त का अनुमोदन

1. विशिष्ठ क्षेत्र में बैकिंग विकास की समीक्षा वर्ष 2012–13 (मार्च 2013)

अ. बैंक शाखाऍं :– मार्च 2013 तिमाही के अंत में बैंक शाखाओं की संख्या निम्नानुसार है:–

क्र.	विवरण	मार्च 2012	जून 2012	सितम्बर 2012	दिसम्बर 2012	मार्च 2013
1	व्यावसायिक बैंक	34	35	36	41	43
2	सहकारी बैंक	12	12	12	12	12
3	छ.ग.ग्रामीण बैंक	15	15	15	15	18
	योग-	62	63	64	68	73

ब. जमा वृद्धि :– प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर 2012 में 1202 करोड़ 85 लाख था जो मार्च 2013 में बढ़कर 1364 करोड़ की दर्ज की गई इस तरह जमा 161.15 करोड़ की वृद्धि हुई। जो लगभग 13.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई मार्च 2012 की तुलना मार्च 2013 में 175.71 करोड़ की जमा वृद्धि हुई जो 14.78 प्रतिशत है:–

क्र.	विवरण	मार्च 2012	जून 2012	सितम्बर 2012	दिसम्बर 2012	मार्च 2013	वृद्धि / कमी	%
1	व्यावसायिक बैंक	763.93	864.31	846.90	891.26	1102.93	211.67	23.75
2	सहकारी बैंक	316.30	160.78	153.60	211.65	164.48	-47.17	-22.29%
3	छ.ग.ग्रामीण बैंक	73.04	80.47	85.41	99.94	96.59	-3.36	-3.36%
	योग-	1188.27	1159.77	1085.81	1202.85	1364.00	161.15	13.39%

स. ऋण वृद्धि :– दिसम्बर 2012 में कुल ऋण 444.63 करोड़ से बढ़कर 598.49 करोड़ हो गया जो कुल 153.86 करोड़ की वृद्धि हुई, अर्थात 34.67 प्रतिशत की ऋण वृद्धि दर्ज की गई आंकड़े निम्नानुसार है:–

क्र.	विवरण	मार्च 2012	जून 2012	सितम्बर 2012	दिसम्बर 2012	मार्च 2013	वृद्धि	%
1	व्यावसायिक बैंक	394.15	419.56	345.90	361.81	494.10	132.29	-36.56%
2	सहकारी बैंक	27.82	36.09	66.57	33.66	53.68	20.02	+59.47%
3	छ.ग.ग्रामीण बैंक	44.86	41.22	47.25	45.29	47.09	1.80	+3.97%
	योग-	466.83	499.81	459.72	440.76	594.87	154.11	-34.98%
4	जि.स.कृ.ग्रा.वि.बैंक	3.61	4.15	3.92	3.87	3.62	-0.25	-6.45%
	योग-	470.44	500.96	463.64	444.63	598.49	153.86	+34.60%

अ. ऋण/जमा अनुपात :– प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मार्च 2013 तिमाही में ऋण/जमा अनुपात 43.88: है जो कि राष्ट्रीय लक्ष्य से कम है। विवरण निम्नानुसार है :–

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

GOVT. P. G. COLLEGE DHAMTARI

INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL

International Recognition Multidisciplinary Research Journal

Volume - 6 | Issue - 8 | September - 2016

4.1625(UIF) 2230-7850

A STUDY OF EDUCATION : FACTOR BEHIND HIGH HDI OF KERALA

Mrs. Shalu Choudhuary

Shalu Choudhuary

Research Scholar (Ph.D) in Economics, Research Centre, BCS Dhamtari College, C.G.

ABSTRACT:- Kerala, a tiny state, in the southern tip of the Indian sub-continent covering less than two percent of the overall national area and home to a little over three percent of the country's population has achieved very high levels of .....

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE
No. ......
Dt. ......
DHAMTARI

Editor - In - Chief - H. N. Jagtap

सन्दर्भ:—

१. आर्यमित्र, १३ जून, १९७६, पृ० ८

२. भवानी लाल भारतीय, :'आर्यसमाज और राष्ट्रीयता' परोपकारी, जून १९७४, पृ० २८

३. यदज: प्रथमं संबभूव स ह तत् स्वराज्यमिया। यस्मान्नान्यत परमस्ति भतम्। —अथर्व. १०—७—३१

४. इत्था हि सोम इन्यदे ब्रह्मा चकार वर्धनम्। शविष्ठ वज्रिन्नोजसा पृथिव्या नि:शशा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्।। (ऋग्वेद १—८०—१)

५. अदीना: स्याम शरद: शतम्।

६. स्मारिका, आर्यसमाज स्थापना शताब्दी समारोह, आर्य उप प्रतिनिधि सभा, जिला मुरादाबाद

७. मेरठ आर्य समाज के सौ वर्ष, प्रथम शताब्दी १९७८, पृ० ८६—८७

८. प्रेमचन्द शर्मा 'आर्यसमाज के कार्य', आर्यमित्र, १४ नवम्बर, १९८२, पृ. ५

९. फूलचन्द शर्मा 'आर्यसमाज की सुदशा' और दुर्दशा' परोपकारी, १९७५, पृ. ६७

१०. प्रकाशवीर शास्त्री 'राष्ट्रीय चेतना और आर्यसमाज: स्मारिका, आर्यसमाज शताब्दी समारोह, कानपुर पृ० ३२

११. राधेश्याम आर्य: 'आर्यसमाज: एक क्रांतिकारी आन्दोलन' आर्यगजट, फरवरी १९८०, पृ. १८

१२. हरि सिंह आर्य, महर्षि दयानन्द के उपकार, स्मारिका १९७९ आर्यसमाज स्थापना शताब्दी समारोह, मुरादाबाद

29

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कुपोषण दूर करने वजन त्यौहार की भूमिका

कु. शीतल सोनकर
शोधार्थी, शोध केन्द्र, बी.सी.एस.
स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी (छ.ग.)

डॉ. मनदीप खालसा
प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), बी.सी.एस.
स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी (छ.ग.)

****

संक्षिप्त सार — निर्धनता और कुपोषण आज विश्व के लिए एक चिंतनीय विषय है। यह तीसरे विश्व युध्द के बाद के देशों में अधिक पाया गया है। समाज और राष्ट्र की समृध्दि के लिए माता और शिशुओं का स्वस्थ होना आवश्यक है। विश्व में बहुत सारी माताएं एवं बच्चें कुस्वास्थ्य ,कुपोषण ,गरीबी ,अशिक्षा और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं से ग्रसित है। कम और मध्यम आय वाले देशों में विशेषकर अतिनिर्धन्न परिवारों में कुपोषण देखने मिलता है। विश्व मे ८० लाख से अधिक बच्चें अपने जन्म के पहले दिन ही मर जाते है। जबकि ४० लाख से ज्यादा बच्चें मात्र कुछ महिने या दिन तक ही जीवित रह पाते है। विकासशील देशों में ५१ लाख बच्चें तो प्रसव के दौरान ही मर जाते है। कुपोषण की अधिकता से स्वस्थ समाज एवं स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती हैं। यदि महिलाएं एवं बच्चे कुपोषित हो तो इसका दूष्प्रभाव पूरे घर—परिवार के साथ—साथ समाज पर पड़ता है। कुपोषण का सीधा तात्पर्य संतुलित और पौष्टिक आहार का अभाव है। खाद्यान्न उत्पादन की वृध्दि दर, जनसंख्या वृध्दि दर से अधिक होने पर भी भारत के आधे से अधिक राज्यों में गरीबी एवं kks.k dh l eL; k fo| eku gS UNDP संबंधी

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
No. ---
Dt. ---

ISSN 2347-5153 (Print)
2454-2679 (Online)

Available online at
www.anvpublication.org

International Journal of Advances in Social Sciences

Vol. 06| Issue-04|
October- December| 2018

RESEARCH ARTICLE

लघु सिंचाई साधनों का कृषि उत्पादन एवं रोजगार पर प्रभावः धमतरी जिले के नगरी तहसील के विशेष संदर्भ में

अशोक कुमार पटेल[1], डॉ. मनदीप खालसा[2]
[1]शोध छात्र, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी ;छ0ग0
[2]प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी ;छ0ग0
*Corresponding Author E-mail:

ABSTRACT:
कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्वो में सिंचाई साधनों का विशेष महत्व है। प्रस्तुत शोध पत्र छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी तहसील पर आधारित है। शोध पत्र का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में लघु सिंचाई साधनों को चिन्हित करना, एवं साधनों का कृषि उत्पादन तथा कृषकों के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से पता चला कि सिंचाई साधनों के प्रयोग से कुल उत्पादन में वृध्दि 71.52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा रोजगाद में वृध्दि दोगुना हुई है।

KEYWORDS: कृशि, सिंचाई साधन।

प्रस्तावना :–

भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की लगभग 60 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। महत्वपूर्ण उद्योगो को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि से लोगों के खाद्यान्न की आव यकता की पूर्ति होती है। पशुओ के लिए चारा भी कृषि से ही प्राप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व इतना अधिक है कि इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। वही कृषि के लिए जल अनिवार्य तत्व है। यह वर्षा द्वारा अथवा कृत्रिम सिंचाई से प्राप्त किया जाता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा उचित और ठीक समय पर होती है, वहा पानी की कोई समस्य नही होती, विपरीत कम उत्पादन या फसल सूख जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश क कुल क्षेत्रफल 3287263 वर्ग किमी है, जो विश्व क्षेत्रफल का 2.42 प्रतिशत है। वही जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे नम्बर पर है, इससे जाहिर है कि बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थो की आव यकता होगी। अतः स्वतंत्रता के बाद देश में लागु प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) में कृषि के साथ सिंचाई को प्राथमिकता दिया गया। भारत में कृषि क्षेत्र (1999–2000) 141.23 मिलियन हेक्टेयर (कुल भूमि का 43 प्रतिशत) है। जिसमें सिंचित क्षेत्र फसल भूमि का 40 प्रति ात हिस्सा मात्र है। जबकी 60 प्रतिशत फसल भूमि मानसून पर निर्भर है। देश की कुल सिंचाई क्षमता दसवीं योजना के अतिंम वर्ष 2006–07 तक 102.8 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित की गई थी, जिसमें लघु सिंचाई परियोजना के

Received on 20.08.2018 Modified on 21.10.2018
Accepted on 20.11.2018
© A&V Publications All right reserved
Int. J. Ad. Social Sciences. 2018; 6(4):172-180.

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B. C. S. GOVT P. G. COLLEGE
DHAMTARI (C.G.)

Indian Journal of Socio Legal Studies. ISSN 2320-8562. Impact Factor (IIJIF):2.139
Vol.-VII. Issue-II. July-Dec. 2018

वर्तमान समय में सूचना के अधिकार की प्रासंगिकता

*दुर्गेश प्रसाद**

प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में आम जनता ही देश की मालिक होती है । मालिक होने के कारण ही जनता को यह जानने का अधिकार है कि जो सरकार उसके लिए कार्य कर रही है वह कहां, कैसे एवं क्या कर रही है सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1)के तहत एक मूल अधिकार है 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब तक लोगों को जानने का अधिकार नहीं होगा तब तक वह अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकेंगे, आगे न्यायालय ने कहा कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है यहां की जनता ही देश की मालिक है । इसलिए जनता यह जानना चाहेगी कि उसकी सरकार कैसे चल रही है । सभी नागरिक टैक्स अदा करते हैं। यहां तक एक भिखारी भी टैक्स देता है। जब वह बिस्कुट का पैकेट या साबुन बाजार से खरीदता है, तो नागरिकों को यह जानने का हक है कि उनका पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है।यदि हम इस अधिनियम की प्रस्तावना का अध्ययन करें, तो हमें इस अधिनियम के पारित करने के उद्देश्य का पता चलता है:-

अधिनियम के पारित करने के निम्नलिखित उद्देश्य है:-

1 *नागरिकों को उनके अधिकार से परिचित कराना।*
2 *सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में रखी सूचनाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।*
3 *सरकारी अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना।*
4 *सूचना के लेन- देन में पारदर्शिता लाना।*
5 *सरकार द्वारा नागरिकों को सूचना देना लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए स्वास्थ्य कर और लाभदायक है।*
6 *भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना ।*
7 *सरकारों तथा उनके प्राधिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है।*
8 *सूचना प्राप्त करने में सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग होना भी है साथ ही संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है।*
9 *प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।सरकारों के कुशल संचालन सीमित वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने के साथ परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य पैदा करना।*
10 *सरकारी अभिलेखों दस्तावेजों इत्यादि को सुरक्षित रखना ।*

सूचना का अधिकार अधिनियम के पारित करने के कारण:-

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारदर्शिता का सर्वाधिक महत्व है ।पारदर्शिता लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के साथ-साथ लोक सेवकों में उत्तरदायित्व की भावना का संचार करती है। किसी भी शासन प्रणाली को उत्तरदायित्व जनहित के

* सहायक प्राध्यापक, बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी (छ. ग.)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B.C.S. GOVT. P.G. COLL
No ....
Dt. ....
DHAMTARI

RESEARCH PAPER | Commerce | Volume : 5 | Issue : 10 | October 2015 | ISSN - 2249-555X

Bal Jivan Bima Yojnao ki Pragati (Bhartiy Jivan Bima Nigam Ke Raipur Mandal Karyalay Ke Sandarbh Me)

बाल जीवन बीमा योजनाओं की प्रगति (भारतीय जीवन बीमा निगम के रायपुर मण्डल कार्यालय के संदर्भ में)

KEYWORDS

Anju Kumari

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, (छ.ग.) सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), साई महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई (छ.ग.) पिन नं. - 490006

Dr. Chandrasekhar CHAUBEY

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, (छ.ग.) प्राचार्य, बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)

ABSTRACT प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय जीवन बीमा निगम के रायपुर मण्डल कार्यालय के संदर्भ में बाल जीवन बीमा योजनाओं की प्रगति पर आधारित है। भारतीय जीवन बीमा निगम में बाल जीवन बीमा योजनाओं का 15 प्रतिशत योगदान है क्योंकि बाल जीवन बीमा का क्षेत्र अभी संकुचित है। परन्तु भारतीय जीवन बीमा निगम के निरंतर प्रयास से इसकी गुणात्मक प्रगति बढ़ती जा रही है। बाल जीवन बीमा के माध्यम से माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य की अनिश्चितताओं से निश्चिंत हो रहे हैं। जहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बाल जीवन बीमा की नई-नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं इस क्षेत्र में निजी कम्पनियाँ भी पीछे नहीं है। परन्तु भारतीय जीवन बीमा निगम जैसा विशाल संगठनात्मक ढाँचा तैयार करने में नवीन बीमा कम्पनियों को कई वर्षों का संघर्ष करना पड़ेगा।

हम जिस सामाजिक ढांचे मे रहते है उसमें अभी वर्तमान मे गहरे परिवर्तन हुये है। आज बीमा मे निवेश करते समय लोग न केवल सुरक्षा चाहते है बल्कि मेहनत की कमाई पर अच्छा प्रतिलाभ चाहते है जिससे वे अपने बच्चों की शिक्षा व विवाह के लिए बेहतर प्रावधान कर सके। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने व्यवसाय मे बाल बीमा योजनाओं को विशेष महत्व दिया है। विभिन्न पॉलिसियों के माध्यम से निगम इन सब योजनाओं को संचालित कर रहा है जो माता-पिता को अपने बच्चो के भविष्य के लिए होने वाली चिंताओं से मुक्त कर रहा है।

समाज मे बच्चो की उच्चतम शिक्षा को लेकर जो चिंताये बनी रहती है उन समस्याओं का निदान हो रहा है साथ ही समाज मे शिक्षित बच्चों की संख्या मे वृद्धि हो रही है क्योंकि बाल बीमा योजनाओं के आसान प्रीमियम भुगतान से मध्यम वर्ग के लोग भी अपनी बचत व्यवस्था का प्रावधान आसानी से कर पा रहे है।

बाल जीवन बीमा की योजनायें शिक्षा के साथ-साथ विवाह में होने वाले खर्चों का भी निवारण करती है, प्रीमियम के हिसाब से हर वर्ग के लोगो के लिए बाल जीवन बीमा योजनाये उपलब्ध है। जीवन बीमा ने ग्रामीण, निर्धन बच्चो के लिए भी बहुत सी योजनाये उपलब्ध करायी है। जो समाज को एक उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है। ग्रामीण बच्चो के 9वी से 12वी तक पढने के लिए छात्रवृत्ति के रूप मे 100 रूपये प्रति बच्चा दिया जाता है अधिकतम दो बच्चो को। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 86905 बच्चो को 4.15 करोड राशि दी जा चुकी है जो कि समाज की सुरक्षा मे सराहनीय योगदान रहा है। बाल जीवन बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन से गरीब से गरीब बच्चो को छात्रवृत्ति की सुविधा
प्रदान की गई साथ ही शिक्षा ऋण की व्यवस्था का भी प्रावधान बनाया गया जो एक विकासशील समाज को विकसित करने मे सहायक है जो लोग अपने बच्चो की आर्थिक स्थिति सुदृढ न होने के कारण उनके भविष्य को सही दिशा नही दे पाते थे आज वे इन योजनाओ के कारण अपने बच्चो के भविष्य को सही दिशा निर्देश दे पा रहे है जिससे समाज मे एक नई विकास का आरंभ हो रहा है।

बाल जीवन बीमा योजनाओ के प्रारंभ होने से समाज मे बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, विवाह के क्षेत्र मजबूत और सबल हुआ ये सब कल्याणकारी योजनाओं के कारण संभव हुआ है इन योजनाओ के माध्यम से बच्चों के भविष्य को उनके माता-पिता के द्वारा सुरक्षित किया जा सका है।

1979 का साल अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया गया। इस संदर्भ में बीमा निगम ने बच्चो के लाभ हेतु नई योजना तैयार की। इस बीमा पत्र को बालक के माता-पिता या कोई भी संरक्षक ले सकता है। इसकी अधिकतम अवधि 50 वर्ष की होगी व न्यूनतम प्रीमियम देय राशि 250 रूपये से कम नहीं होगी। प्रीमियम केवल वार्षिक ही जमा होगी। 4 वर्ष से कम की अवधि के लिए यह पॉलिसी नही दी जायेगी।

बाल जीवन बीमा के प्रकार :
भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने व्यवसाय मे बाल जीवन बीमा योजनाओ को विशेष महत्व दिया है। विभिन्न प्रकार की पॉलिसियो के माध्यम से निगम इन सब योजनाओं को संचालित कर रहा है। यह योजनाएँ बच्चो की शिक्षा बच्चों के विवाह एव पूंजी बाजार से संबंधित है। बच्चो के भविष्य को ध्यान मे रखकर संचालित की जाने वाली योजनाएँ बच्चो तथा इनके माता-पिता को आर्थिक चिंताओं से मुक्ति प्रदान करते हैं ये योजनाएँ निम्नलिखित है -

क्रमांक	पॉलिसियों के नाम	तालिका नंबर
1	जीवन किशोर	102
2	जीवन छाया	103
3	कोमल जीवन	159
4	जीवन तरंग	178
5	मनी प्लस	180
6	बंदोबस्ती योजना	14
7	धन वापसी योजना	75 / 20
8	विवाह बंदोबस्ती योजना	90
9	जीवन सुरभि	106
10	बीमा निवेश योजना	[illegible]
11	बीमा बचत योजना	175
12	बीमा गोल्ड	179

अध्ययन का उद्देश्य
1. बाल जीवन बीमा योजनाओं का अध्ययन करना।
2. जीवन बीमा निगम में बाल जीवन बीमा योजनाओं के योगदान को जानना
3. रायपुर मण्डल में संचालित बाल जीवन बीमा योजनाओं की संस्थागत प्रगति को जानना
4. बाल जीवन बीमा योजनाओं के सामाजिक प्रभाव को जानना
5. सबसे लोकप्रिय बाल जीवन बीमा योजनाओ का अध्ययन करना एवं समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव देना।

अध्ययन की परिकल्पना :
1. वर्तमान समय में बाल जीवन बीमा निगम की प्रगति और संभावनायें क्या है?
2. छोटी उम्र के बच्चे जिनके वयस्क होते ही किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक मुश्त राशि की आवश्यकता माता-पिता को महसूस कराते हैं।
3. जीवन बीमा निगम द्वारा जारी बाल योजनायें वर्तमान मे लोकप्रियता की चरम सीमा पर है।
4. बाल योजनायें बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिये एक अनिवार्यता बन गई है।
5. बाल जीवन बीमा योजनायें बचत के साथ-साथ विनियोग एवं अन्य परिस्थितियों में एक वित्तिय सुरक्षा की गारंटी होती है।
6. जीवन बीमा का कुल व्यवसाय का लगभग 15 प्रतिशत बाल जीवन बीमा योजनाओं का है।

अध्ययन का क्षेत्र व अवधि
अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित भारतीय जीवन बीमा

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

(Footnotes)

1. जैन एवं मथुर : आधुनिक विश्व का इतिहास, जयपुर प्रकाशन, २०१२, पृ. ३९९
2. डॉ वीरकेश्वर प्रसाद सिंह:आधुनिक राजनीतिक विचाराधाराऐं, पटना, १९७४,पृ.२६६.
3. डॉ सुषमा नारायण:भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति,पटना,पृ.१,
4. ई श्रीधरन इतिहास–लेखन (५०० ई. पू. से सन् २००० तक), अनुवाद–मनजीत सिंह सलूजा, ओरियंट ब्लैकस्वॉन, नई दिल्ली,पृ३९०.
5. डॉ. सत्या एम. राय : भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, हिन्दी मध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ. १९२
6. यशपाल ग्रावर:आधुनिक भारत का इतिहास, पृ.२२०
7. इण्डिया, लन्दन, १८८८
8. सुमित सरकार : आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, १९९९,पृ.१८–१९.
9. बी. डी. कुलश्रेष्ठ : भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास (ईस्टन बुक डिपो २००४), पृ.३७५–३७६.
10. डॉ. कालूराम शर्मा एवं डॉ. प्रकाश व्यास : भारत का इतिहास (१८८५–१९५०), पंचशील प्रकाशन जयपुर, पृ. १–२.
11. एस.चन्द:आधुनिक भारत का इतिहास,पृ.२९१.
12. डॉ. सत्या एम. राय : भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, हिन्दी मध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ. १९२
13. सुमित सरकार : आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, १९९९, पृ.२२–२३.
14. डॉ. एस. एन. दूबे : इतिहास दर्शन एवं लेखक, जौनपुर, १९९७–९८, पृ. १३०,
15. Clark, 'The Role of Bankim Chandrs in the Development of Nationalism,' in Philips, ed., Historians of India, Pakistan & Ceylon, 436.
16. Majumdar, 'Nationalist Historians', in Philips, ed. Historians of India, Pakistan & Ceylon, 436.
17. Ibid.,425.
18. Thapar, Ancient India Social History,

◆◆◆

36

छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति में सामाजिक गतिशीलता

डॉ. अनिता राजपुरिया
प्राध्यापक समाजशास्त्र,
बी.सी.एस.शा.स्ना.महा.धमतरी

श्रीमति मीनाक्षी देवांगन
शोधार्थी,
शा.दू.ब.महिला स्ना.स्वशासी महा.रायपुर

भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ की अत्यन्त पिछड़ी जनजाति में से एक है। छत्तीसगढ शासन द्वारा प्रदेश में निवासरत् पांच विशेष पिछड़ी आदिम जनजाति क्रमशः कमार, बैगा, अबूझमाडिया, पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर की श्रेणी में भुंजिया तथा पंडो जनजाति को चिन्हित किया है। शासन द्वारा विशेष पिछड़ी आदिम जनजातियों की तरह ही भुंजिया विकास अभिकरण जो गरियाबंद में स्थित है। इनके विकास के लिए विशेष प्रयासरत् है। भुंजिया जनजाति अभी भी वनाश्रित जीवन व्यतीत करती है, इनकी कृषि की तकनीक एवं उत्पादन के अन्य साधन आज भी प्रारंभिक अवस्था मे है परन्तु आज यह जनजाति विकास की प्रक्रिया से जुड चुकी है तथा सामाजिक गतिशीलता के संक्रमण के दौर से गुजर रही है। भुंजिया जनजाति के अर्थ के सबंध में हीरालाल और रसेल (१९१६) ने Bhunjiya का अर्थ 'भूमि पर आश्रित रहने वाला' एवं प्रो.श्यामचरण दुबे (१९५२) ने भुंजिया शब्द का अर्थ 'भुंजा हुआ मांस खाने वाला या भुंजकर खाने वाला' बताया जिसके कारण यह जनजाति भुंजिया कहलायी। भुंजिया जनजाति के दो उपसमूह है पहला चौखुटिया भुंजिया और दूसरा चिड़ा भुंजिया। चिड़ा भुंजिया

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
GOVT. P. G. ... DHAMTARI

कृषकों विकास में उन्हे केसीसी(किसान क्रेडीट कार्ड) के माध्यम से उन्हे आसानी से ऋण उपलब्ध होता है, इसी प्रकार लघु उद्योगो के विकास में खेतीहर महिला श्रमिको के विकास में, अनुसूचित जाति, जनजातियों के आर्थिक विकास में कमजोर वर्ग के विकास मे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के विकास में, आधारभूत संरचना के विकास में, पर्यटन के विकास में, परिवहन के विकास में, देश के सर्वागिण विकास में बैंक अपना अमूल्य योगदान दे रहे है। आज बैंक विहिन समाज की सम्पन्नता मे बैकों का महत्वपूर्ण योगदान है। "बैंक आधुनिक चलन व्यवस्था का हदय एवं केन्द्र बिन्दु है।"

संदर्भ

१. Wikipedia.org/ wiki
२. भारत में बैंकिग विधि एवं व्यवहार–वी.पी. अग्रवाल
३. म. प्र. का आर्थिक विकास – डॉ.शशिकिरण नायक
४. विश्व व्यापार संगठन तथा भारतीय अर्थव्यवस्था–रामनरेश पाण्डे
५. योजना–जनवरी २०१५

◆◆◆

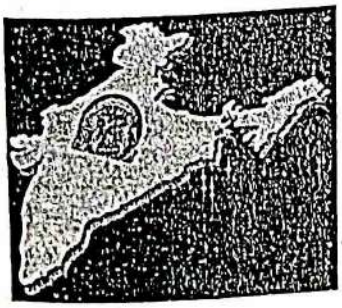

41

महिलाओं एवं बाल स्वास्थ्य कुपोषण मुक्ति हेतु शासन द्वारा संचालित्त योजनाओं की भूमिका

डॉ. अनिता राजपुरिया
प्राध्यापक समाजशास्त्र,
बी.सी.एस.शा.स्ना.महा.धमतरी

श्रीमति मीनाक्षी देवांगन
शोधार्थी,
शा.दू.ब.महिला स्ना.स्वशासी महा. रायपुर (छ.ग.)

****

आज के विकासशील विश्व में कुपोषण के सर्वाधिक मामले भारत में हैं जिसका कारण अज्ञानता, जानकारी का अभाव और जागरुकता की कमी, गरीबी तथा पर्याप्त और संतुलित आहार का न होना है। इसके कारण कुपोषण तथा न्युनपोषण होता है जो शिशुओं और बच्चों के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास को अवरुद्ध करता है और वयस्कों की कार्यक्षमता और उत्पादकता को कम करता है तथा बच्चों और महिलाओं में मृत्यु दर को बढाता है। कम उत्पादकता से अर्जन क्षमता कम हो जाती है जिसके परिणामत: गरीबी उत्पन्न होती है और यही क्रम चलता रहता है।

किसी राष्ट्र की जनसंख्या का स्वास्थ्य और पोषणीय स्थिति उस देश के विकास का महत्वपूर्ण सूचक होती है। मृत्युदर, सूक्ष्म पोषकों की कमी और कुपोषण कुछ ऐसे सूचक है जिनका देश की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का मूल्यांकन करने में उपयोग किया जा सकता है।

न्युनपोषण एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण शिशु और मातृत्व मृत्युदर अधिक

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI (C.G.)

29

मानव विकास समूह

डॉ. मनदीप कौर खालसा
प्राध्यापक [illegible]
बी.सी.एस. गव्हर्नमेंट. पी.जी. कॉलेज,
धामतरी, छत्तीसगढ

डॉ. व्ही. एम. जुर्री
प्राध्यापक [illegible] विभाग प्रमुख
बी.सी.एस. गव्हर्नमेंट पी.जी. कॉलेज,
धामतरी, छत्तीसगढ

****

प्रस्तावना —:

मानव विकास की अवधारणा की व्याख्या करते हुऐ यू एन.डी.पी. की मानव विकास रिपोर्ट १९९७ में उल्लेख किया गया "आय केवल एक विकल्प है जिसे लोग प्राप्त करना चाहेगें यह बहुत महत्वपूर्ण हैं" आय एक साधन है। जबकि मानव विकास एक ध्येय है।

महबूब उलहक के मार्गदर्शन में १९९० में मानव विकास रिपोर्ट के प्रथम के पश्चात् मानव कल्याण के मापों का निर्माण करने के लिये तीन माप विकसित किये गये।

- मानव विकास सूचकांक
- लिंग संबधित विकास सूचक
- मानव निर्धनता सूचकांक

महबूब उलहक के अनुसार—आर्थिक संवृद्धि में केवल आय पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाता है। जबकि मानव विकास में सभी मानवीय विकल्पों चाहे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनैतिक हों।

मानव विकास आवश्यक है।

- पाल स्ट्रीटम कहते है आर्थिक विकास का उद्देश्य स्त्रियों, पुरूषों, बच्चों की वर्तमान एव भावी पीड़ियों को लक्ष्य के रूप में देखना ।
- पोषित स्वास्थ्य शिक्षित कुशल और सतत् श्रम शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादन परिसम्पत्ति है।
- मानवीय विकास परिवार के आकार को छोटा करने में सहायता पहुँचाता है। शिक्षा के स्तर में (विशेष रूप से लड़कियों के शिक्षा के स्तर) में सुधार, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, बाल मृत्यु दर में कमी से जन्मदर मे गिरावट आती है। शिक्षा में सुधार लोगों में छोटे परिवारों के प्रति आकर्षण जागृत होता है।
- भौतिक पर्यावरण की दृष्टि में भी मानव विकास अच्छा है। गरीबी में कमीं से वनों के विनाश मे कमी आती है। शिक्षा में वनो का सरक्षण किया जाता है।
- गरीबी में कमी से एक स्वस्थ समाज के गठन लोकतंत्र के निर्माण, सामाजिक स्थिरता मे सहायक मिलती है। महबूब उलहक के अनुसार—मानव विकास के चार अनिवार्य घटक है—

१. औचित्य (Equty)

- आय का समान वितरण समाज में हो। ऐसी राजकोशीय नीति हो जिसमें आय का हस्तांतरण अमीरों से गरीबों में हो।
- राजनैतिक अवसरों में समानता लायी जाये। लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता लायी जाये।
- महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों में राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में आगे लाया जाए।

२. धारणीयता Sustainbilty — इसके लिये भौतिक, मानव, वित्तीय और पर्यावरण संबंधी पूंजी को बनाये रखना है। विकास के अवसरों को वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के बीच वितरित करना है। जीवन स्तर सबंधी विषमताओं को दूर करना ।

३. उत्पादकता Productivity — भौतिक पूंजी से देश को समृद्ध बनाया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है भौतिक पूंजी से ही उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। अनेक पूर्वी एशियाई देश जैसे,

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
DHAMTARI

MAH MUL/03051/2012
ISSN: 2319 9318 | Vidyawarta™ | Jan. TO Mar. 2015 Issue-09, Vol-04 | 0139

39

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन

Dr.Smt. Hemwati Thakur
BCS.Govt.P.G. College
Dhamtari (C.G.)

=============*****************=============

स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिला का अविस्मरणीय योगदान रहा । भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में छत्तीसगढ़ को पृथक पहचान दिलाने में जिला का महत्वपूर्ण योगदान रहा । जिला मुख्यालय धमतरी से १८ कि.मी. दूर कंडेल गांव के किसानों का नहर सत्याग्रह की सफलता को गांधी जी की पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन का श्रेय दिया जाता है । २१ दिसम्बर १९२० ई. को धमतरी आये और यहाँ की जनजागरूकता को देखकर बहुत खुश हुए । यही वजह था कि २४ नवम्बर १९३३ ई को दूसरी बार हरिजनोद्धार के सिलसिले में पुनः आगमन हुआ ।

६ अप्रैल १९३० ई को गांधी जी ने दांडी में समुद्र के तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया । यह पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ का संकेत था । इसका अनुकरण करते हुए लोगों ने स्थान—स्थान पर सरकारी कानूनों को तोड़ना पुरू किया । सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल किया गया था ।

१. नमक बनाना और कानून का उल्लंघन करना ।
२. सरकारी स्कूलों और दफ्तरों का बहिष्कार करना ।
३. शराब, अफीम एवं विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना।
४. विदेशी वस्त्रों की होली जलाना
५. टैक्स न देना ।

धमतरी जिला में सर्वप्रथम नारायणराव मेघावाले ने अप्रैल १९३० ई में महाकोसल प्रातीय राजनैतिक परिषद रायपुर से भाग लेकर आने के बाद बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के घर के पास विशाल जनसमुह के समक्ष दो तोला नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया । जब उसे नीलाम किया गया तब करणसी भाई ने ६१ रूपये में खरीदकर अद्भूत देशभक्ति का परिचय दिया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए तहसील कार्यकारिणी को सत्याग्रह समिति में परिवर्तित किया गया । सत्याग्रह के सफलता पूर्वक संचालन के लिए नत्थूजी जगताप के बाड़े में एक मई १९३० ई को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गयी । स्वयंसेवकों को वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था । आवास एवं भोजन व्यवस्था निःशुल्क थी । आश्रम को संचालित करने के लिए चार समितियाँ बनायी गयी थी ।

१. कोश संग्रह समिति
२. अन्न व्यवस्था समिति
३. भोजन व्यवस्था समिति
४. आश्रम व्यवस्था समिति

प्रशिक्षण अवधि एक सप्ताह की होती थी । सत्य, अहिंसा अछूतोद्धार, खादी प्रचार—प्रसार सहनशीलता, विनम्रता इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता था । प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात्, प्रत्येक स्वयं सेवक को एक गांधी टोपी , एक स्वयंसेवक लिखा हुआ केसरिया रंग का पट्टा और गांव के लिए एक तिरंगा झण्डा दिया जाता था । तीन महीने में इस आश्रम में १५०० स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव—गांव में जाकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रचार—प्रसार देशभक्ति की भावना जागृत किया ।

स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार—प्रसार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पूरे जिले में किया गया। विदेशी वस्त्रों की होली जलायी गयी। मई १९३० ई. में धमतरी शहर के व्यवसायी करणसी भाई ने खादी वस्त्र भण्डार की स्थापना की । परन्तु मशीनों द्वारा निर्मित विदेशी माल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाने के कारण दुकान को बंद करना पड़ा।

जून १९३० ई का गट्टासिल्ली सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की महत्वपूर्ण घटना रहीं।

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
DHAMTARI

दूसरी और इन्हीं वर्गों की कमाई पर उच्च वर्ग वैभव-विलासमय, ऐशो-आराम का जीवन बीता रहा है । यही कारण है कि केदार जी कविता किसान,मजदूर और श्रमिक वर्ग के जीवन की त्रासदियों की बोलती तस्वीरें खींचती हैं । जिनमें उक्त वर्ग के जीवन की मजबूरियों, विवशताओ, विकृतियों एवं संघर्षो के गहरे रंग उकेरे हैं ।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि केदारनाथ अग्रवाल जनजीवन को अपन्नी कविता का विषय बनाते है गांव कें किसान,मजदूर, श्रमिक उन्नकी कविताओं में प्रमुखता से विद्यमान हैं । अत: उन्नकी प्रतिवध्दता मूलत: शोषितों, श्रमशील कृषकों,मजदूरों और श्रमिकों के प्रति हैं । वे शोषित, पीडित जनता के उत्थान एवं खुशहाली के लिए प्रतिबध्द हैं । उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कविवर केदारनाथ अग्रवाल ेे काव्य की भाव-भूमी जनवादी भाव -बोध एवं प्रगतिशील चेतना से युक्त कवि की हैं ।

➢ संदर्भ ग्रंथ :-

१)फूल नहीं रंग बोलते हैं -केदारनाथ अग्रवाल पृ .क्र ७४
२) हें केदार खरी -खरी -केदारनाथ अग्रवाल पृ .क्र ७४
३)गुलमेंहदी -केदारनाथ अग्रवाल पृ .क्र ७४

❖❖❖

Interdisciplinary Multilingual Referred Journal
Contact : 098 50 20 32 95

Vidyawarta

44

असहयोग आंदोलन में धमतरी जिला का योगदान

डॉ.(श्रीमती) हेमवती ठाकुर
सहायक प्राध्यापक इतिहास
बाबू छोटेलाल शास.स्नात.महा.
जिला धमतरी (छ.ग.)

****

६ जुलाई सन् १९९८ को मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत धमतरी को एक राजस्व जिला का दर्जा दिया गया था । वर्तमान में छत्तीसगढ़ के २७ राजस्व जिलों में से एक प्रमुख जिला है। प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता का केन्द्र धमतरी गोंडवाना का गढ़ था । खाईयुक्त किले का अवशेश आज भी स्पश्टत: दिखाई देता है । गोंड़ राजाओं की राजधानी धमतरी मराठा शासन काल में एक परगना था । ब्रिटिश शासन काल में सन् १८५५ में तहसील बनाया गया । २७ जुलाई सन् १८८१ ई को नगरपालिका परिषद् का गठन किया गया । छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना तहसील और नगरपालिका होने का गौरव प्राप्त है । १५ अगस्त २०१४ को मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह द्वारा नगरनिगम बनाने की घोशणा की गयी । इस प्रकार धमतरी का इतिहास एंव संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण रहा है ।

स्वतंत्रता आंदोलन में धमतरी जिला का अवस्मिरणीय योगदान रहा । स्वतंत्रता आदोलन की प्रत्येक गतिविधियों में जिले के वीर सपूतों ने बढ़—चढ़ कर भाग लिया और कठोर जेल यातनाएँ सहन की। सन् १९०५ ई. का बंगाल विभाजन की घोषणा ने लोगों को उद्वेलित कर दिया । यद्यपि यहाँ जन जागरूकता १९ वीं शताबदी के उत्तरार्द्ध से ही परिलक्षित होने लगी थी सन् १९२० का कंडेल नहर सत्याग्रह धमतरी जिला की स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में ही नहीं

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
DHAMTARI

Bull. Cal. Math. Soc., **107**, (5) 411–420 (2015)

ECONOMIC AND PERFORMANCE EVALUATION OF A STOCHASTIC MODEL WITH HARDWARE FAILURE AND HUMAN ERROR

HEMANT KUMAR SAW[1] AND V.K. PATHAK[2]

(*Received ?? January 2015*)

Abstract. Human plays a pivotal role in the design, development and operational phases of engineering systems. Reliability evaluation of system without taking into consideration the human element does not provide a realistic picture. Hence, there is a definite need for incorporating the occurrence of human errors in system reliability evaluation. The proposed study we developed a stochastic Reliability model of single unit system in manufacturing plant. System has been investigated under the assumption that unit works in three different states: 'normal state, partial failed state and total failed state. The system suffers three types of failures: viz; Hardware failure, Critical human failure and Non-critical human failure. After pre specific time known as Maximum operation time (MOT) the system undergoes for PM from partial failed state. There is a single server who visits the system immediately whenever needed to carry out preventive maintenance and repair. The unit works as good as new after preventive maintenance and repair. The failure and maximum operation times of the unit are distributed exponentially while the distributions of PM and repair times are taken as arbitrary. Using semi Markov process and regenerative point techniques expression for various reliability characteristics are obtained and expected profit is calculated. A special case for the proposed system was given in which human error is not considered. The results indicated that the system without human failure is greater than the system with human failure with respect to the MTSF, steady state availability and the profit.

1. Introduction. Gupta R.et al. (2006) have studied Stochastic analysis of a compound redundant system involving Human Failure. Goel, L.R., et al.(1984) studied Stochastic analysis of a two-unit parallel system with partial and catastrophic failures and preventive maintenance, Kadyan, M.S., et al. (2004) analyzed Stochastic analysis of non identical units reliability models with priority and different modes of failure Mahmood, M., et al.(1987) have studied Availability Analysis of a Repairable System with Common Cause Failure and One Standby Unit, Dhillon, B.S., et al. (1992) analyzed Stochastic Analysis of Standby System with Common Cause Failure and Human Error. Gupta, P.P., et al.(1986) studied Cost Analysis of a 2-unit Standby Redundant Electronic System with Critical Human Errors. Kumar, R.S., et al. (2010) have analyzed Reliability and cost benefit analysis of a three stage Operational warranted sophisticated system with various minor and major faults. Singh, S.K., et al, (1995) studied stochastic analysis of a two-unit cold standby system subject to maximum operation and repair time. Haggag, M.Y. (2011). Profit Analysis of Two-Dissimilar-Unit Cold Standby System with Three States under Human Failure. In these papers no attention was paid towards the effect of

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
G. S. GOVT. P. G. COLLEGE
No. ---
Dt. ---
DHAMTARI (C.G.)

39

समेकित बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन मे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका धमतरी जिला के विशेष संदर्भ मे

डॉ.अनिता राजपुरिया,
प्राध्यापक समाजशास्त्र,बी.सी.एस.शा.स्ना.महा.धमतरी
श्रीमति मीनाक्षी देवांगन,
शोधार्थी, शा.दू.ब.महिला स्ना. स्वशासी महा. रायपुर

****

समेकित बाल–विकास सेवा जा महिला एवं बाल–विकास विभाग की फलैगशिप सेवा है जो २अक्टूबर १.९७५ से प्रारंभ की गयी । यह परियोजना विश्व की सबस बड़ी संचालित परियोजना है । इस योजना में १६३ बाल–विकास परियोजनाएं है । १६३ बाल–विकास परियोजनाओं में से ६३ ग्रामीण, ८३ आदिवासी १८ शहरी बाल–विकास परियोजनाएं हे । इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है । देश के स्वस्थ विकास हेतु देश की जनसंख्या का स्वस्थ होना जरूरी है देश की आबादी की जरूरतों की पूर्ति हेतु कुशल चिकित्सक, नर्सो, स्वास्थ्य केन्द्रो की सम्पूर्ण देश में बहुत कमी हैं। आगंनबाड़ी कार्यकर्ता इस कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । वे केन्द्र एवं राज्य सरकार की भव्य परियोजनाओं एवं उनके लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य को पूर्ण करने मे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रुप मे कार्य कर रही हैं ।अत: समेकित बाल विकास कार्याक्रमें के तहत् आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका का अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र मे किया गया है ।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के वावजूद आज भी ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या के दृष्टिकोण से चिकित्सकों की एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है । छत्तीसगढ़ राज्य में २१ लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का ४५ प्रतिशत है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण –३ के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषित बच्चों एवं माताओं की संख्या राष्ट्रीय स्तर के आकड़ों की अपेक्षा काफी अधिक है जो कि एक चिन्ता का विषय है।

राज्य में कुपोषित माताओं एवं बच्चों की संख्या काफी अधिक होने के कई कारण है जैसे अशिक्षा, खाद्–असुरक्षा, शासकीय योजनाओं की पूर्ण जानकारी न होना, गरीबी इत्यादि । राज्य में महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के अनेक प्रयास किये जा रहे है । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार महत्वपूर्ण योजना समेकित बाल–विकास योजना के तहत् ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों मे आगंनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन कर रही है जिसमे योजना के क्रियान्वयन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है । जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने सूझ बुझ से गांव के गर्भवती माताओं,बच्चों शिशुवती माताओं ,किशोरी को स्वास्थ्य के बारे पूर्ण रुप से जानकारी देती हैं ।

समेकित बाल विकास योजनाओं द्वारा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है

०–६ वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषाहार और स्वास्थ्य स्तर मे सुधार लाना ,बच्चो के उचित मानसिक,शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए भूमिका तैयार करना ,मृत्युता,रूग्णता के पोषण और स्कूल से निकाले जाने की घटनाओं को कम करना ,बाल विकास को बढ़ाव देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के बीच प्रभाव समन्वय स्थापित करना, बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषाहार और स्वास्थ्य टीका के माध्यम से माता की क्षमता को बढ़ाना समेकित बाल विकास योजनाओं का उद्देश्य ६ वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती और शिशुवती माताओ को पूरक पोषाहार रोग प्रतिरोधन स्वास्थ्य परीक्षण सेवाएं और परामर्श सेवाएं,बच्चो की अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा और महिलाओं को पोषाहार और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है । पिछडे

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B. S. GOVT. P. G. COLLEGE
No.
Dt.

कालचक्र' प्रथम प्रयास के रुप में आयी। इसका निर्माण विनय नारायण ने किया था। इसने वीडियो पत्रकारिता जगत में धूम मचा दी। 'लहरे' रणभूमि विजय (रामायण, महाभारत पर आधारित चेन्नई) टिंकल टाईम विद अंकल (बालपत्रिकाओं पर आधारित)

९) केबल —

पत्रकारिता आधुनिक युग में सामान्य केबल इंटरनेट से जोड दिया गया है। टि. वी. सेट से एक्सेल केबल को जोडने की विधि से यह कार्य किया जाता है। आज केबल के माध्यम से भारत में अन्य देशों के समाचार भी मिल रहे है। केबल सुयंक्तिकरण के दौर में कार्यक्रमों की उपलब्धि संभव कर दी है।

संदर्भ ग्रंथ —

पत्रकारिता के विविध आयाम — डॉ. यू. जी. गुप्ता, प्र. क. ११८

पत्रकारिता के विविध आयाम — डॉ. यू. जी. गुप्ता, प्र. क. १२१

पत्रकारिता के विविध आयाम — डॉ. यू. जी. गुप्ता, प्र. क. १२६

जनसंचार कल, आज और कल — डॉ. अस्थाना प्र. क. ११३

□□□

40

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ग्राम बासीखाई की सामाजिक द

डॉ. हेमवती ठाकुर

सहायक प्राध्यापक, इतिहास,

बाबू छोटेलाल शास.स्नात.महा. जि. धमतरी (छ.ग.)

कु. भगवती

एम.ए., इतिहास, द्वितीय सेमेस्टर,

बाबू छोटेलाल शास.स्नात.महा., जि. धमतरी (छ.ग.)

****

"भारत गांवो का देश रहा है । भारत गांव में बसा हुआ है और वह गांव में ही रहता है। भारत को समझना है तो गांवों में जाना होगा और गांवों की संस्कृति को समझना भी होगा" यह कथन प्रसिद्ध पाश्चाप विद्वान मैक्समूलर का है। जिन्होंने अपनी पुस्तक इन्डिया वान्ट केन इट टिच अस में किया है जिसका "हिन्दी अनुवाद हम भारत से क्या सीखें" ? शीर्षक से जुलाई १९६४ में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था । वास्तव में गांवों की अपनी अलग पहचान होती है । गांवों में रहने वाले लोगों की अपनी अलग ही जीवन शैली होती है । आज वैश्वीकरण के दौर में भी गावों के लोग सदियों पुरानी रीति—रिवाजों और परम्पराओं को अक्षुण्व बनाये हुए है । उनमें मौलिकता विद्यमान है । ऐसा ही एक छोटा सा गांव बासीखाई है। जहाँ गोड़ जनजाति के लोग निवास करते है ।

ग्राम बासीखाई, छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिला में नगरी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोकाल का आश्रित गांव है । जिला मुख्यालय धमतरी से ३० कि.मी. की दूरी पर स्थित है । घने जंगलों से घिरा हुआ यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है । गांव के चारों ओर छोटे—छोटे गांवों की सीमा लगी हुई है, जिनमें पूर्व में झुरातराई, पश्चिम में बाजार कुर्रीडीह उत्तर में पीपरछेड़ी और दक्षिण में ग्राम कोर्रा की सीमाएं है जिस प्रकार प्रायः सभी गावों एवं नगरों के

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
No. ----
Dt. ----
DHAMTARI (C.G.)

का प्रभाव नहीं पड़ता है।

२. कला एवं विज्ञान संकाय के अध्यापिकाओं की शिक्षण अभिवृत्ति पर संवेगात्मक बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि वाणिज्य संकाय की अध्यापिकाओं की शिक्षण अभिवशत्ति पर संवेगात्मक बुद्धि का प्रभाव पड़ता है।

३. कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के अध्यापक–अध्यापिकाओं की शिक्षण अभिवृत्ति पर संवेगात्मक बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ :

१. अग्रवाल, जे.सी. (२००८), शैक्षिक तकनीकी एवं शिक्षण प्रक्रिया, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन।

२. भार्गव, एल. (२००७), भारतीय शिक्षा व्यवस्था एवं परिदृष्य, नई दिल्ली, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन।

३. कुमार, वी.पी. (२०१०), संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, नई दिल्ली, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन।

४. मंगल, एस.के., पाठक, पी.डी. (२०१०), अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण, आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन।

५. शर्मा, श्रीमती आर.के. एवं शर्मा, एच. एस. (२००१), माध्यमिक शिक्षा और अध्यापक कार्य, आगरा राधा प्रकाशन, मंदिर।

६. सिंह, डॉ. रामपाल, शर्मा डॉ. ओ.पी., शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकीय, आगरा–७, अग्रवाल पब्लिकेशन।

७. शुक्ला, डॉ. एवं सहाय, सांख्यिकीय के सिद्धांत, आगरा साहित्य भवन पब्लिकेशन।

८. वर्मा, डॉ. प्रीति, श्रीवास्तव, डॉ. डी. एन, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में सांख्यिकीय, नवीन संस्करण, आगरा–२, विनोद पुस्तक मंदिर।

□□□

32

चित्रा मुद्गल : व्यक्तित्व एवं कृतित्व

डॉ. श्रीदेवी चौबे
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
बी.सी.एस. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
धमतरी (छ.ग.)

थानेश्वर गिरी
शोधार्थी,
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर (छ.ग.)

****

भूमिका

हिंदी साहित्य–जगत में ऐसे अनेक साहित्यकार हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य को हिमालयीन शिखर पर पहुँचाया है, इनमें एक नाम यशस्वी कथाकार चित्रा मुद्गल का है, जिनकी सबल लेखनी से सारा हिंदी साहित्य–जगत सशक्त हो रहा है। यशस्वी साहित्यकार चित्रा मुद्गल सामान्य लेखिका नहीं हैं, अपितु उन्होंने कथा–साहित्य में अन्य दूसरा रचनाकारों से अलग हटकर अपनी पहचान बनाई है। रचनाकार चाहे जो भी हो, स्त्री हो या पुरुष उनका व्यक्तित्व कहीं–न–कहीं उसकी रचनाओं में समाहित होता है। उनका अपना पारिवारिक वातावरण, सामाजिक परिस्थितियाँ एवं राजनीतिक तथ्य जिससे वह भिन्न है, यही सब साहितयकार के साहित्य का आधार बनता है। लेखिका–लेखक का स्वभाव, आचरण व उसकी प्रवृत्तियाँ ही साहित्य में विद्यमान रहती हैं। वह जो कुछ भी अनुभव करता है उसे साहित्य का रूप देता है। चित्रा मुद्गल ने भी यही किया है। इनके पास अनुभव का विपुल भंडार है, ज्ञान का प्रत्यक्ष भंडार है, जिसके कारण ही बहुचर्चित लेखिका अपने साहित्य की नींव रख पाती हैं।

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B.C.S. GOVT. ... DHAMTARI (C.G.) No. ... Dt. ...

"अपने आपको बतौर एक रंडी नंगा करके मैंने उसको भडुवे के तौर पर नंगा कर दिया। इसको साबित करने का सिर्फ एक तरीका था, अल्लाह के निन्यानबे नामों से कधी उसकी चादर को उतारकर उसकी असलियत को सामने लाना। इसका एक ही रास्ता था, अपने खुद के कपडों को उतार फेंकना। इस हर अजाब के बाद मैं अपने शौहर की कब्रपर खडी हो जाती और उसपर थूकती।"६

उपन्यास में तारा, यतीमडी भी मर जाती है। इस प्रकार उपन्यास के सारे नारी पात्र उपेक्षित है। सखी बीवी उन औरतों का प्रतिनिधीत्व करती है जो अन्याय के विरुध्द आवाज उठाती हैं। वह मकबरे वालों को झूठों पर पलनेवाले फरेबी कहती है। साथ ही उनके पास जानेवाले लोगों को भी वह आगाह करती है कि तुम शैतान को मजबूत करते हो। मकबरे की विकृत संस्कृति को लेकर रोहिणी अग्रवाल की टिप्पणी ध्यान देने योग्य है, "मकबरे के मिथ को तोडने के लिए वैयक्तिक स्तर पर इक्का-दुक्का प्रयासों की नहीं, वरन् व्यापक स्तर पर जनजागरण और संगठित लोकशक्ति की जरुरत है- यह अनुगूँज उपन्यास के बाद भी देर तक मन में वनी रहती है।"७

इस प्रकार तहमीना दुर्रानी पाकीस्तान की अज्ञानी जनता, कबीलाई संस्कृति, मकबरे की हुकूमशाही सभी को कटघरे में लाकर खडा कर देती है। एक नारी होने के नाते वह नारी पर होनवाले अमानवीय अत्याचार की सच्चाई से आवाम को रु-ब-रु कराती है। विवाह संस्था के प्रति खुलेआम अपनी नफरत जताती है।

संदर्भ -

१. खुली खिडकियाँ - मैत्रेयी पुष्पा -पृष्ठ -४१
२. वही - पृष्ठ -६२
३. कुफ्र - तहमीना दुर्रानी - पृष्ठ -५८
४. वही - पृष्ठ -६०
५. वही - पृष्ठ -६०
६. वही - पृष्ठ -१९४
७. आलोचना - प्रधान संपादक -नामवरसिंह - सहस्त्राब्दी अंक चौदह २००३ -पृष्ठ-१७९

13

'चित्रा मुद्गल और नारी विमर्श'

निर्देशक
डॉ. श्रीदेवी चौबे
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जिला–धमतरी (छ.ग.)

शोधार्थी
थानेश्वर गिरी
पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर(छ.ग.)

****

भूमिका :–

वर्तमान समय में स्त्री की दशा,दिशा और इन पर होते अत्याचार इत्यादि को आंकने का दौर चल रहा है जिसे साहित्य में एक विमर्श का नाम दे दिया गया है इसी विमर्श को वर्तमान समय में स्त्री विमर्श,नारी विमर्श या महिला सशक्तिकरण के नाम से भी जाना जाता है। स्त्री विमर्श भी अन्य दूसरे विमर्श कि तरह ज्वलंत मुद्दा है। परंतु आधुनिक युग में नारी विमर्श के मायने बदलने लगा है क्योंकि वर्तमान समय की नारी वह नारी बिल्कुल भी नहीं जो प्राचीन कालिन नारियां हुआ करती थी। प्राचीन वर्ग की नारी पुरूष वर्ग के अधीन रहकर जीवन यापन कर लेती थी। बचपन में पिता, जवानी में पति,वश्ध्दावस्था में बेटे के साये में रहती थी। युग परिवर्तन हो रहा है आधुनिकता अपने चरम सीमा में है इसी का परिणाम है कि, वर्तमान समय की नारी पिता ,पति या बेटे पर आश्रित रहना नहीं चाहती अपितु वे स्वावलंबी बनना चाहती है। खुद पर लगाये गये तमाम बंधनों से मुक्ति चाहती है। इन्हें स्वतंत्रता चाहिए उन सभी अनिष्ठ रूढियों से जिसने इन्हें जकड रखा है। यद्यपि हिन्दी साहित्य जगत में कई ऐसे विचारक है जिन्होनें नारी मुक्ति को स्वर दिये है।

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
GOVT. P. G. COLLEGE No. Dt. DHAMTARI (C.G.)

अतः बीजोप्ति चक्र की महत्ता को कृषि की दृष्टि से शुभाशुभ फल का ज्ञान कराने वाले चक्र के रूप में अनन्य कहा जा सकता है।

संदर्भ :–

१. अहिलांगलबीजोप्तिवृषाख्यं सप्तनाडिकम्। चक्रं सांवत्सरस्थानं मासं चक्रं दिनाह्वयम्।। – नरपतिजयचर्यास्वरोदयः, व्या.पं. गणेशदत्त पाठक, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, संस्करण २००८, सूत्र ३१

२. नरपतिजयचर्यास्वरोदय :, पृ. २०३

३. पूर्वकालामृतम्, यात्रादि प्रकरणम्, व्या. डॉ. सुरेश चन्द्र मिश्र, रंजन पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, संस्करण १९९९, सूत्र ३९

४. राहुभादष्टमं यावत्सूर्यभूपनखानि च। बीजोप्तिं वर्जयेत्तासां पुच्छस्यापि च चतुष्ट्यम्।।१।। सिक्तं कज्जलमन्नवृद्धिमधिकं निस्तण्डुलानि क्रमात्स्यादीतिप्रभवं भयं च फणितो बीजोप्तिकालेश्र्क्षभात्।।२।। – नरपतिजयचयस्विरोदयः, पं. गणेश दत्त पाठक, पृ. २०३.

५. राहुभादष्टमं यावद् द्वादशं षोडशं तथा। विंशजिनाच्चतुष्कं च बीजवापे परित्यजेत्।। – संस्कृत कृषि शास्त्र, डॉ. नीरज शर्मा, लिटरेरी सर्किल जयपुर, २०१३, पृ. २२४

६. कृषि पराशर, सूत्र १७०–१७१

७. धातृद्वये कौणपपित्र्यपुष्ये हस्तत्रये त्र्युत्तरमैत्रभेषु। पौष्णे धनिष्ठास्वथवाश्विनीषु बीजोप्तिरुत्कृष्ट फलप्रदा स्यात्।। – संस्कृत कृषि शास्त्र, पृ. २२३

८. पूर्वकालामृतम्, मिश्र प्रकरणम्, सूत्र ४२

९. तत्रैव, सूत्र ४०

❑❑❑

45

भुंजिया जनजाति में शक्ति संरचना के प्रतिमान एवं उसमें होने वाला परिवर्तन

डॉ. अनिता राजपुरिया ,
प्राध्यापक समाजशास्त्र
बी.सी.एस. शास. स्ना. महाविद्यालय धमतरी

डॉ. राजेश शुक्ला ,
प्राध्यापक समाजशास्त्र
दुर्गा महाविद्यालय रायपुर

डॉ. प्रभिला नागवंशी ,
सहायक प्राध्यापक
चन्द्रकांत डड़सेना शा. महाविद्यालय पिथौरा

****

भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से एक है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में निवासरत पांच विशेष पिछड़ी आदिम जनजाति कमार, बैगा, अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर की श्रेणी मे ही भुंजिया तथा पंडो जनजाति को चिन्हित किया गया है। भुंजिया जनजाति को राज्य सरकार द्वारा लघु अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है । यह जनजाति नवगठित गरियाबंद जिला के गरियाबंद, मैनपुर, छुरा एवं धमतरी जिला के नगरी विकासखण्ड में निवासरत है हालांकि ये महासमुंद जिला के बागबाहरा, खल्लारी, महासमुंद तथा उड़ीसा प्रदेश के सीमावर्ती सोनाबेड़ा आदि में भी आबाद है । परन्तु इनका संकेन्द्रण या केन्द्रीय निवास गरियाबंद पूर्व का वृन्दानवागढ़ रहा है। शासन द्वारा जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिये रुप में भुंजिया विकास अभिकरण बनाकर उसका मु यालय गरियाबंद को रखा गया है । भुंजिया जनजाति द्रविड़ भूमि की जनजाति है जिसके तीन सामाजिक विभाग हैं – (क) चौखुटिया भुंजिया (ख) चिड़ा भुंजिया (ग) खल्लारिया भुंजिया

भुंजिया जनजाति आज भी सामाजिक नियंत्रण के

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B.C.S. No. Dt. DHAMTARI (C.G.)

ISSN: 2394 5303 | Impact Factor 4.002(IIJIF) | Printing Area International Research journal | July 2017 Issue-31, Vol-03 | 0172

40

उपभोक्ता का अधिकार : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. प्रभा वेरूलकर
प्राध्यापक राजनीति विज्ञान,
बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर,
महाविद्यालय धमतरी (छ.ग.)

****

प्राचीनकाल में वस्तुओं का आदान–प्रदान करके व्यापार होता था। इस प्रकार के व्यापार में बेईमानी नहीं होती थी, क्योंकि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेनी होती थी, परन्तु धीरे–धीरे समय बदलता गया। जनसंख्या बढ़ने की वजह से वस्तुओं के लेनदेन की प्रक्रिया बंद होकर, वस्तुओं के खरीदने की प्रथा शुरू हुई और इसी वस्तु के खरीदने–बेचने की वजह से उपभोक्ता शब्द की उत्पति हुई। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वस्तुएं व सेवाएँ खरीदता व उनका उपयोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर पूरा बाजार नकली व मिलावटी वस्तुओं से भरा पड़ा है। इसी प्रकार उत्पादकों व निर्माताओं द्वारा भ्रामक विज्ञापन, खरीदी के साथ मुफ्त, इनामों और प्रतियोगिताओं के दौर में उपभोक्ताओं को अनकों बार वस्तुओं की खरीदी में चयन करते समय समस्याएं आती हैं साथ ही कई बार लुभावने विज्ञापन देखकर बिना गुणवत्ता वाली वस्तुएं भी हम खरीद लेते हैं। ऐसे समय में जब ग्राहक को गलत वस्तु दे दी जाती है, तब ग्राहक अकेला होने के कारण दुकानदार का विरोध नहीं कर पाता।

आज जहाँ एक ओर व्यापार में प्रगति हो रहीं है, वहीं दूसरी ओर इनामों और प्रतियोगिताओं के झूठे चक्कर में फंसकर आए दिन ग्राहक लुटता रहता है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं के निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन न किया जाना, बड़े–बड़े होर्डिंग्स के द्वारा ग्राहकों को ललचाकर अपने जाल में फँसाना व्यापारियों की एक आम प्रवृत्ति बन गई है परन्तु आज उपभोक्ता पूर्व की भांति उतना असमर्थ और असुरक्षित भी नहीं है। ऐसे कानून बन चुके हैं जो एक ओर उपभोक्ता को अधिकार प्रदान करते है और दूसरी ओर उत्पादकों और निर्माताओं पर उत्तरदायित्व भी लगाते है। वास्तव में उपभोक्ता को यह अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त हुए हैं। इसी को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता का अधिकार एक विश्लेपणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है।

शोध अध्ययन की आवश्यकता व महत्व :—

हर उपभोक्ता अपनी खरीदी वस्तुओं व सेवाओं को खरी गुणवत्ता चाहता हैं। यदि उसके द्वारा खरीदा हुआ सामान एक विशेष गुणवत्ता के मानक के अनुरूप न हो तो वह अपनी शिकायत के निवारण के लिए तरीके अपना सकता है। इसके पहले 'केविएट एम्पटर' का सिद्धान्त अर्थात् खरीददार स्वंय सावधान रहे का सिद्धान्त प्रचलित था। वैश्वीकरण व खुली–प्रतियोगिता से अब उपभोक्ताओं को बहुत प्रकार के सामान चयन के मौके उपलब्ध हुए है, किन्तु इसका एक और पक्ष भी है उत्पादक व विक्रेता अपने सामानों के बारे में बढ़ा–चढ़ाकर किए गए दावों व के प्रचार के चमकदार उपायों द्वारा उपभोक्ताओं को लुभाने के प्रयास भी करते हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के लिए अपनी खरीदी वस्तुओं व सेवाओं के बारे में विश्वस्त जानकारी के आधार पर चयन करना कठिन हो जाता है, परन्तु अब धीरे–धीरे उपभोक्ता जागरूक हो रहे है, खरीदी वस्तु यदि उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होती, तो वे अपनी शिकायत के निवारण को आशा रखते है।

अध्ययन का उद्देश्य :—

उपभोक्ता असंतोष के निरन्तर बढ़ने से उपभोक्ताओं के हित में शीघ्र व अधिक प्रभावी शिकायत निवारण के उपायों को आवश्यकता महसूस की गई। इस प्रकार के व्यापक उपभोक्ता अधिकार संबंधी कानून की पृष्ठभूमि १९३२ को डोनेहा बनाम स्टीवेंसन मामले ने तैयार की। स्काटलैंड की लार्ड–सभा में चले इस प्रसिद्ध मुकदमें में एक महिला ने अदरक के बीयर

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI

पने पति से उनको मांगे
के लिए अनुरोध करती
क संस्कृति ने समाज में
गत सम्बन्धों को विघटित

चिल्लर कोट्ट चिट्टेम्मा',
ति', 'विधिवंचना' आदि
क है।

म्मा' नाटक में श्री दासम
पराधीनता ने व्यक्तिगत
थति किया है। आर्थिक
न में विषैल वातावरण
सच्चा उदाहरण चिल्लरा
इस नाटक में चिट्टेम्मा
वन यापन करती है।
है। सीतय्या को नशेखोर
चनेवाला, सुनार, फूल
को आना–जाना होता
र आना–जाना सीतय्या
कि पराधीनता ने परिवार
न किया है। 'चिल्लरा
र मानसिक यन्त्रण से
के जीवन के वास्तविक
व को प्रस्तुत नाटक
त करता है। आधुनिक
त्र की अपेक्षा धन को
धन न दे सकने के
है।

याँ में काफी परिवर्तन
ों में बहुतायत परिवर्तन
कई क्षेत्रों में पुरुष से
का ओर से नारी
जा रहे है कि
र घर गृहस्थी चलाने में
भी संपन्न होगा और

सम्बन्धों को हम अधिक देखते हैं। मुख्यतया दफतर कार्यालयों, राजनीति के मामलों और उद्योग व्यापार के मामलों में आर्थिक हितों के परिरक्षण को दृष्टि में रखकर ही स्त्री–पुरुष सम्बन्ध चलाये जाते देखे जाते हैं।

राचकोंडा विश्वनाथ शास्त्री के 'तिरस्कृति' नाटक में भी आंशिक रूप से आर्थिक समस्या पर प्रकाश डाला है। मोहन कामेश्वरी से प्रेम करता है। परन्तु उसके साथ वह विवाह नहीं कर पाता आर्यभाव ही इसका प्रमुख कारण है। अर्थ लोलुपता के कारण मोहन कामेश्वरी से विवाह नहीं कर पाता है। कामेश्वरी और मोहन की इस विपन्नता की स्थिति को दृष्टि में रखकर शेखर उनको शादी करने की कोशिस करता है। कामेश्वरी अपना अभिप्राय प्रकट करती है। "वह सव्य रूप से मुझे स्वीकारने पर भी मेरे जीवन को सुख नहीं देने लगा।"[८] अर्थ की इस अभावग्रस्तता से कामेश्वरी को मोहन के जीवन से हमेशा के लिए निर्वासित है।

निष्कर्षत: हम कह सकते है कि हिन्दी नाटकों में 'आपाढ का एक दिन' तेलुगु नाटकों में 'तिरस्कृति' नाटक दोनों तुलनात्मक करना अच्छा होता है। दोनों नाटक ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित है। 'आषाढ़ का एक दिन' नाटक में नायिका मल्लिका है। 'तिरस्कृति' नाटक में नायिका कामेश्वरी है। दोनों गरीब परिवार में जन्म लेती है। कामेश्वरी और मल्लिका धनी लडकों से प्रेम करती है। मल्लिका कालिदास. से प्रेम करती है कालिदास उज्जयिनी जाकर उन्नत पद पर नियुक्त होने के बाद मल्लिका को छोड देता है। 'तिरस्कृति' नाटक में मोहन अधिक धन रहने के कारण गरीब परिवार में जन्मी कामेश्वरी को छोड देता है। मगर आज कल दुनियाँ में काफी परिवर्तन आ चुका है। स्त्री–पुरुष सम्बन्धों में बहुतायत परिवर्तन आ चुके है। आजकल की स्त्री कई क्षेत्रों में पुरुष से जूझती हुई चल रही है।

हिन्दी नाटकों में 'मूर्तिकार', 'रत्नगर्भा', आधे–अधूरे', 'आशाढ का एक दिन' तेलगु नाटकों में

और उनके विघटन की परिणतियों को हम हिन्दी–तेलुगु नाटककारों ने आर्थ पर आश्रित स्त्री–पुरुष सम्बन्धों का चित्रण करते हुए सामाजिक जीवन के एक विशेष संदर्भ की ओर संकेत किया है। यह समझाया गया है कि अर्थ पर आश्रित सम्बन्धों पर ही आधुनिक युगीन मनुष्य का जीवन अधिक सुखमय हो सकता है। आर्थिक औन्नत्य आदमी को अहम्मन्यता ही दे सकता है, मानोन्नित नैतिकता और सदवगाहन नहीं। समाज में वर्ग भावना पैलाने लगती है और लोग वर्गों में कटे रह जाते हैं। इसलिए सामाजिकता और सह–अस्तित्व भावना के निर्वहण के लिए अर्थ पर आश्रित स्त्री–पुरुष सम्बन्धों की अपेक्षा भावना और नैतिकता पर आश्रित सम्बन्ध जरूरी है। हिन्दी–तेलुगु नाटक स्त्री–पुरुष सम्बन्धों के माध्यम से सामाजिक जीवन के इसी महत्वपूर्ण तथ्य की और संकेत करती है।

संदर्भ:–

१. 'मूर्तिकार'–डॉ. शंकर शेष पृ.६६
२. डॉ. शंकर शेष रचनावली भाग–२, डॉ. विनय, पृ.६८
३. मूर्तिकार नाटक–शंकर शेष पृ.६६
४. रत्न गर्भा–शंकर शेष पृ.३९
५. 'आधे–आधूरे'–मोहन राकेश पृ.४४
६. आपाढ़ का एक दिन–मोहन राकेश पृ.२५
७. 'रात–रानी'–लक्ष्मीनारायण लाल पृ.२४
८. चिल्लरा कोदु चिट्टेम्मा–श्रीदासम गोपाल कृष्ण पृ.५४

□□□

37

भारत में एक राष्ट्र एक कर प्रणाली 'जी.एस.टी.' कर सुधार का अध्ययन

डॉ. तामेंश्वरी साहू,
सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)
बी. सी. एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
धमतरी, छत्तीसगढ़

****

सार संक्षेप:–

कर एक अनिवार्य अंशदान है, जो देश के आर्थिक विकास प्रक्रिया को गहनता से प्रभावित करती है। राष्ट्र की कर प्रणाली सरल, एकीकृत एवं उत्पादक होना चाहिए। भारत एक विशाल राष्ट्र है, यहां २९ राज्य हैं, राज्यों के कर प्रणाली में विविधता के कारण जटिलता विद्यमान है। कर सुधार की सतत् प्रक्रिया में, जी.एस.टी. कर सुधार देश को "एक राष्ट्र एक कर प्रणाली" के रूप में एकीकृत कर प्रणाली प्रदान करता है। जी.एस.टी. कर सुधार से विभिन्न राज्यों में एकल कर प्रणाली विकसित होगी, जिससे आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, पारदर्शी, सरल एवं उत्पादक कर प्रणाली विकसित होगी, किंतु जी.एस.टी. करारोपण की कुछ प्रारंभिक चुनौतियां भी देश में विद्यमान है।

अध्ययन का उद्देश्य–

१. भारत में जी.एस.टी. कर सुधार प्रक्रिया का अध्ययन करना।
२. जी.एस.टी. कर सुधार के लाभ एवं महत्व का [illegible] करना।

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

B. C. S. GOVT. P. G. COLLEGE DHAMTARI (C.G.)
No
Dt.

यता समूहों से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में आने वाला परिवर्तन (छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला के हाटकोंगरा ग्राम के विशेष संदर्भ में)

(21)

डॉ.अनिता राजपुरिया *

डॉ.प्रमिला नागवंशी **

"राज्य की अर्थनीति के कारण महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित स्व–सहायता समूहों के माध्यम से महिला रूप से आत्मनिर्भर हुई है यह तथ्य छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिला के हाटकोंगरा ग्राम की 60 महिलाओं के अध्ययन हुआ। आर्थिक स्वालम्बन से उनकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया है। परन्तु राष्ट्र की आधी आबादी नेधित्व करने वाली महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता है।"

देश के 26 वें राज्य के रूप में 1 नवम्बर 2000 को गठित छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार 198 जनसंख्या है जिनमें पुरूष जनसंख्या 12632895 अर्थात 50.24 प्रतिशत एवं महिला जनसंख्या 12712303 49376 प्रतिशत है। कुल आबादी में शहरी जनसंख्या 23.24 प्रतिशत एवं ग्रामीण जनसंख्या 76.76 प्रतिशत ल छत्तीसगढ़ राज्य के सुनियोजित विकास के लिए तथा उसे निर्धनता ,बेकारी, खाद्यान्न आदि समस्याओं त करने के लिए छत्तीसगढ़ के आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को कार्यशील जनसंख्या में गांवों की जरूरतों के हिसाब से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है जिससे उनका गुणात्मक त हो सके साथ ही परिवार समाज एवं देश के विकास में उनका योगदान प्राप्त हो सके।

कार्लमॉक्स ने कहा था "स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से सामाजिक प्रगति को ठीक–ठीक मापा जा सकता वास्तव में महिलाएँ समाज के विकास की धुरी है और समाज के विकास में उनकी अहम भूमिका है। अतः महिला क्तीकरण हेतु एवं राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु महिला उद्यमिता नितांत आवश्यक महिला उद्यमिता देश की आर्थिक प्रगति का मुख्य स्त्रोत है। महिला उद्यमी परिवार एवं समस्त समाज को आर्थिक न्नता प्रदान कर सकती है साथ ही उसे गरीबी उन्मूलन ,बेकारी उन्मूलन से मुक्त कर समाज के संगठन प्रबंधन प्रगति में अपने व्यवसाय के माध्यम से योगदान दे सकती है।

छठी आर्थिक गणना के अंतर्गत प्रदेश में कुल 773375 उद्यम पाये गए। ग्रामीण क्षेत्र में 512284 (66.24 तिशत) एवं नगरीय क्षेत्र में 261091 (33.76 प्रतिशत) उद्यम पाए गए। हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्रियाकलापों में ग्न केवल 24869 (3.22 प्रतिशत) उद्यम पाए गये। कुल कार्यरत व्यक्तियों में 1874769 में से 1128049 व्यक्ति 0.17 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र में एवं 746720 व्यक्ति (39.83 प्रतिशत) नगरी क्षेत्र में पाये गये। कुल कामगारों में हिला कार्यशील महिला जनसंख्या को ग्रामों में उपलब्ध संसाधन के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना वश्यक है। महिला उद्यमी अपने लिए अन्य लोगों के लिए नए कार्य सृजित करे तथा अपना समग्र विकास कर आर्थिक रूप से मजबूत हो इसके लिए महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत करीब 74 हजार स्व–सहायता समूहों का ठन किया गया। इन समूहों में राज्य की आठ लाख महिलाएँ जुड़ी हुई है। इसी समूहों द्वारा 54 करोड़ रूपये की बचत का कीर्तिमान स्थापित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाए गये रोजगार मूलक गतिविधियों के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व–सहायता समूहो को 50 हजार रूपये तक ऋण 6.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से दान किया जा रहा है। इस योजना में अब तक तीस हजार से अधिक महिला स्व–सहायता समूहों को 10 करोड़ रूपये से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है महिलाएँ उचित मूल्य की दुकान का संचालन , जैसे आय प्राप्त करने वाले कार्य कर रही है इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु विकास और उनके सशक्तिकरण के क्षेत्र में सबला योजना, आयुष्मति योजना, दत्तकपुत्री शिक्षा योजना, धनलक्ष्मी योजना, शक्ति स्वरूपा योजना, आदि योजनाएँ एवं कानूनी प्रावधान द्वारा महिलाओं के विकास का प्रयास किया जा रहा है।

<u>शोध का उद्देश्य</u> :– प्रस्तुत शोध लेख के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी बहुल कांकेर जिला के आर्थिक रूप से हाटकोंगरा ग्राम में स्व–सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई महिलाओं की स्थिति में आने वाले परिवर्तन का उल्लेख किया गया है।

* प्राध्यापक समाजशास्त्र,बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)

anitasrajpuria@gmail.com

* सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, चंदूलाल चंद्राकर शासकीय महाविद्यालय पिथौरा (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI

International Recognized Double-Blind Peer Reviewed Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

ISSN 2231-5063 **Impact Factor :3.4052(UIF)**

Volume - 4 | Issue - 11 | May - 2015 Available online at www.aygrt.isrj.org

कृषकों के आर्थिक विकास में कृषि उपज मंडियों का योगदान (धमतरी जिले के विशेष संदर्भ में)

चन्द्रशेखर चौबे

प्राचार्य, शास. स्नातको. महाविद्यालय,धमतरी महाविद्यालय, मगरलोड , जिला–धमतरी (छ.ग.)

Co - Author Details :

घन-याम देवांगन

सहा.प्रा.(वाणिज्य), शास. जिला–धमतरी (छ.ग.)

प्रस्तावना :

किसी भी देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत गॉवों का देश है एवं गॉवों में रहने वाले अधिकांश व्यक्ति किसान हैं तथा जीवन यापन के लिए वह मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है। खाद्यान्न के क्षेत्र में आज देश आत्मनिर्भरता की स्थिति में हैं।, देश में तकनीकी विकास ने कृषि विकास को व्यापक रूप से प्रभावित किया है।

लेकिन कृषि विकास की सभी योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनके लिए किस प्रकार की विपणन व्यवस्था उपलब्ध करवा पाते हैं। कृषि समस्याओं का दृष्टिकोण परम्परागत उत्पादन से हटकर विपणन पर भी केन्द्रित होना आवश्यक रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कृषक आशानुकूल उत्पादन में असमर्थ रहते है। लेकिन कठोर श्रम तथा ईश्वरीय अनुकम्पा के कारण अधिक उत्पादन प्राप्त हो भी जाता हैं तो ऐसे उत्पादन हेतु उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप वे निर्धन रह जाते हैं। कृषि–विकास के लिए कृषकों को फार्म पर उत्पादित उत्पादों के विपणन से लाभप्रद कीमतो का प्राप्त होना, कृषि–उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि के समान ही महत्वपूर्ण होता है। उत्पादित–उत्पादों की कृषिकों को उचित लाभप्रद कीमतों का प्राप्त होना, देश में उत्पादों के विकय के लिए दक्ष–विपणन व्यवस्था पर निर्भर होता है। वर्तमान में कृषि जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं होकर, अन्य उद्यमों के समान ही एक व्यवसाय है। कृषक कृषि–क्षेत्र में व्यावसायिक सिद्धान्तों का उपयोग करके अधिकतम आय प्राप्त करने की दौड़ में कार्यरत है। अतः कृषकों को कृषि व्यवसाय की सफलीभूत प्रक्रिया में अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए कृषि उपज मंडियों का महत्वपूर्ण योगदान है।

सामान्यतः आर्थिक विकास का आशय निम्न आय वाले उच्च आय वाले में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया से है। आर्थिक विकास से आशय समाज के सम्पूर्ण विकास से नहीं है यह तो सम्पूर्ण विकास के प्रयत्नों का केवल एक अंग है। देश में कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं उपभोक्ताओं के उपभोग की मात्रा में वृद्धि करने के साथ ही आर्थिक विकास की

Article Indexed in :

DOAJ	Google Scholar	DRJI
BASE	EBSCO	Open J-Gate

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

An International Registered & Referred Monthly Journal
Since March 2002
Hindi Literature
Research Link - 136, Vol - XIV (5), July - 2015, Page No. 48-49
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2014 - 1.8007

मुक्तिबोध के काव्य में बिम्ब योजना : एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र में गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य में बिम्ब योजना पर विचार किया गया है। मुक्तिबोध के काव्य में जीवन्त बिम्बों का जो प्रयोग किया गया है, उसमें नवीनता और विविधता है। अन्य कवियों के पास ये बिम्ब मुश्किल से मिलते हैं। मुक्तिबोध के समकालीन शमशेर बहादुर सिंह का यह मानना सही है कि मुक्तिबोध की हर इमेज के पीछे शक्ति होती है। वे हर वर्णन को बिम्बों के माध्यम से अपनी कविता को दमदार, अधिक अर्थपूर्ण और अधिक चित्रमय बनाते हैं। मुक्तिबोध के पूरे काव्य में बिम्ब ही उनकी शक्ति है। यहीं वे अन्य प्रगतिशील एवं समकालीन कवियों से भिन्न हैं। आलोचकों ने भी उनकी इसी शक्ति पर अधिक जोर दिया है।

डॉ.(श्रीमती) श्रीदेवी चौबे* एवं कुमारी गायत्री साहू**

'बिम्ब' शब्द संस्कृत का है। जिसका अर्थ है, छाया, प्रतिमा, प्रतिबिम्ब आदि। यह अंग्रेजी के 'इमेज' (image) शब्द के पर्याय के रूप में प्रयोग होता रहा है। 'इमेज' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पश्चिम में हुआ। पश्चिम में बिम्बवादियों के आंदोलन के परिणामस्वरूप कथा का प्रचलन गौण हो गया और उसका स्थान धीरे–धीरे बिम्ब लेता गया है। इस तरह आधुनिक कविता में बिम्ब रचना का अविर्भाव हुआ। फलतः पूर्ण कविता बिम्ब के रूप में लिखी जाने लगी। हिन्दी साहित्य में सर्वप्रथम बिम्ब का प्रयोग आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने किया है। वे लिखते हैं, "काव्य का काम में बिम्ब अथवा मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं।"(1)

तीसरा सप्तक के वक्तव्य में केदारनाथ सिंह ने लिखा है, "प्राचीन काव्य में जो स्थान 'चरित्र' का था, आज की कविता में वही स्थान 'बिम्ब' अथवा 'इमेज' का है।"(2)

नयी कविता के शिल्पगत प्रतिमानों में बिम्ब का अहम् स्थान है। बिम्ब अपनी ध्वनियों और संकेतों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाते हैं। बिम्ब भावानुभूतियों को चाक्षुष रूप प्रदान कर काव्य में आकर्षण उत्पन्न करते हैं। उनका कार्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं वरन् इन्द्रिय धरातल पर उसे प्रत्यक्ष करना है। बिम्ब भाषा को एक नवीन शक्ति और सजीवता प्रदान करते है। वस्तुतः बिम्ब के माध्यम से कवि अपने अनुभूत 'प्रभाव' को इस तरह 'दृश्य' तथा 'एन्द्रिय' बनाकर सामने रखता है कि कवि की मौलिक संवेदना की अनुभूति पाठक सहज ही सुलभ हो जाता है।

कवि मुक्तिबोध का काव्य, बिम्ब–सर्जना की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है। उनकी काव्यानुभूति सार्थक बिम्बों के माध्यम से प्रखर अभिव्यक्ति पाती है। बिम्ब ही कवि की विचारधारा के संवाहक होते हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में बिम्बों का वैविध्य दृष्टिगत होता है। स्वयं मुक्तिबोध ने भी बिम्ब की महत्ता को उजागर किया है–"कल्पनाचित्र स्वयं एक बोधात्मक या ज्ञानात्मक (जीवन ज्ञानात्मक) पक्ष रखते हैं और उनका दूसरा पक्ष निः संदेह संवेदनात्मक होता है। इस प्रकार दोनों पक्षों के संयोग से कल्पना चित्र में सौन्दर्य और सार्थकता उत्पन्न होती है। कल्पना चित्र या बिम्ब–विधान स्वयं वस्तु सत्यों के ज्ञान की एक विशेष प्रणाली,जो सृजन प्रक्रिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।"(3)

मुक्तिबोध का काव्य, बिम्ब योजना की दृष्टि से बहुत सम्पन्न है। उनकी समस्त कविता बिम्बमय है। इस विधा में वे अद्वितीय हैं। प्रत्येक प्रकार का बिम्ब मुक्तिबोध की कविता में सहज ही प्राप्त होता है। इतना ही नहीं उनकी कविताओं में सर्वत्र इतने बिम्ब दृष्टिगोचर होते हैं कि इन्हें बिम्बों का नगर कहा जा सकता है। निःसन्देह मुक्तिबोध की कविताओं में लगभग प्रत्येक आठवीं पंक्ति पर एक बिम्ब मिलता है। मुक्तिबोध के काव्य में सभी प्रकार के बिम्बों को देखा जा सकता है। उनके काव्य में बिम्ब योजना निम्न प्रकार से है।

प्रकृति से सम्बन्धित बिम्ब :

छायावादियों के काव्य में प्राकृतिक संसार के बिम्बों की अधिकता है। छायावादी बिम्ब सृजन के प्रभाव के कारण प्रकृति सम्बन्धी बहुत से बिम्ब मुक्तिबोध की आरम्भिक कविताओं में दृष्टिगत होते हैं। 'तार–सप्तक' में संग्रहीत 'आत्मा के मित्र मेरे शीर्षक की निम्नांकित पंक्तियों की नवयौवन के मूर्त बिम्ब के माध्यम से प्रातः और संध्या को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जैसे–

"उस जलधि की श्याम लहरों पर जुड़ा आता/सघनतम श्वेत,स्वार्गिक फेन, चंचल फेन/जिसको नित लगाने निम्न मुखों पर स्वप्न की मृदु मूर्तियों–सी/अप्सराएँ साँझ–प्रात/मृदु हवा की लहर पर से सिन्धु पर रख अरूण तलुए/उतर आतीं, कांतिमय नव हास लेकर।" (4)

प्रस्तुत पंक्ति में उषाकाल को अप्सराएँ मानकर तथा अनकी

*प्राध्यापक एवं अध्यक्ष (हिन्दी विभाग), बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव शासकीय स्ना.महाविद्यालय, धमतरी (छत्तीसगढ़)
**शोधार्थी, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव शासकीय स्ना.महाविद्यालय, धमतरी (छत्तीसगढ़)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI
No.
Dt.

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Hindi Literature**
Research Link - 137, Vol - XIV (6), August - 2015, Page No. 63-65

डॉ.सत्यभामा आड़िल द्वारा रचित काव्य 'क्वांर की दुपहरी' में दलित चिंतन

प्रस्तुत शोधपत्र में डॉ.सत्यभामा आड़िल द्वारा रचित काव्य 'क्वांर की दुपहरी' संकलन में दलित चिंतन को लेकर विचार किया गया है। दलित कविता के नाम से मराठी कविता ने साहित्य की दुनिया में अपनी अलग उपस्थिति जिस तेजी से दर्ज कराई है, वह सचमुच चकित कर देने वाली है। यद्यपि हिन्दी कविता में भी दलित कविता के वे सारे तत्व मिलते हैं, जो इसे भिन्न बनाते हैं, किन्तु दलित कविता की संज्ञा देते ही यह कविता अपने सुर्ख और तीखे तेवर के लिए स्मरण में आती है। डॉ.सत्यभामा आड़िल ने 'क्वांर की दुपहरी' के माध्यम से दलित-पीड़ित और शोषितों की व्यथा-कथा को शब्द दिए हैं, लेकिन उनका स्वर परिवर्तन का पक्षधर है। उनकी पंक्तियाँ हैं - दरिया का पानी मैला हो गया है / रास्ता चलते खखारते, थूकते / पर, पीते-नहाते नहीं/ आसमान में उड़ने वाले / गंदगी फेंकते / पर देखते नहीं / यह दरिया, कभी सबको अघा देता था। ....आज प्यास से तड़प रहा है।

डॉ.(श्रीमती) श्रीदेवी चौबे एवं अश्वनी कुमार ध्रुव*

तीन हजार वर्ष की इस परंपरा में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य उन तीनो को ज्ञान सत्ता और संपति प्राप्त करने के अधिकार मान्य किए गए थे। उनमें भी ब्राह्मण ज्ञान सत्ता और संपति उन तीनो को प्राप्त कर सकता था। क्षत्रिय और वैश्य को सत्ता तथा संपति तक ही सीमित रखा गया था। ज्ञान के कारण सत्ता और संपति पर अंकुश रखना संभव था। सत्ता के कारण संपति पर प्राप्त हो जाती थी। तीनों वर्गो में संघर्ष के उदारहण भी प्राप्त होते हैं। उन तीनों की संघर्ष कथाओं में एक भी ऐसी कथा नही मिलती, जिसमें शुद्र या अछूत के अधिकारों की बात कही गई है। उसके लिए कर्तव्य ही कर्तव्य था। उन चारों वर्ग और उस वर्ग से बाहर जीने वाले समाज को लेकर किसी भी प्रकार की सहानुभूति या दया ऊपर के वर्ग वालों में दिखलाई नहीं देती। महात्मा गौतम बुद्ध के बाद महाकाल में निगुर्ण संतों ने अलबत्ता वर्गव्यवस्था के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। उनमें महात्मा कबीर का स्वर अधिक तीखा गहरा तथा आक्रोश पूर्ण था। संपूर्ण देशभर में संतों ने मनुष्य को केन्द्र में रखकर अपना चिंतन प्रस्तुत किया। (पृष्ठ 239)

दलित साहित्य सातवे दशक में हिन्दी साहित्य की एक विधा के रूप में अस्तित्व में आया उसके प्रगति शील साहित्य में यह समाविष्ट रहा है।

दलित साहित्य की अनुगूंज आजकल नहीं, अपितु अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुनी जा सकती है। लंदन में आयोजित छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन में पहला विषय दलित साहित्य था, वहाँ प्रथम शोधपत्र डॉ. सोहनपाल सुमंनाक्षरे ने प्रस्तुत किया।

डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षार के शब्दों में 'दलित वे हैं, जिन्हें मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है। जिसे निजी स्वार्थों के लिए मानव निर्मित झूठी बर्बर-मान्यताओं को मनुस्मृति और धर्म के नाम पर स्वीकारने के लिए बाध्य किया गया हो, वह दलित वर्ग है। उपेक्षित अपमानित, प्रताडित, बाधित, और पीडित व्यक्ति भी दलित की श्रेणी में आते हैं। भूमिहीन अछूत, बंधुआ, दास, गुलाम, दीन और पराश्रित–निराश्रित भी दलित ही हैं।''

डॉ. भीमराव अम्बेड़कर ने अंगरजी में डिप्रेस्ट व मराठी में बहिष्कृत तथा अस्पृश्य शब्द जिन लोगों या जिन जातियों के लिए इस्तेमाल किए। मराठी व हिन्दी साहित्य में उन्हें दलित कहा जाता है। इस दायरे में व्यावहारिक रूप से ही वे लोग अधिक आते है, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है।

दलित लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा राजनीतिज्ञ आदि ने, दलित शब्द के दायरे में आदिवासी समाज तथा शोषित उत्पीड़ित को दलित शब्द के दायरे में लाकर इसके अर्थ को और अधिक [illegible] एवं व्यापक बना दिया।

दलित शब्द की व्युत्पति संस्कृत धातु दल से हुई है। अतः इस शब्द के संदर्भ में विभिन्न शब्द कोशों में विभिन्न अर्थ दिए गए हैं, जैसे

दल – नाकारने (विनष्ट करना)
दलित – नारा पावलेला (विनष्ट हुआ)
दीन – दलित – समानार्थी शब्द।

संस्कृति तथा मराठी शब्द कोशों की तरह हिन्दी शब्द कोशों में भी दलित शब्द का अर्थ विनष्ट किया हुआ, ऐसा ही दिया हुआ है। जैसे – दलित – वि (स) स्त्री दलित।

(1) मसला हुआ–मर्दित (2) दबाया, रौंदा या कुचला हुआ (3) खंडित एवं (4) विनष्ट किया हुआ।

प्रो. केशव मेश्राम -- हजारों वर्ष जिन लोगों पर अत्याचार हुआ, ऐसे अछूतों को दलित कहना चाहिए। अनुसूचित जातियाँ, बौध्द, श्रमिक, कृषक, व भटकने वाली सभी जातियाँ दलित हैं।

*डाइट कॉलोनी, नगरीय वार्ड 07, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

जीवन मूल्य - सनातन और चिरन्तन

प्रस्तुत शोधपत्र, जीवन मूल्य - सनातन और चिरन्तन के विश्लेषण पर आधारित है। शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य 'जीवन मूल्य' का अर्थ एवं उसकी आवश्यकता को स्पष्ट करना है। किसी भी देश की भौतिक प्रगति को हम उसका शरीर मान लें, तो उसमें प्राण तत्व का संचार करने वाले जीवन मूल्य ही हैं। इससे किसी भी व्यक्ति, जाति, समाज, देश व राष्ट्र के जीवन मूल्यों का महत्व स्पष्ट हो जाता है। जीवन मूल्य को दो वर्गों में बांटा जा सकता है - भाषावत और सामयिक। सामयिक मूल्यों का असर भाषावत मूल्यों पर भी होता है। इसी तरह जीवन मूल्य और साहित्य का भी आपस में संबंध है।

डॉ.(श्रीमती) श्रीदेवी चौबे* एवं श्रीमती पूर्वा शर्मा**

'मूल्य' शब्द संस्कृत की 'मूल्' धातु में 'यत्' प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ कीमत मजदूरी आदि होता है। वस्तुतः हमारा अभिप्रेत 'मूल्य' अंग्रेजी के 'Values' शब्द का पर्याय है। 'Value' शब्द लैटिन भाषा के 'Valere' से बना है। जिसका अर्थ अच्छा सुन्दर होता है। इसकी समान्य परिभाशा, यह बनती है कि "जो कुछ भी इच्छित है, वही मूल्य है" इसी कारण कुछ विद्वान 'Values' शब्द के लिए संस्कृत के 'इष्ट' शब्द को समनार्थी रूप में प्रयुक्त करना चाहते है।

इतिहास, समाजशास्त्र, साहित्य और श्रेष्ठ पुरूषों के चरित्रों का अध्ययन करने पर ध्यान में आता है कि व्यक्ति अथवा समाज की उन्नति के लिए कुछ गुण अत्यावश्यक है। वे गुण मानो मावनता की कसौटियाँ हैं, जिसके पास जिस परिमाण में ये गुण होंगे, उस परिमाण में वह व्यक्ति या समाज श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान राम से लेकर विद्यानिधि बाबा साहब अम्बेडकर पर्यन्त सभी महापुरुषों के जीवन इन्ही गुणों से परिपूर्ण है। इन गुणों की सीढ़ियां चढ़े बिना श्रेष्ठता के सिंहासन पर कोई भी आरूढ न हो सकेगा, यह सार्वदशिक और सार्वकालिक सिद्धान्त है।

'नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाय' नारायण मार्ग के अवलंबन से संसार में सुख, शान्ति और समृद्धि होगी।

नारायण कहीं बाहर से नहीं आता वह प्रत्येक के अन्तःकरण में है वह कहता है, पर हम सुनते नहीं वह दिखता है, पर हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते।

कबीरदास कहते हैं :

मोको कहाँ ढूंढो बन्दे, मै तो तेरे पास में।
ना मैं मन्दिर न मैं मस्जिद, ना कॉबा कैलास में।।

अतः यह कह सकते हैं कि नारायण के प्रकट होने के लिए मन का स्थान सारथी के समान है, जिस प्रकार सारथी घोडों की लगाम को खींच कर रखता हैं। सारथी जो होता है रथ में बैठे हुए रथी महारथी के आदेशों का पालन करने वाला। मानवीय जीवन में मन भी मनुष्य को उबारता है और वही मारता है। मन को कुछ अभ्यास करना आवश्यक है। यदि उसमें हम अच्छे विचार भरे हों तो बुरे विचारों को स्थान नही रहेगा।

अतः हम कह सकते है जीवन मल्य से हमारा तात्पर्य मानवता की कसौटी, जीवन मूल्य अर्थात सुजनता के मूल्य तत्व, जीवन मूल्य हैं। मानव के व्यवच्छेद लक्षण, मानवता और पशुता के मध्य की सीमा रेखा भी जीवन मूल्य ही है, साथ ही महामानवों के पद चिन्ह भी जीवन मूल्य हैं।

कुछ विद्वान कहते हैं आज पुराने जीवन मूल्य ध्वस्त हो गये है। आज विज्ञान युग है यह युग है, युग के अनुसार अब नये मूल्य प्रस्थापित हो रहे हैं, परन्तु यह केवल आभास है। जीवन के मूल्य सनातन और चिरन्तन होते हैं। उनका बाहय स्वरूप उन्हें प्रकट करने के साधन, परिस्थति परिमाण क्रम मे बाते बदली होंगी। परन्तु मूल्य वे ही है और भविष्य मे भी वे ही रहेंगें। पात्र के आकार से जिस प्रकार पानी बदलता नहीं, काष्ट के प्रकार से जैसे अग्नितत्व बदलता नही, मूर्ति के रंग रूप से जैसे परमात्मा तत्व परिवर्तित नही होता वैसे ही आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक अथवा अन्य परिवर्तित परिस्थति से जीवन मूल्य नही बदलते।

श्रद्धा, उघमशीलता, निर्भयता, सात्विकता, अहिंसा, दया आदि गुण प्राचीन काल से ही मनुष्य के लिए आदरणीय रहे है। जिस दिन इन गुणों का पूर्णतया अभाव होगा, उस दिन मनुष्य--मनुष्य नहीं रहेगा वह पशु बन जाएगा। मनुष्य की परिभाषा एक सामाजिक प्राणी के रूप में की जाती है। किन्तु सामाजिक का अर्थ मात्र समुदाय व झुण्ड बनाकर रहने वाला नहीं। हिरन, लोमडी, हाथी आदि कई प्राणी

**शोध-निर्देशक, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्ना.महाविद्यालय, धमतरी (छत्तीसगढ़)*
***शोध छात्रा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्ना. महाविद्यालय, धमतरी (छत्तीसगढ़)*

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

An International, Registered & Referred Monthly Journal : Research Link - 142, Vol - XIV (11), January - 2016, Page No. 73-76
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782
Hindi Literature

रामधारी सिंह दिनकर की 'उर्वशी' में नारी के विभिन्न स्वरुप

प्रस्तुत शोधपत्र में रामधारी सिंह दिनकर की 'उर्वशी' में नारी के स्वरुप पर विचार किया गया है। दिनकर की कृति 'उर्वशी' में नारी के कई रूपों का उल्लेख किया गया है। आज का युग हिन्दी-साहित्य के उन युगों से भिन्न है, जब नारी को केवल काम की पुतलिका और भोग की सामग्री माना था। जब कवियों की दृष्टि नारी के केवल शरीर तक ही पहुँच पाती थी, उसकी आत्मा तक पहुँचने की शक्ति कवियों में नहीं थी। आज के समाज में नारी का स्थान पुरुष की भांति ही समाज का महत्वपूर्ण अंग मान लिया गया है। दिनकर ने इस आधुनिक युग को दृष्टि में रखकर उर्वशी में नारी की महत्ता प्रतिपादित की है।

डॉ.(श्रीमती) श्रीदेवी चौबे* एवं कुमारी गायत्री**

कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' प्रतिभा–सम्पन्न व्यक्ति थे। 'उर्वशी' इनकी नवीनतम नाट्य–कविता है। दिनकर ने उर्वशी–पुरूरवा की पुरानी परिचित प्रेम कहानी को अपनी रचना का विषय बनाया है। सांस्कृतिक तत्वों की दृष्टि से 'उर्वशी' अत्यन्त महत्वपूर्ण कृति है। प्राचीन भारतीय संस्कृति का जितना सजीव और यथार्थ वर्णन इस कृति में हुआ है वह ऐसा कम ही देखने को मिलता है। उर्वशी में कवि ने एक अत्यन्त प्राचीन भारतीय आख्यान के द्वारा अनेक भाव–पक्षों का उदघाटन किया है। इन भाव–पक्षों में सांस्कृतिक पक्ष, नारी का स्वरूप, प्रेम की अभिव्यंजना आदि प्रमुख है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास की ओर दृष्टिपात करें, तो इसमें नारी के विविध स्वरूपों का वर्णन मिलेगा। वीरगाथा काल में नारी की महत्ता उसके सौन्दर्य के कारण थी। नारी का सौन्दर्य सम्पन्न होना उसके परिवार के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्र के लिए भी अभिशाप सिद्ध होता था। इसी प्रकार भक्ति–काल की ओर झाँकें तो नारी को माया का रूप मानकर इसका बहिष्कार किया गया। सगुण एवं प्रेममार्गी कवियों ने नारी को 'शक्ति' के रूप में तथा 'ईश्वर' के रूप में प्रतिष्ठित किया। रीतिकाल में नारी केवल वासना की पुतलिका ही बनकर रह गई। आधुनिक काल में नारी विविध रूपों मे परिलक्षित होती है।

दिनकर आधुनिक काल के कवि हैं। उन्होंने नारी के चरित्रिक, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक, व्यवहारिक आदि क्षेत्रों में गुणवत्ता को उभारा है। उर्वशी में नारी को पुरूष से कई गुणा श्रेष्ठ बताया है। नारी के सहयोग से ही पुरूष हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। वस्तुतः काव्य के शीर्षक ही नारी के महात्म्य को प्रकट करता है। कवि ने नारी को शुद्ध भाव से देखा है। नारी ही आदि और अन्त है। दिनकर ने 'उर्वशी' की भूमिका में अपने विचार व्यक्त किये हैं– "नारी के भीतर एक और नारी है, जो अगोचर और इन्द्रियातीत है। इस नारी का सन्धान पुरूष तब पाता है, जब शरीर की धारा, उछालते–उछालते, उसे मन के समुद्र में फेंक देती है, जब दैहिक चेतना से परे, वह प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुँच कर निस्पन्द हो जाता है।"(1) नारी के मान्य स्वरूप का चित्रण करने के लिए कवि ने उर्वशी में नारी के अनेक रूपों का वर्णन किया है। इन रूपों में नारी का उच्छृंखल रूप, नारी का प्रेमिका रूप, नारी का पत्नी रूप और नारी का माता रूप प्रमुख है।

नारी का उच्छृंखल रूप :

'उर्वशी' के प्रथम अंक में सहजन्या मेनका और रम्भा अप्सराएँ आपस में वार्तालाप करती दिखाई गई हैं। वे केवल घटनाओं का ही वर्णन नहीं करती अपितु मूल समस्या का उद्‌घाटन भी उन्ही के द्वारा होता है। इन तीनों अप्सराओं के वार्तालाप में श्रृंगार के ऐन्द्रिय, अतीन्द्रिय, मांसल और रूमानी पक्षों का विवेचन किया गया है। वे अप्सराएँ शारीरिक रूप से सुन्दर है, किन्तु मानसिक और भावात्मक जगत् में उच्छृंखल है। वे बन्धन में बंधकर नहीं रहना चाहती। सहजन्या और रम्भा भोगवाद की अधिक समर्थक है। रम्भा के अनुसार तो अप्सराओं का जन्म ही मोद करने के लिए सुर–नर सभी का मन भरने के लिए तथा सैर विहार करने के लिए हुआ है। उनके शब्दों में–

"जनमीं हम किस लिए ? मोद सब के मन में भरने को।
किसी एक को नहीं मुग्ध जीवन अर्पित करने को।
सृष्टि हमारी नहीं संकुचित किसी एक आनन में,
किसी एक के लिए सुरभि हम नहीं सँजोती तन में।"(2)

उर्वशी में रम्भा आधुनिक नारी का चित्र निम्न शब्दों में व्यक्त करतीं है–

"हम तो हैं अप्सरा पवन में मुक्त विहरने वाली,
गीत–नाद, सौरभ–सुवास से सब को भरने वाली।
अपना है आवास, न जानें, कितनों की चाहों में,

*प्राध्यापक एवं अध्यक्ष (हिन्दी विभाग), बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छत्तीसगढ़)
**शोधार्थी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छत्तीसगढ़)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
No. ......
Dt. ......
DHAMTARI (C.G.)

An International Registered & Referred Monthly Journal : Research Link - 140, Vol - XIV (9), November - 2015, Page No. 58-60
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782
Since March 2002 Sociology

बाल अपराध - एक सामाजिक समस्या

प्रस्तुत शोधपत्र बाल अपराध की ज्वलंत सामाजिक समस्या पर आधारित है। 21वीं शताब्दी के सूचना-क्रांति के दौर में पूरे समाज का सोच और संवाद के साथ सम्बंधों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। दृश्य मीडिया का विस्तार तेजी से हुआ है, वह आज के पूर्व कभी इतना नहीं हुआ है। मीडिया का गहरा प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर देखा जा सकता है। मीडिया जहां एक ओर सूचना और शिक्षा का सशक्त माध्यम है, वहीं अपराध की दुनिया के रहस्य भी असामाजिक वर्ग तक पहुंचा रहा है। परिणाम यह है कि बाल अपराध के आंकड़ों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यद्यपि बाल अपराध से जुड़े कई कानून हैं, किन्तु उनका भी पालन ईमानदारी से नहीं होता है, इसलिए बाल अपराध से जुड़े अपराधियों को कई बार अपने किये की सजा नहीं मिलती है। बाल अपराध एक गंभीर समस्या के रुप में विश्व के सामने खड़ी हुई है।

श्रीमती प्रमिला नागवंशी* एवं डॉ.अनिता राजपूरिया**

बालरूप सरल हृदय व दर्पण की तरह होता है। मन अत्यंत पवित्र और निश्चल होता है। सांसारिक मायाजाल, चिंता व स्वार्थ से मुक्त होता है। संपूर्ण विश्व में बालक भविष्य के कर्णधार होते हैं, लेकिन कालांतर में वह जैसे-जैसे परिवार एवं समाज के संपर्क में आता है, उसकी समझ शक्ति परिपक्व होती जाती है। उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती है। प्राणियों में कई प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं जो पैदा होते ही जन्म के साथ आती हैं। प्राणी को जीवन रक्षा के लिए कुछ वस्तुएँ आवश्यक होती और वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है, किन्तु यदि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो तो वह किसी भी तरह से चाहे वे नकारात्मक कार्य क्यों न हो, कार्य करते हैं। अच्छे वातावरण में जिस बालक का सामाजीकरण होता है वह एक अच्छा नागरिक बनता है, परन्तु अस्वस्थ्य वातावरण में पले-बढ़े बच्चे का सही सामाजीकरण न हो पाने के कारण वह अपराधी बन जाता है। सिरिल बर्ट व गिलूक (1950) "बाल अपराध न केवल उनको माना जाता है। जो कानून की अवहेलना करता है, परंतु उसे भी जिसका आचरण समाज अस्वीकार करता है, क्योंकि उसका यह दुर्व्यहार उसे अपराध करने के लिए उत्तेजित कर सकता है अथवा उसके अपराधी बनने के खतरे को उत्पन्न करता है। "वाल्टर रेक्लेस (1956)" ने अपने अध्ययन में बाल अपराधी को स्पष्ट करते हुए कहा कि, बाल अपराध शब्द अपराधी विधि के उल्लंघन पर तथा उस व्यवहार पर लागू होता है, जिसे बच्चों व युवकों में समाज द्वारा अच्छा नहीं समझा जाता है। वर्तमान में बाल अपराध की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। यह समस्या केवल भारत की ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है।

आज बाल अपराध एक गंभीर समस्या है, जो किसी एक देश तक सीमित नहीं है, अपितु उसका विस्तार संपूर्ण विश्व पर हो चुका है। इस समस्या का अत्यंत गंभीर पक्ष यह है कि बाल अपराधी किशोर होते हैं, तथा उसके पश्चात् वयस्क होकर यदि अपराध में ही संलग्न रहते हैं, तो समाज के लिए इतने कठोर अपराध सिद्ध होते हैं कि समाज उनकी कार्यवाहियों से त्रस्त हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य का अभाव भी बाल अपराध को प्रोत्साहन देता है। कोहेन (1965) के अनुसार निम्न वर्गों के सदस्यों के मध्य वर्ग की स्थिति संबंधी समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न हुई समायोजन की समस्या ही अपराध का मुख्य कारण है।

भारत में बाल अपराध की धारणा :

भारत में प्राचीन संस्कृति के प्रमाण अथवा किसी अन्य कारण से ही बाल अपराधियों की समस्या पहले सीमित थी, परन्तु वर्तमान परिवेश में प्रतिदिन वृद्धि होते जा रही है। भारत में जहाँ तक बाल अपराधियों के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, बाल अपराधों को साधारण दण्ड विधि के उल्लंघन तक ही सीमित रखा गया है। बाल अधिनियम, 1960 (The Child Act-1960) में बाल अपराधों को परिभाषित किया गया है-"वह बालक जो किसी अपराध में दोषी पाया गया है, अधिनियम के अंतर्गत बालक से अभिप्राय तत्कालीन अपराध विधि के उल्लंघन से है।" भारत में बाल-अधिनियम, 1960 के अंतर्गत एक बाल-कल्याण का गठन किया गया है जिसे किशोर अधिनियम, 1986, में किशोर कल्याण परिषद (Juvenile Welfare Bord) कहा गया।

बाल न्याय (बालकों की देखभाल एवं सुरक्षा अधिनियम) :

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 2(k) के अनुसार जुवैनाइल अथवा किशोर से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जिसने आयु के 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं। धारा 2(I) के अनुसार विधि विमुख किशोर (Juvenile in conflict with law)का अभिप्राय ऐसे जुवैनाइल से है जिस पर कोई अपराध कारित करने का अभियोग है। किसी

*शोधछात्रा, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
**प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय बी.सी.एस.महाविद्यालय, धमतरी (छत्तीसगढ़)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
DHAMTARI (C.G.)

Sociology
XIV (12) February - 2016 Page No. 80-82
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनजातीय शिक्षा हेतु संचालित ज्ञान ज्योति विद्यालय योजना

प्रस्तुत शोधपत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनजातीय शिक्षा हेतु संचालित ज्ञान ज्योति विद्यालय योजना से सम्बंधित है। शोधपत्र में आदिम जनजाति कमार हेतु संचालित योजनाओं एवं कमार विकास अभिकरण के प्रयासों के बावजूद कमार बालक-बालिकाओं में शिक्षण छोड़ने के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारकों का अध्ययन कर आदिवासियों हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित ज्ञान ज्योति विद्यालय योजना और उसका कमार बच्चों पर होने वाले प्रभाव पर चिंतन किया गया है। कमार विकास प्राधिकरण द्वारा 2002-03 में करवाये गए सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में आदिम जनजाति कमार की जनसंख्या 17421 है। छत्तीसगढ़ राज्य में यह जनजातीय रायपुर ज़िला के गरियाबंद मैनपुर, छुरा तथा धमतरी जिला में नगरी, मगरलाड विकासखण्ड में मुख्यतः निवासरत है। वैसे यह जनजातीय इन जिलों के 267 ग्रामों में कमोवेश निवासरत है।

डॉ.अनिता राजपूरिया* एवं श्रीमती प्रमिला नागवंशी**

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 2,07,95,956 है। जिसका लगभग एक तिहाई हिस्सा (31.8 प्रतिशत) जनजातीय जनसंख्या का है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार समूचे देश मे 8.32 करोड़ आबादी जनजातीय है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.08 प्रतिशत हैं। देश मे कुछ जनजातीय समूह ऐसे हैं, जिसमे साक्षरता का निम्न स्तर, घटती हुई या स्थिर या अति मंद गति से वृद्धि वाली जनसंख्या, प्रौद्योगिकी एवं कृषि का पूर्व स्तर एवं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की स्थिति है। सन् 2003 तक 75 ऐसे समूहों को विशेष पिछडे आदिम जनजातीय समूह के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। सन् 2001 तक इनकी कुल जनसंख्या 24.12 लाख थी। इन आदिम जनजातीयो की आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ अन्य अनुसूचित जनजातीयो से भिन्न है।

नवगठित छत्तीसगढ राज्य मे ऐसे 05 आदिम जनजातीय समूह है, जिसमे कमार भी हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में आदिम जनजाति कमार हेतु संचालित योजनाओ एवं कमार विकास अभिकरण के प्रयासों के बावजूद कमार बालक–बालिकाओं में शिक्षण छोड़ने के सामाजिक, सांस्कृतिक ,एवं आर्थिक कारकों का अध्ययन कर आदिवासियों हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित ज्ञान ज्योति विद्यालय योजना और उसका कमार बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंतन कर शोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कमार विकास प्राधिकरण द्वारा 2002–03 में कराये सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में आदिम जनजाति कमार की जनसंख्या 17421 है। छत्तीसगढ़ राज्य में यह जनजातीय रायपुर जिला के गरियाबंद, मैनपुर छुरा तथा धमतरी जिला में नगरी, मगरलाड विकासखण्ड में मुख्यतः निवासरत है। वैसे यह जनजातीय इन जिलों के 267 ग्रामों में कमोबेश निवासरत है।

स्वतंत्रता के पश्चात् केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जनजातीयों के सर्वांगिण विकास हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है, किन्तु विकास की गति इनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक परिवेश के कारण बहुत धीमी है। साक्षरता की ओर दृष्टिपात करें, तो 1991 में जनजातीय साक्षरता का प्रतिशत 29.60 था। भारत सरकार के योजना आयोग के अनुसार पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) में कक्षा एक से कक्षा आठ तक स्कूल छोड़ने वाले जनजातीय छात्र छात्राओं की जनसंख्या 76 प्रतिशत है, यह स्थिति इनके विकास में एक मुख्य अवरोध है। देश के नौनिहाल अगर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो, तो उस देश के भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। छत्तीसगढ राज्य में जनजातीय बच्चों में 50 प्रतिशत बालक तथा 25 प्रतिशत बालिकाएँ ही स्कूलों में दाखिला ले पाते हैं। कमार जनजाति में स्थिति और भी दयनीय है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2007 से 2010 के बीच साक्षरता अभियान के तहत राजीव गाँधी शिक्षा मिशन द्वारा "ज्ञान ज्योति विद्यालय" योजना प्रारंभ की गई। योजना के तहत अब तक एक हजार तीन सौ सत्तर प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं। वर्ष 2008–09 में 1012 विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है एवं इस योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के विस्तार हेतु सघन आदिवासी बसाहटों में प्रत्येक दस बच्चों पर एक ज्ञान ज्योति विद्यालय खोलने की योजना प्रारंभ की गई है। शासन के इस कार्य

**प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय बी.सी.एस.महाविद्यालय, धमतरी (छत्तीसगढ़)*
***शोधार्थी, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
No ...
Dt. ...
DHAMTARI (C.G.)

Since March 2002
Sociology
Research Link - 144 ■ Vol - XV (1) ■ March - 2016 ■ Page No. 84-86
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

मद्यपान का बढ़ता दुरूपयोग मानव समाज के लिए घातक (धमतरी के अटल आवास-पंचवटी व जोधानगर में निवासरत परिवारों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

प्रस्तुत शोधपत्र में मानव समाज के लिए मद्यपान के बढ़ते दुरुपयोग पर धमतरी के अटल आवास - पंचवटीव जोधानगर में निवासरत परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। बढ़ते मद्यपान के कारण नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति, परिवार पर होता है, जो किसी भी समाज के लिए हानिकारक है। इससे समाज और व्यक्ति दोनों का पतन तो होता ही है, साथ ही यह धीरे-धीरे सामाजिक व्यवस्थाओं एवं विकास के लिए भी गंभीर चुनौती बन जाता है। मद्यपान को समाप्त करने के लिए इसके दुष्परिणामों से जन-जन को जागरुक किया जाना चाहिए। परिवार में महिलाओं को मद्यपान का सख्त विरोध करना चाहिए। शासन द्वारा इनसे होने वाली आय को बंद करना चाहिए। कानून के अलावा सामाजिक स्तर पर भी दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ये प्रतिबंध नहीं अपनाये गए, तो समाज एवं देश की हालत और खराब हो जाएगी, जिस पर काबू पाना असंभव जैसा होगा।

श्रीमती प्रमिला नागवंशी* एवं डॉ अनिता राजपूरिया**

मानव जीवन दो विरोधी प्रवृत्तियों का मिलन स्थल है। ...ी मानव पर सात्विक प्रवृत्तियाँ प्रभावी हो जाती है, तो कभी ...मसिक, यदि सात्विक प्रवृत्तियाँ प्रभावी हों, तो मनुष्य आदर्श ...गरिक बनकर देश की उन्नति में सहायक सिद्ध होता है और ...दि तामसिक प्रवृत्तियों का जीवन में समावेश हो जाए, तो मानव ...तोन्मुख होकर समाज एवं राष्ट्र के लिए घातक बन जाता है। ...सीलिए इन बुरी प्रवृत्तियों के खिलाफ अभियान चलाना आवश्यक ...जाता है। ऐसी ही एक बुराई है – मद्यपान अर्थात् शराब का ...वन। फेयर चाइल्ड के अनुसार "शराब की असामान्य एवं बुरी ...दत ही मद्यपान है।"

शराब का सेवन प्राचीन काल से ही समाज में होता आ रहा ...पहले राजा–महाराजा उत्सव पर शराब का सेवन किया करते ...यह मद्यपान मानव संस्कृति के पिछले कई हजार वर्षों से जुड़ा ...ा है। 8वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक शराब का सेवन फैशन के ...में किया जाने लगा था, धीरे–धीरे यह आय के साधन के रूप ...परिवर्तित होता गया और आज पूरा विश्व मद्यपान से अछूता नहीं ...। वर्तमान में शराब का उपयोग सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ...प्रत्येक सुख एवं उत्सव के अवसर पर होने लगा है। यह ...पान के प्रति बढ़ता उत्साह समाज को धीरे–धीरे विघटन की ओर ...जा रहा है, जो चिंता का विषय है। गाँधीजी ने मद्यपान के ...ध में लिखा है कि "शराब की ओर लपकना धधकती हुई भट्टी ...र चढ़ी हुई नदी की ओर लपकने से भी ज्यादा खतरनाक है। ...ठी या नदी से तो शरीर का नाश होता है, मगर शराब शरीर और ...त्मा दोनों का नाश करती है।"

अर्थात् नशे का प्रभाव हमेशा घातक एवं तबाही को बढ़ावा देना ही होता है। मद्यपान के दुरूपयोग को न केवल विपथगामी व्यवहार के रूप में, बल्कि एक सामाजिक समस्या के रूप में भी देखा जा सकता है, जो पूरे समाज को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहा है।

अध्ययन का महत्व :

कोई भी राष्ट्र तभी एक विकसित और स्वस्थ राष्ट्र कहलाता है, जब उस राष्ट्र के आम नागरिक स्वस्थ और पोषित हो, उनमें आत्म साहस, शक्ति और ऊर्जा का संचार हो। प्रत्येक व्यक्ति अपना समग्र राष्ट्र के निर्माण एवं उसके विकास में समर्पित कर राष्ट्र को उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुँचा सके, यह तभी संभव है जब समाज से नशा जड़ से समाप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व भी है कि वह समाज की उन्नति एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का अंदाज़ा वहां निवासरत लोगों के जीवन स्तर, रहन–सहन, खान–पान सभी स्थितियों से लगाया जा सकता है अर्थात समाज की उन्नति हेतु समाज के लोगों का नशा से मुक्त होना अति आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्य :

(1) मद्यपान के कारणों का अध्ययन करना।

(2) मद्यपान के दुष्परिणामों को ज्ञात करना।

अध्ययन क्षेत्र :

(अ) अध्ययन क्षेत्र : धमतरी के अटल आवास पंचवटी कॉलोनी व जोधापुर नगर में निवासरत 106 उत्तरदाताओं का

*शोधार्थी, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
**प्राध्यापक (समाजशास्त्र विभाग), शासकीय बी.सी.एस.महाविद्यालय, धमतरी (छत्तीसगढ़)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
DHAMTARI (C.G.)

Volume 5 | Issue 11 | November-2016

ISSN - 2250-1991 | IF : 5.215 | IC Value : 77.65

Original Research Paper

Education

छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिलें में नवा जतन योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन

डॉ. मनदीप खालसा	प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी (छ.ग.)
कु. शीतल सोनकर	शोधार्थी,शोध केन्द्र, बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी (छ.ग.)

KEYWORDS

संक्षेप सार :-

कुपोषण पर नियंत्रण करके विश्व अर्थव्यवस्था के तीसरे देशो में शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर तथा मातृत्व मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। कुपोषण का सबसे निचला स्तर नवजात मृत्यु दर में वृद्धि के कारको को बढ़ाता है। उन नवजात व बच्चो की अपेक्षा जो पर्याप्त रूप से पोषित हैं। गर्भावस्था में तथा प्रसवोपरांत माताओं में कुपोषण बच्चों में कुपोषण का एक प्रमुख कारण है। महिलाओं में कुपोषण का स्तर युगों से चली आ रही लिंग भेदभाव और असमानता है। समुदाय में महिलाओं और बच्चो की स्थिति सर्वाधिक निम्न स्तर पर पायी जाती है। जो कि पोषण स्तर को बनाये रखने के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके समुचित विकास के लिए पौष्टिक आहार पहली प्राथमिकता है, जो स्वास्थ्य और संतुलित जीवन के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनो ही दृष्टि से पर्याप्त होनी चाहिए। इनकी पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हो सके तभी वे अपना स्वास्थ्य संतुलित एवं विकास सुनिश्चित कर पायेगें।

प्रस्तावना :- नवा जतन कार्यक्रम राज्य में ०१ जनवरी २०१२ से संचालित है। नवाजतन राज्य के जनसंख्या मे पारिवारिक एंव सामाजिक दृष्टिकोण मे परिवर्तन से बच्चो मे कुपोषण कम करने की महती योजना है। यह योजना एक राज्यव्यापी कार्यक्रम है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ एवं मितानिनो के द्वारा कुपोषण मुक्ति करने हेतु प्रयत्न किया जाता है। जिसमे परिवारो में घर भ्रमण कर स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा देना है। परिवारो के घर में उपलब्ध पोषण संबंधी स्थानीय संसाधनो पर समझ विकसित कर तदानुसार परामर्श दिया जा सकें। 'ासकीय योजनाओ का समय से लाभ दिलाया जा सके। गरीबी एवं कुपोषण के कारण अच्छा जीवन स्तर ,अच्छा स्वास्थ्य स्तर अच्छी शिक्षा प्राप्त करना कठीन समस्या है। महिलाओं एवं बच्चो के समुचित विकास से ही एक अच्छे और सभ्य समाज की कल्पना की जा सकती है।

अध्ययन का उद्देश्य :-

१. कुपोषण दूर करना है।

२. स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण शिक्षा देना है।

३. स्थानीय उपलब्ध खाद्य संसाधनों को अपनाना हैं।

अध्ययन का क्षेत्र एंव प्रविधि :- जिले मे नवा जतन कार्यक्रम की सफलता और असफलता का मुल्यांकन करना हैं। प्रस्तुत 'ोध पत्र द्वितीयक आकड़ों पर आधारित है ।

नवजतन चौथे चरण मे धमतरी जिले में लक्षित बच्चों की संख्या २०१५.१६

2015 16	0.42 माह				43.60 माह				0.60 माह				
	सामान्य	मध्यम	गंभीर	योग	सामान्य	मध्यम	गंभीर	योग	सामान्य	मध्यम	गंभीर	योग	
धमतरी शहरी	344	123	85	552	117	118	26	261	461	241	111	813	56.7
धमतरी ग्रामीण	615	251	129	995	202	220	73	495	817	471	202	1490	54.8
कुरूद	813	572	239	1624	532	502	136	1170	1345	1074	375	2794	48.1
मग. रलोड	236	138	54	428	127	108	24	259	363	246	78	687	52.8
नगरी	849	443	230	1522	147	179	52	378	996	622	282	1900	52.4
महयोग	2857	1527	737	5121	1125	1127	311	2563	3982	2654	1048	7684	51.8

चित्र कमांक 1.1 धमतरी जिले में नवजतन के अन्तर्गत सामान्य में लाये गये बच्चो का प्रतिशत

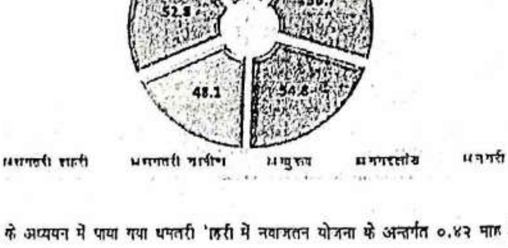

तालिका के अध्ययन मे पाया गया धमतरी 'हरी मे नवाजतन योजना के अन्तर्गत ०.४२ माह के कुल ५५२ बच्चो मे ८५ बच्चे गंभीर तथा १२३ बच्चे मध्यम कुपोषण में पाये गये। ४३.६० माह के बच्चों मे २६ बच्चे गंभीर तथा ११८ बच्चे मध्यम कुपोषण मे पाये गये। इसी प्रकार धमतरी ग्रामीण में ०.४२ माह के ६६५ बच्चो मे १२६ बच्चें गंभीर तथा २५१ बच्चें मध्यम कुपोषित पाये गये। तथा ४३.६० माह के ४६५ बच्चो में से ७३ बच्चें गंभीर तथा २२० बच्चें मध्यम कुपोषण से ग्रसित पाये गये। कुरूद विकासखण्ड मे ०.४२ माह के १६२४ बच्चो में २३६ बच्चे गंभीर कुपोषित तथा ५७२ बच्चें मध्यम कुपोषण मे पाये गये। तथा ४३.६० माह के ११७० बच्चो में से १३६ बच्चें गंभीर कुपोषित तथा ५०२ बच्चें मध्यम कुपोषित पाये गये। मगरलोड विकासखण्ड मे ०.४२ माह के ४२८ बच्चो में ५४ बच्चे गंभीर तथा १३८ बच्चे मध्यम कुपोषण से ग्रसित पाये गये। तथा ४३.६० माह के २५६ बच्चो मे २१ बच्चें गंभीर तथा १०८ बच्चें मध्यम कुपोषित पाये गये। नगरी विकासखण्ड मे ०.४२ माह के १५२२ बच्चो मे ४४३ बच्चें मध्यम कुपोषित तथा २३० बच्चे गंभीर कुपोषण ग्रसित पाये गये। ४३.६० माह के ३७८ बच्चों में से १७६ बच्चें मध्यम कुपोषित तथा ५२ बच्चें गंभीर कुपोषित पाये गये। अध्ययन से स्पष्ट है कि धमतरी में ०.४२ माह के ५१२१ बच्चो में से ७३७ गंभीर कुपोषित तथा ४३.६० माह के २५६३ बच्चों में से ३११ बच्चें गंभीर कुपोषित पाये गये।

धमतरी जिले में नवाजतन योजना के अन्तर्गत ०.६० माह के बच्चो का प्रतिशत

प्रतिशत मे	0.42 माह	कुपोशित बच्चों का प्रतिशत	43.60 माह	कुपोशित बच्चो का प्रतिशत	0.60 माह	कुपोशित बच्चो का प्रतिशत
धमतरी शहरी	62.3	37.7	44.8	55.2	56.7	43.3
धमतरी ग्रामीण	61.8	38.2	40.8	59.2	54.8	45.2
कुरूद	50.1	48.9	45.5	54.5	48.1	51.9
मगरलोड	55.1	44.9	49.0	51	52.8	47.2
नगरी	[illegible]	44.2	38.9	61.1	52.4	47.6
महायोग	55.90	44.2	[illegible]	50.1	51.8	40.2

चित्र कमांक 1.2 जिले के विकासखण्डो में सामान्य कुपोषित का प्रतिशत

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

ijecs
www.ijecs.in
International Journal Of Engineering And Computer Science ISSN: 2319-7242
Volume 4 Issue 11 Nov 2015, Page No. 15107-15115

Performance Measures for a three-unit compact circuit

Ashish Namdeo[1], V.K. Pathak[2] & Anil Tiwari[3]
Comp-Tech Degree College, Sorid Nagar, Dhamtari(Chhattisgarh), India
B.C.S. Govt. P.G. College, Dhamtari PIN 493773, (Chhattisgarh), India
Disha College, Ramnagar Kota, Raipur, (Chhattisgarh), India

Abstract

This paper analyses a three component system with single repair facility. Denoting the failure times of the components as T_1 and T_2 and the repair time as R, the joint survival function of (T_1, T_2, R) is assumed to be that of trivariate distribution of Marshall and Olkin. Here, R is an exponential variable with parameter α and T_1 and T_2 are independent of each other. In this paper use of Laplace-Transform is taken for finding Mean Time Between Failure, Availability and Mean Down Time and table for Reliability measure is shown in the end.

Key Words : MTBF, Availability, MDT, Reliability.

[1] Introduction

Reliability measures for a two-component standby system with repair facility were obtained by several authors under different assumptions in the past. Lie et al. (1977) and Yearout et al. (1986) have done extensive reviews for the failure times and repair times assuming that these are statistically independent. Joshi and Dharmadhikari (1989) considered the bivariate exponential distribution to derive the performance measures associated with a two-component standby system. Goel and Srivastava (1991) considered a correlated structure for the failure and repair times and obtained various reliability measures.

In many situations, a unit or system can be repaired immediately after breakdown. In such cases, the mean time between failures refers to the average time of breakdown until the device is beyond repair. When a system is often unavailable due to breakdowns and is put back into operation after each breakdown with proper repairs, the mean time between breakdowns is often defines as the mean time between failures. If we consider only active repair time i.e. the time spent for actual repair, then the mean time to repair (MTTR) is the statistical mean time for active repair. It is the total active repair time during a given period divided by the number of during the same interval. Frequently, a system may be unavailable on account of periodic inspections and not because of breakdowns. By the systematic inspection or preventive maintenance for the detection of defects and prevention of failures, the system is kept in a satisfactory operational condition. The time spent for

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI (C.G.)

International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication
Volume: 3 Issue: 12

ISSN: 2321-8169
6493 - 6502

Estimation of Reliability Parameters of a Complex Repairable System

V.K. Pathak[1] , Ashish Namdeo[2] & Anil Tiwari[3]
1. B.C.S. Govt. P.G. College, Dhamtari , (Chhattisgarh), India
2. Comp-Tech Degree College, Sorid Nagar, Dhamtari(Chhattisgarh), India
3. Disha College, Ramnagar Kota, Raipur, (Chhattisgarh), India

Abstract:-In this paper estimation of reliability parameters of a complex repairable system is considered and semi-markov process is used in analyzing various reliability parameters such as Transition Probabilities, Mean sojourn times, MTSF, Availability and Busy period of repairman in repairing the failed units. In the past, Arora et-al[2] has done reliability analysis of two unit standby redundant system with constrained repair time. Gupta et-al [6] has worked on a compound redundant system involving human failure. Rander et-al [2] has evaluated the cost analysis of two dissimilar cold standby systems with preventive maintenance and replacement of standby units. A pioneer work in this field was done by Gopalan [1] and Osaki [3] by performing analysis of warm standby system and parallel system with bivariate exponential life respectively. Earlier, Pathak et al [7&8] studied reliability parameters of a main unit with its supporting units and also compared the results with two different distributions. In this paper, Chapman-Kolmogorov equations are used to develop recursive relations. Also the involvement of preventive maintenance in the model increases the reliability of the functioning units. In the end a particular case is also taken for discussion.

Keywords: Regenerative Point, MTSF, Availability, Busy Period Subject Classification: 53A04, 53A05

*****

System Description about the model:

The system consists of three units namely one main unit A and two associate units B & C. Here the associate unit B and C dependents upon main units A and the system is operable when the main unit and at least one associate unit is in operable. Main unit are employed to rotate B and C. As soon as a job arrives, all the units work with load. It is assumed that only one job is taken for processing at a time. There is a single repairman who repairs the failed units on first come first served basis. Using regenerative point technique several system characteristics such as transition probabilities, mean sojourn times, availability and busy period of the repairman are evaluated. In the end the expected profit is also calculated.

Assumptions used in the model:

a. The system consists of one main unit and two associate units.
b. The associate unit A and B works with the help of main units.
c. There is a single repairman which repairs the failed units on priority basis.
d. After random period of time the whole system goes to preventive maintenance.
e. All units work as new after repair.
f. The failure rates of all the units are taken to be exponential whereas the repair time distributions are arbitrary.
g. Switching devices are perfect and instantaneous.

Symbols and Notations:

p_{ij} =Transition probabilities from S_i to S_j

μ_i =Mean sojourn time at time t

E_0 =State of the system at epoch t=0

E=set of regenerative states $S_0 - S_5$

$q_{ij}(t)$ = Probability density function of transition time from S_i to S_j

$Q_{ij}(t)$ =Cumulative distribution function of transition time from S_i to S_j

$\pi_i(t)$ = Cdf of time to system failure when starting from state $E_0 = S_i \in E$

$\mu_i(t)$ =Mean Sojourn time in the state $E_0 = S_i \in E$

$B_i(t)$ =Repairman is busy in the repair at time t / $E_0 = S_i \in E$

$r_1 / r_2 / r_3 / r_4$ =Constant repair rate of Main unit A /Unit B/Unit C/Unit A&B or A&C

$\alpha / \beta / \gamma$ =Failure rate of Main unit A /Unit B/Unit C

PRINCIPAL Govt. P.G. College Dhamtari (C.G.)
G.C.S. GOVT. P.G. DHAMTARI (C.G.) No.... Dt....

www.ijecs.in
International Journal Of Engineering And Computer Science ISSN:2319-7242
Volume 4 Issue 12 December, 2015 Page No. 15252-15257

Analysis of a Semi-Markov Model for Software Reliability

Ashish Namdeo[1], V.K. Pathak[2] & Anil Tiwari[3]

Comp-Tech Degree College, Sorid Nagar, Dhamtari(Chhattisgarh), India
B.C.S. Govt. P.G. College, Dhamtari PIN 493773, (Chhattisgarh), India
Disha College, Ramnagar Kota, Raipur, (Chhattisgarh), India

Abstract: In this paper analysis of a semi-markov model is done with reference to famous Jelinski-Moranda model which is probably the first model in software reliability. Fault removal resulting from the execution of program depends on the occurrence of the associated failure. Occurrence of failure depends both on the length of time for which the software has been executing and on the execution environment or operating condition. When different functions are executed, different faults are encountered and failures that are exhibited tend to be different.

Key Words: Semi-Markov Process, Decreasing Failure Intensity, Geometric De-Eutrophication

Markov Process Modelling :

Markov processes which are a general class of stochastic processes have been widely used and studied in Reliability Analyses. Many reliability models also belong to this category. A Markov Process is characterized by its state space together with the transition probabilities between these states.

A Stochastic Process $\{X(t), t \geq 0\}$ is said to be a Markov Process if its future development depends only on the present state of the process but not on the past i.e.

$$P[X(t) \geq x(t) \mid X(t_1) \geq x_1, \ldots\ldots\ldots\ldots, X(t_n) \geq x_n] = P[X(t) \geq x(t) \mid X(t_n) \geq x_n]$$

for all $t_1 < t_2 < \ldots\ldots t_n < t$.

The above property is generally called the Markov Property which has the following explanation: Given the present state of the process, its future behavior is independent of the past history of the process. This is the most important characteristic of a Markov Process. If the state space is discrete, a Markov Process is also called the Markov Chain. Let p_{ij} be the transition probability of the process between state i and j, i.e. $p_{ij}(t+s)=P[X(t+s) = j \mid X(s) = i]$, s , t > 0.

In general, p_{ij} may depend on t as well as on s. If all p_{ij}, i, j > 0 are independent of t, the Markov Chain is called time homogeneous.

The most famous result of homogeneous continuous time Markov Chain is that it satisfies the so called Kolmogorov equation, i.e. $p_{ij}(t+s)=\sum p_{ik}(s)\, p_{kj}(t)$, s , t > 0.

The theory of Markov Processes is well developed. The initial condition of the process

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

Indian Journal of Socio Legal Studies. ISSN 2320-8562. Impact Factor (IIJIF):2.13
Vol.-VII. Issue-II. July-Dec. 2018

वर्तमान समय में सूचना के अधिकार की प्रासंगिकता

दुर्गेश प्रसाद*

प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में आम जनता ही देश की मालिक होती है । मालिक होने के कारण ही जनता को यह जानने का अधिकार है कि जो सरकार उसके लिए कार्य कर रही है वह कहां, कैसे एवं क्या कर रही है सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1)के तहत एक मूल अधिकार है 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब तक लोगों को जानने का अधिकार नहीं होगा तब तक वह अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकेंगे, आगे न्यायालय ने कहा कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है यहां की जनता ही देश की मालिक है । इसलिए जनता यह जानना चाहेगी कि उसकी सरकार कैसे चल रही है । सभी नागरिक टैक्स अदा करते हैं। यहां तक एक भिखारी भी टैक्स देता है। जब वह बिस्कुट का पैकेट या साबुन बाजार से खरीदता है, तो नागरिकों को यह जानने का हक है कि उनका पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है।यदि हम इस अधिनियम की प्रस्तावना का अध्ययन करें, तो हमें इस अधिनियम के पारित करने के उद्देश्य का पता चलता है:-

अधिनियम के पारित करने के निम्नलिखित उद्देश्य है:-

1. *नागरिकों को उनके अधिकार से परिचित कराना।*
2. *सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में रखी सूचनाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।*
3. *सरकारी अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना।*
4. *सूचना के लेन-देन में पारदर्शिता लाना।*
5. *सरकार द्वारा नागरिकों को सूचना देना लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए स्वास्थ्य कर और लाभदायक है।*
6. *भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना ।*
7. *सरकारों तथा उनके प्राधिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है।*
8. *सूचना प्राप्त करने में सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग होना भी है साथ ही संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है।*
9. *प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।सरकारों के कुशल संचालन सीमित वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने के साथ परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य पैदा करना।*
10. *सरकारी अभिलेखों दस्तावेजों इत्यादि को सुरक्षित रखना ।*

सूचना का अधिकार अधिनियम के पारित करने के कारण:-

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारदर्शिता का सर्वाधिक महत्व है ।पारदर्शिता लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के साथ-साथ लोक सेवकों में उत्तरदायित्व की भावना का संचार करती है। किसी भी शासन प्रणाली को उत्तरदायित्व जनहित के

* सहायक प्राध्यापक, बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविघालय धमतरी (छ. ग.)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B. C. S. GOVT. P. G. COLLEGE
No ...
Dt. ...
DHAMTARI

वर्तमान समय में महिला मानवाधिकार की प्रासंगिकता

दुर्गेश प्रसाद*
कोमल प्रसाद यादव**

प्रसिद्ध विचारक लास्की ने कहा है कि "अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ है जिनके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता" मनुष्य जिन अधिकारों का अधिकांशतः उपभोग कर रहा है वह उसे जन्म से ही प्रकृति व्दारा प्राप्त होते है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की, इस घोषणा में सभी व्यक्तियो के कुछ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया, इसमें कहा गया कि सभी व्यक्ति सम्मान व अधिकारों की दृष्टि से समान पैदा हुये है। अतः सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इस स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के अधिकारी है। वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे–जैसे सुदृढ़ होती गई महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष लाने की मुहिम में तेजी आती गई। विधि और न्याय के समक्ष समानता, लोक सेवाओं में नियुक्ति हेतु समान अवसर, विचार अभिव्यक्ति, निवास, रोजगार आदि की स्वतंत्रता पारिवारिक सम्पति में हिस्सेदारी, निर्णयन के प्रत्येक स्तर पर समानता, खान–पान, रहन–सहन शिक्षा आदि के क्षेत्र में समानता आदि मामलों में महिलाओं को न केवल पुरूषों के बराबर लाया गया बल्कि जहॉं कहीं आवश्यकता थी, वहॉं उनकी निष्ठा व सम्मान की रक्षा के लिये विशेष प्रावधान भी किये गये।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग मूलभूत मानवाधिकारों में मानव गरिमा और महत्व में तथा स्त्री–पुरूष के समान अधिकारों में आस्था व्यक्त करते है। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 द्वारा सभी राष्ट्रों को इसका सम्मान करने के लिये बाध्य किया गया है।[1]

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् द्वारा 1946 में महिलाओं की प्रास्थिति पर आयोग (द कमीशन ऑन 02 स्टेट्स ऑफ वीमन) स्थापित किया गया है। यह आयोग पूरे विश्व में महिलाओं की समानता की दिशा में की गई प्रगति की जॉंच व राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में स्त्रियों के अधिकारों को बढाने के लिये सिफारिश करता है।

महिलाओं के विकास और उत्थान के प्रति चेतना जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया। इसके तीन उद्देश्य स्पष्ट किए–सर्वप्रथम, पुरूष और महिलाओं को समानता का दर्जा देना, दूसरा विश्व शांति स्थापना की दिशा में महिला सहयोग प्राप्त करना व तीसरा विकास कार्य में स्त्रियों का योगदान देना। 1975 में महिलाओं के विकास के लिए प्रथम विश्व कार्ययोजना बनाई गई और महिला समानता के लिए महिला दशक (1975–1985) की घोषणा की गई महिला वर्ष के कार्यकमों को नई दिशा और सहयोग के बिन्दुओं पर बल देते हुए निम्नलिखित कार्यकम बनाए गए:–

01. महिलाओं के साथ जन्मजात, जातिगत धर्म राष्ट्रीयगत भेदभाव की समाप्ति हेतु प्रयास करना।
02. सामाजिक अन्याय समाप्त होना चाहिए।
03. महिलाओं को पुरूषों के समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए।
04. विश्व शांति में द्वेष व समाज निर्माण में महिलाओं की अधिकारिक साझेदारी होनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा व्दारा 18 दिसम्बर 1979 को महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर प्रसंविदा को स्वीकार किया और यह संविदा 3 सितम्बर 1981 से लागू हुई इस संविदा को महिला अधिकारों की दिशा में मील का पत्थर माना जाता है। इसमें प्रस्तावना सहित कुल 30 अनुच्छेद है यह प्रसंविदा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार सिद्धांतों एवं सभी जगह पर महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के उपायों को सभी देशों व्दारा वैधानिक रूप से स्वीकृति प्राप्त एवं बाध्यतापूर्ण अभिलेख है यह ऐसा सर्वमान्य अभिलेख है जो–

01. महिलाओं के विरूद्ध किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकारों से कानून बनाने की अपेक्षा करता है।
02. महिलाओं को [illegible] बाहर रखने की प्रवृत्तियों [illegible] लगाना

---

* सहायक प्राध्यापक (विधि) बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)
** सहायक प्राध्यापक (विधि) बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

महिला सशक्तिकरण : विधिक और सामाजिक मूल्य

*कोमल प्रसाद यादव

प्रस्तावना

महिला समाज की अभिन्न अंग है।, ये माता, पत्नी, बहन, बेटी के रुप में सृष्टि की रचना करती है। इसी कारण से भारतीय संस्कृति में महिला को विशेष स्थान दिया गया है। महिलाओं के सन्दर्भ में यह कहा जाता है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जिस घर में नारी का सम्मान है, वहाँ देवता वास करते है। प्राचीन काल भारतीय महिलाओं का स्वर्णिम काल था। पुरुष प्रधान व्यवस्था होने के बावजूद भी महिलाओं का समाज मे सम्मान था, प्रतिष्ठा थी और उन्हे आगे बढ़ने की स्ववत्रता थी। परन्तु बीच मे एक ऐसा भी समय आया जब महिला का स्वर्णिम काल संकट में पड़ गया और पाश्चात्य एवं भौतिकतावादी संस्कृति के प्रभाव ने महिला के स्वर्णिम काल को विकृत कर दिया। महिलाओं की उपेक्षा होने लगी और वह तिरस्कार का पात्र बनकर रह गयी महिलाओं ...त्र भोग विलास का साधन समझा जाने लगा गया। लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नही रही और जैसे–जैसे संस्कृति एवं सभ्यता का विकास हुआ, शैक्षिक विकास हुआ वैसे–वैसे महिलाओं में चेतना जागृत हुई और उनका बीता हुआ गौरव शाली दिन पुनः लौटने लगा एव इनके संरक्षण के लिए संविधान एवं विधानों में व्यवस्था की गई। इस प्रकार अब महिलाओं की स्थिति पुनः सुदृढ़ होने लगी है। और महिला अब पुरुष के समकक्ष हो गई है, कई क्षेत्रो में वह पुरुष से आगे भी निकल गई है। यह सच है कि महिला प्राचीन युग के अभिशप्त जीवन से निकल कर आधुनिक जीवन की प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता में श्रेष्ठतम स्थान पाने में समर्थ रही है। आधुनिक महिला स्वतन्त्र है, सत्ता का दॉवपेच हो या खेल का मैदान वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रयोग शाला हो या कला, साहित्य का संसार हो, या अंतरिक्ष की ऊचाईयाँ हो, सिन्धु की गहराइयाँ हो या पर्वतों की ऊचाइयॉ, आज जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने चरण चिन्ह अंकित किये है। बावजूद इसके जब भी कोई महिला अपने परम्परागत कर्मक्षेत्र की लक्ष्मणरेखा को लाँघकर अपनी पहचान के लिए संघर्श करती है। तो समाज उसे शंका और सन्देह की दृष्टि से देखता है। वस्तुतः 21 वी सदी स्वतन्त्र व प्रबल प्रास्थिति वाली महिला की सदी है, किन्तु ज्यो–2 महिला पुरूष प्रधानता की बेढियो को काटकर आगे बढना चाह रही है, त्यो–2 पुरातनपंथी मानसिकता के पुरूषो में छटपटाहत हो रही है और वो भिन्न–2 आरोप लगाकर स्त्रियों को पुनः परम्परागत ढाँचे में ढाल देना चाहते है ।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओ को पुरूषो के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रो में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्यता से है। भारत में महिला सशवित्तकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की समाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है। सशवित्तकरण एक व्यापक शब्द है, जिसमें

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

*सहायक प्राध्यापक, विधि, बी. सी. एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी (छ.ग.)

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Sociology**
Research Link - 156, Vol - XVI (1), March - 2017, Page No. 53-55
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

मधुमेह रोग से ग्रसित वृद्धों की स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन (आरंग विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में मधुमेह रोग से ग्रसित वृद्धों की स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन, आरंग विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है तथा गाँवों में वृद्धों के स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं को परिवार में अन्य सदस्यों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है, जिस कारण ग्रामीण वृद्ध अनेक स्वास्थ्यगत समस्याओं से ग्रसित हैं। इस समस्या के समाधान हेतु परिवार में सभी सदस्यों द्वारा स्नेह भाव से उनकी देखभाल करनी चाहिए, ताकि वे मानसिक रुप से अपने आपको असहाय न समझे तथा उनमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके।

श्रीमती प्रमिला नागवंशी*, डॉ.अनिता राजपूरिया** एवं डॉ.निस्तार कुजूर***

प्रस्तावना

स्वास्थ्य मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूंजी है। स्वास्थ्य से ही मानव जाति के सभी कार्यो का संचालन हो पाता है, जिससे समाज से लेकर देश का सर्वांगीण विकास सभव है। समाज मे लोगो के सामाजिक, आर्थिक एव प्रगति से स्वास्थ्य का घनिष्ठ रुप से संबध है तथा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ ही अनेक सामाजिक, सास्कृतिक व आर्थिक कारको द्वारा निर्धारित व प्रभावित है। किसी भी समाज के लोगो का स्वास्थ्य स्तर ही उस समाज की स्थिति को व्यक्त करती है क्योंकि मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओ मे स्वास्थ्य का विशेष महत्व है। लोगो का जैसा जीवन स्तर होता है वैसा ही उसका स्वास्थ्य स्तर भी होता है।

भारत देश की अधिकाश जनसख्या गाँवो मे निवासरत है और गाँवो मे वृद्धो का स्वास्थ्य स्तर अभी भी चितनीय है क्योंकि ग्रामीण परिवारो मे आज भी वृद्धो के स्वास्थ्य को अन्य पारिवारिक सदस्यो की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। यह स्वास्थ्य की दशा आयु के अनुसार बदलती रहती है। वृद्धावस्था मे शरीर के कमजोर होने से स्वास्थ्य स्तर अपने आप गिरने लगती है। वीणापाणि (1998)[1] ने अपने अध्ययन मे लिखा है कि स्वास्थ्य एक स्थिर अवधारणा न होकर गतिशील अवधारणा है, जो कभी उच्च स्थिति तो कभी निम्न स्थिति की ओर चलती है।

प्रारम्भ से ही स्वास्थ्य और रोग सबधी समस्याएँ समाज मे विद्यमान रही है प्रत्येक समाज मे स्वास्थ्य की अनुकूल दशाओं एव रोग- ग्रस्त परिस्थितियो के नियत्रण के लिये अलग-अलग उपचार विश्वास एव व्यवहार प्रतिमानो का प्रचलन रहा है। समाज मे स्वास्थ्य समस्याएँ एक गंभीर समस्या बन चुकी है विशेषकर ग्रामीण वृद्ध इनकी स्थिति भी दयनीय है। वृद्धावस्था मे वृद्ध अनेक रोगो से ग्रसित होते हैं, उनमें से एक है मधुमेह रोग। विश्व स्वास्थ्य सगठन के अनुसार मधुमेह आने वाले 15 वर्षो में महामारी का रुप ले सकता है। विश्व मे मधुमेह एक ऐसा रोग है, जो अनियंत्रित होने पर अनेक रोगो को जन्म देता है। रक्त मे शर्करा के स्तर मे वृद्धि होने के कारण से मधुमेह होता है। अरूण कुमार दुबे (2003)[2] ने अपने अध्ययन मे जौनपुर के 50 मधुमेह रोगी वृद्ध उत्तरदाताओ के अध्ययन से स्पष्ट किया है कि वृद्धावस्था मे मधुमेह एक घातक रोग बन गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र आरंग विकासखण्ड के 51 मधुमेह रोग से ग्रसित वृद्धो पर आधारित है।

अध्ययन के उद्देश्य :

(अ) मधुमेह रोग से ग्रसित वृद्धो की स्थिति का अध्ययन करना।

(ब) मधुमेह रोग से ग्रसित होने के प्रमुख कारणो का अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति :

शोध अध्ययन मे अध्ययन पद्धति को तीन भागों मे विभक्त कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

(अ) अध्ययन क्षेत्र :

आरंग रायपुर से 37 कि.मी. की दूरी पर पूर्व दिशा मे स्थित है। आरग विकासखण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 903.69 वर्ग कि.मी. है, जिसमे कुल ग्रामो की सख्या 167 है। यहाँ की कुल जनसख्या 226445 है, जिसमे पुरुषो की संख्या 113924 एव

*शोधार्थी, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
**शोध-निर्देशक, शासकीय वी.सी.एस.महाविद्यालय, धमतरी (छत्तीसगढ़)
***सह शोध-निर्देशक, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
No.......
DHAMTARI (C.G.)

www.ijecs.in
International Journal Of Engineering And Computer Science ISSN: 2319-7242
Volume 5 Issues 7 July 2016, Page No. 17243-17255

Availability and Reliability analysis of a system having main unit and its sub unit & two associate units

V.K. Pathak[1], *H.L. Manker*[2]

Assistant Professor, BCS Govt. P.G. College, Dhamtari (C.G.),

Email: vkpath21162@yahoo.co.in

Assistant Professor, Govt. G. S. G. P.G. College, Balod (C.G.).

Email: hl_manker@rediffmail.com

ABSTRACT

Reliability is one of the most vital elements in Information industry. An understanding of failure process is central to any effort to model development and availability is closely related to reliability and can be calculated from reliability. Reliability measurements such as Transition Probability, Mean time to system failure, Availability and Busy period of repairman in repairing the failed units can be used to guide managerial and engineering decisions on various projects. This basic model represents a system having one main unit along with its sub unit and two of its associate units. Functioning of main unit is essential for the functioning of the system. Associate units depend on the main unit and sub unit. The system fails as soon as the main unit fails. There is a single repairman who is always available and repairs the failed unit. After a random period of time, the whole system goes for preventive maintenance. In this paper the failure and repair time distributions are taken to be exponential. Using Markov regenerative process, several system characteristics using chapman-kolmogorov equations are evaluated and profit analysis is done. This kind of analysis is of immense help to the owners of small scale industry. Also the involvement of preventive maintenance in the model increases the reliability of the functioning units.

Keywords: Regenerative Point, MTSF, Availability, Busy Period

Academic Discipline: Mathematics

Subject Classification: 53A04, 53A05

1. Introduction: In the past, Arora et-al[2] has done reliability analysis of two unit standby redundant system with constrained repair time. Gupta et-al [6] has worked on a compound redundant system involving human failure. Rander et-al [2] has evaluated the cost analysis of two dissimilar cold standby systems with preventive maintenance and replacement of standby units. A pioneer work in this field was done by Gopalan [1] and Osaki [3] by performing analysis of warm standby system and parallel system with bivariate exponential life respectively. [illegible]ric Pathak et al [7&8] studied reliability parameters of a main unit with its supporting units and also compared the results with two different distributions. This particular system consists of four units namely one main unit M, one sub unit A and two associate units B & C. Here the associate units B and C dependents upon main units M and sub unit A . The system is operable when the main unit, sub unit and at least one associate unit is in operation. Main unit and sub units can also function with either of B or C. As soon as a job arrives, all the units work with load. It is assumed that only one job is taken for processing at a time. There is a single repairman who repairs the failed units on priority basis. Using regenerative point technique several system characteristics such as transition probabilities, mean sojourn times, availability and busy period of the repairman are evaluated. In the end the expected profit is also calculated

3. Assumptions used in the model:

a. The system consists of one main unit, one sub unit and two associate units.

b. The associate unit A and B works with the help of main unit and sub unit.

c. There is a single repairman which repairs the failed units on priority basis.

d. After random period of time the whole system goes to preventive maintenance.

e. All units work as new after repair.

f. The failure rates of all the units are taken to be exponential whereas the repair time distributions are arbitrary.

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B. C. S. GOVT. P. G. COLLEGE DHAMTARI No. ...

समता का अधिकार : एक अवलोकन

*कोमल प्रसाद यादव, **दुर्गेश प्रसाद
*सहायक प्राध्यापक (विधि) बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी, उत्तराखण्ड
**सहायक प्राध्यापक (विधि) बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी, उत्तराखण्ड

भारतीय संविधान के सृजनकर्ता फ्रासींसी क्रान्ति के उद्घोष वाक्य "स्वतन्त्रता और समानता सभी मनुष्यों में जन्म से पाये जाते हैं तथा ये उनके अभिन्न अंग है" से प्रभावित थे। अतएव संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता का लक्ष्य रखा। समता न्याय का आधार है। समता के अधिकार के बगैर किसी भी संविधान को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। अतः लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक संविधान में यह अधिकार नीहित होता है। समता के अधिकार का उल्लेख मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणापत्र एवं अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में है। समता का विचार न्याय की अवधारणा में निहित है। समता तथा न्याय मानों एक दूसरे के पर्याय है तथा असमानता एवं न्याय परस्पर एक दूसरे के विरोधी है। विधि के समक्ष समता विधि के शासन की अनिवार्यता है।[1]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है जो इस प्रकार है "राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता का अर्थ है राजा हो या प्रजा सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है अर्थात् विधि के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक रूप से कितना ही बलशाली क्यों न हो। समता विधि की आत्मा होती है, जब विधि से उसकी आत्मा यानि समता निकाल दी जाये तो यह क्यों न मान लिया जाये कि ऐसी विधि वास्तव में विधि न होकर मात्र विधि का प्राणहीन या आत्मविहीन शरीर है? जैसे प्राणहीन या आत्मविहीन शरीर में शीघ्र ही दुर्गन्ध आने लगती है और उसमें कीड़े उत्पन्न होने लगते है ठीक वैसे ही समता की आत्मा रहित विधि में मनमानी एवं भ्रष्ट्राचार के कीड़े क्यों नहीं उत्पन्न होंगे।[2] समता का अधिकार मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 में समता का सामान्य नियम दिया गया है। तथा अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 सामान्य नियम के विशिष्ठ उदाहरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दो वाक्याशों का प्रयोग किया गया है। 1. विधि के समक्ष समता, 2. विधियों का समान संरक्षण।[3]

विधि के समक्ष समता –

विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है जिसके द्वारा राज्य पर यह बाध्यता लगाई गयी है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक ही विधि बनाएगा और उसे समान रूप से सब पर लागू करेगा। डॉ० जेनिंग्स[3] ने कहा है कि विधि के समक्ष समता का तात्पर्य यह है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच समान विधि होनी चाहिए और समान रूप से लागू की जानी चाहिए तथा एक तरह के व्यक्तियों के साथ एक तरह का व्यवहार करना चाहिए। समान कार्य के लिए किसी पर मुकदमा दायर करने या किसी के द्वारा मुकदमा दायर किये जाने तथा किसी पर अभियोजन चलाने या किसी के द्वारा अभियोजित किये जाने का अधिकार पूर्ण आयु के सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए और यह बिना किसी धर्म, मूलवंश, सम्पत्ति, सामाजिक स्तर या राजनीतिक भेदभाव के होना चाहिए। विधि के समक्ष समता को प्रो० डायसी[4] ने इंग्लैंड में विधि का शासन कहा है। "विधि का शासन" का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं हैं, प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद जो कुछ भी हो, देश की सामान्य विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर है। राष्ट्रपति से लेकर देश का निर्धन से निर्धन व्यक्ति समान विधि के अधीन है और बिना औचित्य के किसी कृत्य के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। डायसी के अनुसार विधि शासन से तात्पर्य निम्नलिखित तीन बातों से है –

1. मनमानी शक्ति का अभाव या विधि की सर्वोच्चता।
2. विधि के समक्ष समता।
3. संविधान सामान्य विधि का परिणाम है।

विधियों का समान संरक्षण –

विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इस पदावली का प्रयोग मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में किया गया है अनुच्छेद 7 के अनुसार विधि के समक्ष सभी समान है और बिना किसी विभेद के सभी विधि के संरक्षण के अधिकारी है।[5] विधियों के समान संरक्षण का तात्पर्य समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना है। असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समानता के व्यवहार का कोई अर्थ नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार[6] इस मामले में न्यायधीश पतंजलि शास्त्री ने यह निर्णीत किया कि –

1. दोनों अभिव्यक्तियों में शायद ही कोई सारवान भेद है, दोनों ही समान न्याय की अवधारणा प्रकट करती है।
2. ऐसी परिस्थिति की कल्पना करना कठिन है, जिसमें विधियों के समान संरक्षण का उल्लंघन विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन न होगा।
3. समानता की अवधारणा यह इंगित करती है कि सामानों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए न कि असमानों के साथ समान व्यवहार।
4. विधि का समान संरक्षण विधि के समक्ष समानता का स्वाभाविक परिणाम है।

समता के नियम के अपवाद –

अनुच्छेद 14 में निहित समता का नियम आत्यंतिक नियम नहीं है और उनके अनेक अपवाद भी है। उदाहरण के लिए विदेशी कूटनीतिज्ञों को न्यायालय की अधिकारिता से विमुक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार भारतीय संविधान भी कुछ अधिकारियों को साधारण नागरिकों

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
GOVT P.G. CO... DHAMTARI (C.G.)

विधि और सामाजिक परिवर्तन से महिलाओं के कानूनी अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण

डॉ. सपना ताम्रकार
सहायक प्राध्यापक, विधि
बी.सी.एस. शास. स्नात, महाविद्यालय धमतरी (छ.ग)

हमारे अपने हिन्दू समाज में सदियों से सती प्रथा की कुरीति चली आ रही थी। पति के मरने के बाद पत्नी अपने पति की चिता पर सती हो जाती थी। समाज सुधारकों ने हमारी इस सामाजिक कुरीति के विरूद्ध आन्दोलन चलाया। आन्दोलन चलाने वालों में अग्रणी राजा राममोहन राय थे। विधि के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और सती होने या आत्मदाह को एक दाण्डिक अपराध घोषित कर दिया गया। साथ-साथ सती होने के लिए प्रेरित करने को भी अपराध का श्रेणी में रख दिया गया। इस तरह हिन्दू समाज में स्त्री को सती प्रथा से मुक्ति दिलाने में विधि सहायक हुई। बाल विवाह हमारे समाज की एक कुरीति रही है।

सामाजिक परिवर्तन समाज में सदैव विद्यमान रहता है क्योंकि प्रत्येक समाज में कुछ-न-कुछ मात्रा में असंतुलन सदैव बना रहता है। समाज में अधिकांश व्यक्ति या तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए नयी व्यवस्था के पक्ष में हो जाते हैं अथवा वे परिवर्तन लाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों का विरोध करते हैं। यह दोनों ही दशाएँ सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देती हैं। परिवर्तन एक सर्वव्यापी नियम है। इसी प्रकार विधि सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। मनुष्य के आचरण को विनियमित और नियंन्त्रित करने वाली अनेक विधियाँ हैं, जैसे धार्मिक विधि, नैतिक विधि, आचार संबंधी विधि आदि। परन्तु इन सभी विधियों के पीछे विधिक अनुशासित न होने के कारण, मानव आचरण को प्रभावकारी ढंग से विनियमित नहीं किया जा सकता। अत: सामाजिक परिवर्तन का भार विविध के कंधों पर आ गया है। एक ऐसे समाज में जो सामान्यतया [illegible] कम प्रगतिवादी है, वहाँ तो विधि का प्रयोग सामाजिक [illegible]वर्तन के एक सशक्त माध्यम के रूप में हो और प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से यह पेपर प्रस्तुत किया है। प्राय: नीतियों में परिवर्तन, विधि एवं विधिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावकारी बनाये जाते हैं जो कभी-कभी सामाजिक परिवर्तन की अगुआई तो कभी-कभी सामाजिक परिवर्तन का अनुसारण करते हैं। विधि के माध्यम से जब परिवर्तन की बात की जाति है तो मुख्यत: बाध्यकारी और उत्पीड़न के माध्यम से लागू करने योग्य नियमों की बात सोची जाती है जो विधायन, न्यायिक, प्रशासनिक और कार्यपालिका माध्यमों से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात है। ये विधि के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा विधि समाज के कई महत्वपूर्ण संबंधों पर आधारित होगी-विधि और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में संबंध, रूढ़िगत और विधिक-प्रशासनिक अन्त:करण और विधि को लागू करने के बीच संबंध हैं। इसी को सुनिश्चित करने के लिए विधि और सामाजिक परिवर्तन से महिलाओं के कानूनी अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण विषयक विधि पर शोधपत्र लिखने का प्रयास किया है।

शोध अध्ययन की आवश्यकता व महत्व :

हमारे अपने हिन्दू समाज में सदियों से सती प्रथा की कुरीति चली आ रही थी। पति के मरने के बाद पत्नी अपने पति की चिता पर सती हो जाती थी। समाज सुधारकों ने हमारी इस सामाजिक कुरीति के विरूद्ध आन्दोलन चलाया। आन्दोलन चलाने वालों में अग्रणी राजा राममोहन राय थे। विधि के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और सती होने या आत्मदाह को एक दाण्डिक अपराध घोषित कर दिया गया। साथ-साथ सती होने के लिए प्रेरित करने को भी अपराध का श्रेणी में रख दिया गया। इस तरह हिन्दू समाज में स्त्री को सती प्रथा से मुक्ति दिलाने में विधि सहायक हुई। बाल विवाह हमारे समाज की एक कुरीति रही है। यह समाप्त तो नहीं की जा सकी हैं परन्तु विधि ने इस दिशा में सार्थक प्रयोग किया है। बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में बाल विवाह अवरोध अधिनियम पारित किया गया। अब 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का शादी करना निषेध है। स्त्रियों एवं बालकों का अनैतिक व्यापार भी धनी एवं सामन्ती लोगों का फैशन रहा है। कोठों एवं कोठियों पर अबोध बालिकाओं एवं देवदासियों का नृत्य और देह-क्रीड़ा एक आम बात रही है। कभी इसे निर्धनता की आड़ में औचित्यपूर्ण माना गया तो कभी धर्म की आड़ में आधार एवं कारण कुछ भी रहा हो, इसे न तो विधिक कहा जा सकता है और न ही नीतिपूर्ण। आज भी निर्धनता और विवशता नारी को देह व्यापार की ओर प्रवृत्त किये हुए है। कोठे और

Received : 15 March,2017 Reviewed 20 March,2017 Accepted : 25 March 2017

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

मानवाधिकारो का हनन :–समस्या एवं समाधान

पंकज जैन*

संक्षेपिका

मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार समान रूप से प्राप्त है यही अधिकार मानवअधिकार है। यह अधिकार हमारी प्रकृति में ही अन्तर्निहित हैं। मानव अधिकार मूल अधिकार के रूप में सर्वोच्च है, क्योकि इनका अतिक्रमण राज्य द्वारा नही किया जा सकता और इसी दृष्टि से वे मानव के अंतराष्ट्रीय अधिकार है किन्तु यह चिन्ता का विषय है कि वर्तमान समय में मानव अधिकार के हनन कि प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है एवं लोग दूसरो के अधिकार का हनन करने लगे है यह निश्चित रूप से गंभीर समस्या है। प्रस्तुत अध्ययन का मेरा मुख्य उददेश्य मानवाधिकार के प्रति लोगो में जागरूकता उत्पन्न करके उनका संरक्षण करना एवं हनन होने पर उपचार प्रदान करने एवं आयोग आदि की कार्यप्रणाली से लोगो को अवगत कराना है।प्रस्तुत अध्ययन के पूर्व मेरी यह उपकल्पनाएँ थी कि लोग अपने अधिकारो के प्रति जागरूक नही है। एवं वे राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली से भी पूरी तरह अनभिज्ञ है। अतएव इसी उददेश्य से मैने उक्त विषय पर अध्ययन कार्य किया। इससे पूर्व इस विषय पर किये गए पूर्व शोध पत्रो का अवलोकन कर कुछ नए बिन्दुओ पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लोगो को राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय, मानवाधिकारो कि सार्वभौमिक घोषणा 1948, संविधान द्वारा प्रदत्त संरक्षण आदि का सही ज्ञान नही होना ही उक्त विषय पर सबसे बड़ी समस्या है अतएव प्रत्येक व्यक्ति को उनके मानवाधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करना ,संविधान प्रदत्त संरक्षण से अवगत कराना,आयोग कि कार्यप्रणाली से अवगत कराना,मानवाधिकार के उल्लंघन पर मिलने वाले दण्ड के जानकारी देना,आदि कुछ ऐसे उपाय है जिनसे मानवाधिकारो के हनन कि प्रवृति को नियंत्रित किया जा सकता है।

समाज में मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास हेतु कतिपय अधिकारो कि आवश्यकता होती है जिसके अभाव में उसके व्यक्तित्व का विकास समाज में असंभव है, इन्हे ही मांनव अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकार हमारी प्रकृति में अन्तर्निहित है जिनके विना हम मानवो कि भांति जीवित नहीं रह सकते। मानव अधिकार मनुष्य की एक ऐसे जीवन के लिए वढ़ती हुई मांग पर आधारित है जिसमें मानव में अन्तर्निहित गरिमा तथा गुण का सम्मान हो तथा उसे संरक्षण प्रदान किया जाये। मानवाधिकारों को मौलिक या मूल या नैसर्गिक अधिकार भी कहते है क्योकि इन्हे किसी विधायनी या सरकार के किसी कृत्य द्वारा छीना नहीं जा सकता। सभी सभ्य देश या संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था या निकाय भी इन्हें मान्यता देती है एवं स्वीकार करती है। मानवीय अधिकारों के संरक्षण में विधिक कर्तव्य में उनका सम्मान करने का कर्तव्य भी सम्मिलित है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान करने तथा उनका पालन करने हेतु वचनबद्ध है।[1]

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानव अधिकारों के विषय में चिन्ता कोई आधुनिक या नवीन बात नही है यह वास्तव में नैसर्गिक विधि एवं नैसर्गिक अधिकारो की परंपरा में भूतकाल के महान ऐतिहासिक आंदोलनों का उत्तराधिकारी है।[2]

भारतीय संविधान के भाग तीन में वर्णित मूल अधिकारो को इंग्लैण्ड के मेग्नाकार्टा, अमेरिका के बिल ऑफ राइटस एवं फ्रांस के मानव अधिकार घोषणा पत्र कि संज्ञा दी जाती है। इन्ही मानवाधिकारों के विषय पर मैने अध्ययन कर इनके हनन की समस्या एवं आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए है।

मैनें अपने उक्त विषय हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएं कि थी जो इस प्रकार है :–

1. लोगों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अभाव।
2. लोगों के मानवाधिकार का खुला उल्लंघन।
3. मानवाधिकार के प्रति लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त संरक्षण का सही ज्ञान न होना।
4. मानवाधिकार के हनन कि निरन्तर बढ़ती हुई घटनाएं।
5. उक्त विषय पर सही प्रचार–प्रसार का अभाव।

उक्त विषय पर अध्ययन करने का मेरा उद्देश्य निम्नलिखित रहा :–

1. प्रत्येक व्यक्ति को उनके मानवाधिकारों से अवगत कराना।
2. सेमीनार, संगोष्ठी एवं प्रचार–प्रसार के द्वारा मानवाधिकारों के प्रति चेतना जाग्रत करना।
3. मानवाधिकारों के उल्लंघन होने पर उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त रिट याचिका के द्वारा उपचार से लोगों को अवगत करना।

* सहायक प्राध्यापक (विधि)बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी(छ.ग.)

1 लाटरपैड ,इन्टरनेशनल लॉ एण्ड हयूमन राईटस ,पृष्ठ 152

2 जें ई एस.फासेट, द, ला ऑफ नेशन्स (एलियन लेन,द पेनगिन प्रेस, लंदन. 1968) पृष्ठ 151.

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

B. C. S. GOVT. P. G. COLLEGE
DHAMTARI (C.G.)
No. ...

अपराधों की रोकथाम में दंड की प्रासंगिकता

पंकज जैन*

संक्षेपिका

समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखना राज्य का एक आवश्यक कर्तव्य है राज्य अपने इस कर्तव्य का निर्वाह अपराधों की रोकथाम करके करता है। समाज मे धटित होने वाले अपराधों की संख्या में कमी लाने के लिए अपराधियों को दंडित किया जाना भी आवश्यक है। दंड का भय अपराधियों को अपराध कृत्य से विरत रहने के लिए विवष करता है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड आवष्यक भी है। विभिन्न समयानुसार दंड के सिद्धांतों एवं उददेष्यों में काफी परिवर्तन आया है साधारणतया दण्ड का उददेष्य अपराधों की रोकथांम करना, अपराध कि पुनरावृत्ति करने से अपराधी को रोकना, लोगों को अपराध कृत्य के परिणाम से परिचित कराना, समाज के स्वीकृत मूल्य कि रक्षा करना, लोगों में अपराध के प्रति भय उत्पन्न करना एवं सुधारना रहा है। उक्त विशय में अध्ययन के पूर्व मेरी यह उपकल्पना थी कि दण्ड ही ऐसा माध्यम है जो आपराधियों को सुधारकर उन्हे अपराध करने से विरत कर सकता है। इसी उपकल्पना के आधार पर मैने उक्त विशय पर किए गए कुछ शोधों का अध्ययन कर कुछं नये बिन्दुओं पर प्रकाष डालने का प्रयत्न किया है। दण्ड के अमानवीय एवं प्राचीन सिद्धांत आज विलुप्त हो चुके है और अपने आप में पूर्ण नही है। अतएव एक आदर्ष दंड नीति में पाए जाने वाले कुछ गुणों का वर्णन मैन अपने अध्ययन में किया है।

प्रस्तावना :–

बहुत प्राचीन काल से मानव समाज में सामाजिक नियमों को भंग करने वाले को वंडित करने की प्रथा चली आ रही है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने वाले आधारभूत तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व दण्ड है। दण्ड देने का उद्देश्य कानून या सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कष्ट देने या किसी सुख या अधिकार से वंचित कर देने से है जिससे उसे अपनी गलती का अहसास हो। इसका आदर्श रूप तभी संभव हो सकता है जब दण्ड के द्वारा सुधार एवं विकास का उद्देश्य रखा जाए। यदि दण्ड द्वारा अपराधी अपराध से विमुक्त नही होता तथा उसके व्यक्तित्व का और भी पतन होता है तो ऐसा दण्ड वास्तव में लाभकारी नही कहा जा सकता। दण्ड में कष्ट या उत्पीड़न निहित होता है। यह उत्पीड़न प्राणी के द्वारा, मन को चोट पहुंचाकर या शरीर को यातना देकर हो सकता है। यह उत्पीड़न या दण्ड अपराधी स्वयं अपनी अपराध रूपी कृत्य के परिणाम स्वरूप अर्जित करता है। वह अपराध के रूप में जो कर्म करता है, दण्ड उसी का परिणाम है। जिस प्रकार अपराध की व्याख्या में ही दण्ड का तत्व निहित है, ठीक उसी प्रकार दण्ड की अवधारणा एक सिक्के की भांति, एक ही व्यवहार के दो पहलू है। दण्ड का उद्देश्य केवल आपराधियों को केवल सजा देना ही नही है। वरन अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना भी है। प्राचीन काल में दण्ड का उद्देश्य बदला लेना था। जबकि वर्तमान परिपेक्ष्य में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर अपराधी में सुधार पर ध्यान दिया जाता है। दण्ड कि मात्रा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता पर निर्भर होती है।समाज में घटित होने वाले अपराधो की संख्या में कमी लाने के लिए अपराधियों को दण्डित किया जाना आवश्यक भी है।दण्ड का भय अपराधियों को अपराध कृत्य से अलग रहने हेतु विवश करता है। दण्ड निर्धारण करते समय न्यायालय अपराध के स्वरूप तथा अपराधी की परिस्थितियों के अलावा इस बात को भी देखते है कि अभियुक्त ने अपराध जानबूझ कर किया है अथवा वह उसकी असावधानी का परिणाम है।[1]

उद्देष्य :– प्रत्येक समाज में दण्ड के उद्देश्य भिन्न– भिन्न समय में भिन्न हो सकते है। सामान्यः दण्ड के उद्देश्य निम्नलिखित है:–

1. प्राचीन काल में दण्ड का मुख्य उद्देश्य बदला लेना होना था जबकि वर्तमान में अपराधी के सुधार करने पर बल दिया जाता है।
2. दण्ड का उद्देश्य अपराधी व्यक्ति के व्यवहार में आया दोष दूर करके उसे इस योग्य बनाना है कि वह समाज में पुनः एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में स्थापित हो सके एवं अपराध की पुनःरावृत्ति न हो।
3. दण्ड का उद्देश्य यह है कि स्वयं अपराधी ही नही वरन दूसरे व्यक्ति भी जब दण्डित को देखे तो वे भी ऐसे दण्डनीय कार्यो के करने से पहले ही वर्जित हो जाए। इस तरह अपराधों की रोकथाम करना एवं समाज के सदस्यों को अपराध करने से रोकना भी दण्ड का प्रमुख उद्देश्य है।
4. दण्ड का उद्देश्य उस क्षति को पूरा करना भी है जो अपराधी द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को या पूरे समुदाय को पहुँचाई गई है ताकि दूसरो को भी सबक सके ।
5. दण्ड का उद्देश्य अपराधी को प्रायश्चित का अवसर देना भी ताकि वह अपना ह्दय परिवर्तन कर सुधार कर सके।
6. दण्ड का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व व परिवर्तन को सुगम बनाना भी है। दण्ड भी उन साधनों में से एक है जिनके प्रयोग से नई पीढ़ी को समाज के अनुरूप बनाया जाता है, आदर्शो एवं मूल्यों को सुरक्षित रखा जाता है एवं आवश्यक परिवर्तनों को सुगम व कष्टहीन ढंग से संभव बनायां जाता है।
7. समाज के स्वीकृत मूल्य कीं रक्षा करना एवं सामाजिक एकता बनाये रखना भी दण्ड का उद्देश्य है।
8. दोषी व्यक्ति को देने से पीड़ित व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करना भी दण्ड का उद्देश्य रहा है ।
9. दण्ड का उद्देश्य अपराध के प्रति भय उत्पन्न करना एवं अपराधी को सुधारना भी है ।

---

* सहायक प्राध्यापक (विधि) बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी (छ.ग.)

1. गिरधारी लाल बनाम मेहता,ए. आई. आर. 1971सु. को 2162.

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI (C.G.)
No.

MAA, Vol. 13, No. 1, (January-June 2017), pp. 29-42
© Serials Publications
ISSN: 0973-3868

ECONOMIC AND PERFORMANCE EVALUVATION OF TWO UNIT COLD STANDBY SYSTEM WITH HARDWARE FAILURE AND HUMAN ERROR AND PM AT MOT

HEMANT KUMAR SAW, V.K. PATHAK AND G.K. GOSWAMI

ABSTRACT: In this paper we study the economic and performance evaluation of two non identical unit cold standby systems with hardware failure and human error. After pre specific time known as Maximum operation time (MOT) the system undergoes for PM from operative state. The failure and repair rate times follow exponential distribution. There is a single server who visits the system immediately whenever needed to carry out preventive maintenance and repair the unit works as good as new after preventive maintenance and repair Using semi Markov process and regenerative point techniques expression for various reliability characteristics are obtained and expected profit is calculated. At the last the results are discussed with the help of numerical values.

Keywords: Maximum operation time (MOT), Preventive maintenance (PM), Human error(HF), Profit, regenerative point techniques, and semi Markov process.

Subject classification: 90B25, 60K10.

1. INTRODUCTION

The failure of engineering systems is not only caused by hardware or software malfunctions, but also by human errors. In fact, the reliability of humans plays a crucial role in the entire system life cycle: design and development phase, manufacturing phase, and operation phase. Human errors is the probability of completing a job/task successfully by humans at any required stage in the system operation within a defined minimum time limit (if the time requirement is specified Hence, there is a definite need for incorporating the occurrence of human errors in system reliability evaluation. On other hand Redundancy technique has been considered as an effective strategy to improve performance of the systems. Therefore, the standby systems of identical units have attracted the attention of many system engineers for their applicability in their respective fields. But there are many systems in which redundancy cannot be provided either may because of high cost of the spare or due to complexity of the structure. In case of high cost of identical units, the non-identical unit (may be substandard unit) might be kept as spare in cold standby in order to maintain performance of repairable systems for a reasonable time.

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI

International Journal of Statistics and Systems
ISSN 0973-2675 Volume 12, Number 2 (2017), pp. 235-250
© Research India Publications
http://www.ripublication.com

Study of Reliability Parameters of a System Having Two Main Units and a Redundant Associate Unit

H.L.Manker[1], V.K. Pathak[2] and G.K.Goswami[3]

[1]Assistant Professor, Govt.G.S.G. P.G. College, Balod (C.G.), India.
E-mail: hl_manker@rediffmail.com
[2]Assistant Professor, BCS Govt. P.G. College, Dhamtari (C.G.), India.
E-mail: vkpath21162@yahoo.co.in
[3]Assistant Professor, Kalyan Mahavidyalaya, Bhilainagar, Durg (C.G.), India.
E-mail: gk_goswami@yahoo.com

Abstract

In order to increase the reliability of any system, the concept of redundancy and maintenance are often incorporated. The system performs better if the combination of these two techniques is resorted to. We know that fault occurrence in any system is inevitable because of stochastic characteristics of the system and operating environment. However, the magnitude of the faults can be controlled and their occurrence can be delayed by employing suitable mechanisms as envisaged through system evaluation studies. Arnold [1], Kumar and Kapoor [2] investigated a similar reliability model after incorporating the concept of coverage in the context of Computer Systems. Rander et al [4], studied the cost analysis of two dissimilar cold standby system with preventive maintenance and replacement of standby unit. In the present paper, we analyze a system having two separate main units along with associate units taken in standby mode because of its vulnerability to failures. In the end, the result is interpreted with the help of table and graphs which is prepared with the help of 'C' program.

Keywords: Regenerative Point, MTSF, Availability, Busy Period

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

Volume 8, No. 3, March – April 2017

ISSN No. 0976-5

International Journal of Advanced Research in Computer Science

RESEARCH PAPER

Available Online at www.ijarcs.info

Maintainability and Availability of a complex semi-up system

H.L. Manker
Assistant Professor,
Govt.G.S.G. P.G. College,
Balod(C.G.), India

V.K. Pathak
Assistant Professor,
BCS Govt. P.G. College,
Dhamtari(C.G.), India

: The increasing complexity of present day equipment has brought into focus the important aspects of reliability, known as iability and availability. When any system fails, the ease with which it is brought back into operation reflects, in some measure, the iability character of the equipment. Similarly, if the system is capable of being repaired easily or if it has high maintainability factor, availability will also be high. In this paper we will touch upon various factors leading to the calculation of MTSF, Availability, Busy of the repairman in repairing the failed units and expected profit of a system which is laid in semi-up state. A system is defined into a state wherein, some units of the equipment are in failed state yet the equipment is delivering its normal work but the system cannot be working condition for a longer period to avoid the complete failure. In other words, we can classify such systems into systems working ilures till the immediate repairing facility arrives. Such systems may be useful in remote areas where, arduous type of work is done on machines and repair facility arrives late. In recent years many papers on reliability have been written in order to predict, estimate or ze the probability of survival, the mean life or more generally the life distribution of components or systems. Earlier, Murari et al [7] have eliability analysis taking units in two different modes. Rander et-al [4] has evaluated the cost analysis of two dissimilar cold standby ns with preventive maintenance and replacement of standby units. In the past, Arora et-al [2] has done reliability analysis of two unit by redundant system with constrained repair time. Gupta et-al [6] has worked on a cold standby system with arrival time of server and lated failures and repairs. A pioneer work in this field was done by Gopalan [1] and Osaki [3] by performing analysis of warm standby m and parallel system with bivariate exponential life respectively. Earlier Pathak et al [8& 9] studied reliability parameters of a main unit its supporting units and also compared the results with two different distributions. In all the papers authors have worked with only two s of states i.e. up state and down state. However, there are times and conditions wherein the states are neither up or completely down mode. can refer such states in sleeping mode or more in reliability terms they can be stated in semi-up mode. In many papers, the working system is n assumed to be down when the main unit is not operating. In fact, it is not so. There is need to conceptualize systems in Industries that are plex in nature but they yield such results which are more suitable to industries in order to meet the ever increasing demands of society. In paper an attempt has been made by authors by incorporating the concept of semi-up mode and tried to obtain the reliability parameters of rking system using regenerative point technique.

ywords: Regenerative Point, MTSF, Availability, Busy Period

LITERATURE REVIEW

Murari, K and Muruthachalan, C[7] presents two different models of two unit system, where the system operates under different conditions of working and the two units are interlinked. In model I, the system works for a period of time with two units in series, then one unit is switched off leaving other to continue alone. In model II, the first period consists of one unit working and other in standby mode. These periods alternate repeated. The reliability of the system for each model is examined.

Rander, M.C., Kumar Ashok and Suresh K [4] evaluated cost analysis of two dissimilar cold standby systems with preventive maintenance and replacement of standby units under the assumption that the standby unit being of substandard quality and is not repairable. It is to be replaced on failure. In this paper, the failure time distributions are negative exponential while all the other distributions are general.

Arora , J. R. [2] This work considers a two-unit warm standby redundant system with repair. The The repair of a failed unit is constrained as follows : Associated with each failure of a unit, a random variable known as maximum repair time (MRT). If the repair of the failed unit is not completed within the MRT, the unit is rejected. Two types of failure situations for the system are considered. (1) no allowed down time and (2) some allowed down time. The expression for cumulative distribution function of time to system failure (TSF) is derived using markov renewal processes.

Gupta R, Tyagi, P. K. and Goel L. R. [6] Presents an analysis of two unit cold standby system with random arrival time of a server. The failure and repair time of each unit is assumed to be correlated and their joint density function is taken to be bivariate exponential. Using regenerative point technique various reliability characteristics of the system ave been obtained.

Gopalan, M.N. [1] discusses the probabilistic analysis with n-unit system keeping (n-1) units in warm standby configuration w ith a single repair facility. The failure time of the operating unit and of a standby unit are assumed to be exponentially distributed. Intially, a unit is switched on and other units are kept as warm standby. The system break down when the last operating unit fails. In this paper, the laplace-transform technique is used to solve ihtegral equations.

Osaki [3] discusses a two unit parallel redundant system with a single repair facility in which the life time of two units obey a bivariate exponential distribution and the repair

© 2015-19, IJARCS All Rights Reserved

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
DHAMTARI (C.G.)

ISSN-097

विधि और सामाजिक परिवर्तन से महिलाओं के कानूनी अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण

डॉ. सपना ताम्रकार
सहायक प्राध्यापक, विधि
बी.सी.एस. शास. स्नात. महाविद्यालय धमतरी (छ.ग)

सामाजिक परिवर्तन समाज में सदैव विद्यमान रहता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में कुछ-न-कुछ मात्रा में असंतुलन सदैव बना रहता है। समाज में अधिकांश व्यक्तिों में यह असंतुलन सदैव बना रहता है। समाज में अधिकांश व्यक्ति या तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए नयी व्यवस्था के पक्ष में हो जाते हैं अथवा वे परिवर्तन लाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों का विरोध करते हैं। यह दोनों ही दशाएँ सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देती हैं। परिवर्तन एक सर्वव्यापी नियम है। इसी प्रकार विधि सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। मनुष्य के आचरण को विनियमित और नियंत्रित करने वाली अनेक विधियाँ हैं, जैसे धार्मिक विधि, नैतिक विधि, आचार संबंधी विधि आदि। परन्तु इन सभी विधियों के पीछे विधिक अनुशासित न होने के कारण, मानव आचरण को प्रभावकारी ढंग से विनियमित नहीं किया जा सकता। अतः सामाजिक परिवर्तन का भार विधिक के कंधों पर आ गया है। एक ऐसे समाज में जो सामान्यतया स्थिर है, कम प्रगतिवादी है, वहाँ तो विधि का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम के रूप में हो और प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से यह पेपर प्रस्तुत किया है। प्रायः नीतियों में परिवर्तन, विधि एवं विधिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावकारी बनाये जाते हैं, जो कभी-कभी सामाजिक परिवर्तन की अगुआई तो कभी-कभी सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करते हैं। विधि के माध्यम से जब परिवर्तन की बात की जाती है तो मुख्यतः बाध्यकारी और उत्पीड़न के माध्यम से लागू करने योग्य नियमों की बात सोची जाती है, जो विधायन, न्यायिक, प्रशासनिक और कार्यपालिका माध्यमों से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात है। ये विधि के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा विधि समाज के कई महत्वपूर्ण संबंधों पर आधारित होगी- विधि और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में संबंध, रूढ़िगत और विधिक-प्रशासनिक अन्तःकरण और विधि को लागू करने के बीच संबंध हैं। इसी को सुनिश्चित करने के लिए विधि और सामाजिक परिवर्तन से महिलाओं के कानूनी अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण विषयक विधि पर पेपर लिखने का प्रयास किया है।

शोध अध्ययन की आवश्यकता व महत्व :

हमारे अपने हिन्दू समाज में सदियों से सती प्रथा की कुरीति चली आ रही थी। पति के मरने के बाद पत्नी अपने पति की चिता पर सती हो जाती थी। समाज सुधारकों ने हमारी इस सामाजिक कुरीति के विरूद्ध आन्दोलन चलाया। आन्दोलन चलाने वालों में अग्रणी राजा राममोहन राय थे। विधि के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और सती होने या आत्मदाह को एक दाण्डिक अपराध घोषित कर दिया गया। साथ-साथ सती होने के लिए प्रेरित करने को भी अपराध की श्रेणी में रख दिया गया। इस तरह हिन्दू समाज में स्त्री को सती प्रथा से मुक्ति दिलाने में विधि सहायक हुई। बाल विवाह हमारे समाज की एक कुरीति रही है। इसे समाप्त तो नहीं की जा सकी है परन्तु विधि ने इस दिशा में सार्थक प्रयोग किया है। बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में बाल विवाह अवरोध अधिनियम पारित किया गया। अब 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का शादी करना निषेध है। स्त्रियों एवं बालकों का अनैतिक व्यापार भी धनी एवं सामन्ती लोगों का फैशन रहा है। कोठों एवं कोठियों पर अबोध बालिकाओं एवं देवदासियों का नृत्य और देह-क्रीड़ा एक आम बात रही है। कभी इसे निर्धनता की आड़ में औचित्यपूर्ण माना गया तो कभी धर्म की आड़ में। आधार एवं कारण कुछ भी रहा हो, इसे न तो विधिक कहा जा सकता है और न ही नीतिपूर्ण। आज भी निर्धनता और विवशता नारी को देह व्यापार की ओर प्रवृत्त किये हुए है। कोठे और वेश्यालय, सराय, विश्रामालय, रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड आदि नारी देह-व्यापार के अड्डे बने हुए हैं। पांच सितारा होटलों में देह व्यापार एक आम बात मानी जाने लगी है। इसी बुराई को रोकने के लिए संसद द्वारा सन् 1956 में स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI (C.G.)
No

(4)

CRIME AGAINST WOMEN: A LEGAL STUDY

PANKAJ JAIN*

Crime is a universal phenomena, Crime is present in human society since the inception of human civilization. In layman's language a crime is an unlawful act punishable by State, or in other words; a crime or offence is an act harmful not only to some individual but also to a community, society or the State. (a public wrong). Such acts are forbidden and punishable by law.*

There were crime being committed against women since a very long time but they were hardly considered as crime in olden days such as sati, honor killings, domestic violence, female foeticide, witchcraft related murders, human trafficking and forced prostitution, child marriages, Abduction rape etc with the emergence of modern legal system all these offences are now termed as crime against women & society as well.

With the passage of time & increase in population the increase in crime against women raises concern amongst social scientist, jurist, law makers, social & political think tanks.Increase in these pattern is both result of gender apartheid and increase in population, it can also be added that in early days many crimes against women either not reported or were either crushed or were compromised due to social pressure or defamation.

With the emergence of Anglo saxon law, our legal system has coined each and every atrocity against women as crime. These have been defined as crime against individual & State both simultaneously.

Reason for conducting / Writing this paper has an agenda of highlighting issues relating to crime against women. The topics/subject matter are physical/mental abuse, exploitation of women (mental/physical). Gender apartheid, Dowry related offences, social stigma have come up with nature, problem, reason & solution of these offences in this paper.

Considering women not, on equal footing with men, different types of atrocities and exploitation, status of women in our society, customs prevalent in society in relation to women are some of the reasons of selecting this topic.

Merriam Webster

"An illegal act four which someone can be punished by the government"

especially : a gross violation of law.

Kenny

Crime are wrong whose sanction is punitive, and is in no way remissible by any private person, but is no remissible by the crown alone if remissible at all."

This paper here submitted is a work done in order to evaluate the position of women & offence against them. This has been prepared with secondary data published by some of the writer and some help from the material available on mline.

Crime against Women

Crime against women has become a prominent topic of discussion in India in recent years. All the eminent & concerning section of society have placed great focus on the issue due to continuously increasing trends during recent years.

Crime against women can broadly be categorised in to 3 (three) main sections.

(I) Criminal Violence

(1) RAPE – This crime has a very lengthy complicated complex definition as per the Indian penal code U/S 375. This is an act of sexual abuse of any women by a man against her will.

This act of rape is punishable for upto imprisonment for life starting from not less than seven years.

* Assistant Professor, Department of Law, B.C.S Government P.G. College, Dhamtari, Chhattisgarh

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI (C.G.)
No.

सशक्त समाज में पुलिस की भूमिका-एक अध्ययन

पंकज जैन*

प्रस्तावना:

साधारणतया देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराधों पर नियंत्रण करने का कार्य पुलिस का होता है। देश में सामाजिक नियंत्रण रखना समाज की प्रमुख विशेषता है। अतएव कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाये रखने, जन जीवन को सुरक्षित रखने, प्रशासन को मजबूत बनाने एवं उसकी सहायता करने हेतु पुलिस संगठन की स्थापना की गई। आज देश में पुलिस वह सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, जिसका कार्य कानूनों का उल्लंघन अथवा समाज – विरोधी कार्य करने वाले लोगों को पकड़कर उन्हें न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होता है यधपि पुलिस दोशी को स्वंय कोई सजा नहीं दे सकती है किन्तु पुलिस एक ऐसा अभिकरण है जिसके संपर्क में अपराधी सबसे पहले आता है। इस आधार पर वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में पुलिस संगठन का स्थान सबसे प्राथमिक एवं उत्तरदायित्वपुर्ण है। पुलिस के द्वारा ही राज्य के कानूनों को लागू करने का कार्य सबसे पहले किया जाता है। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य का मुख्य उददेश्य धर्म,जाति, क्षेत्र, लिंग, तथा आयु का भेदभाव किये बिना समाज के सभी वर्गो के साथ समानता का व्यवहार करना, उन्हें उनके अधिकार देना तथा सामाजिक न्याय के साथ उनके जीवन को सुरक्षित बनाना है और इस कार्य हेतु पुलिस की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है किन्तु वर्तमान परिपेक्ष्य में जनता में असुरक्षता की भावना, जनता का पुलिस के प्रति सम्मान की भावना में बढ़ती गिरावट, पुलिस की कठोरता, पुलिस की कार्यशैली, त्वरित कार्यवाही न होना, राजनीतिक दबाव आदि कुछ ऐसे कारण है जिनके कारण जनता का पुलिस के प्रति सहयोग करने की प्रवृत्ति कम दिखाई पड़ती है अतएव आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस के स्वरूप में सुधार लाया जाए जो हमारे देश की आवश्यकता के अनुरूप हो एवं इसे सामाजिक सुरक्षा के एक साधन के रूप में देखा जा सके।

वर्तमान समय में पुलिस की आवश्यकता न्यायपालिका विधायिका, कार्यपालिका के साथ–साथ आम जनो को भी है। वर्तमान परिपेक्ष्य में पुलिस के अत्यधिक व्यस्तता अपराधियों एवं अपराधो को बढ़ावा दे रही है जिसके परिणाम स्वरूप समाज में चोर उचक्को बेईमानो, दुराचारियों पर रोक नहीं लग पा रही है यह चिन्तमीय प्रश्न है।

उक्त विषय पर अध्ययन के पूर्व अमानवीय व्यवहार, प्रताड़ना, पुलिस का ढाँचा, जनता का पुलिस के प्रति सहयोग भावना में कमी, पुलिस द्वारा कार्यवाही करने में विलंव, जनता का पुलिस के प्रति अविश्वास की भावना, बढ़ते हुए अपराध आदि कुछ ऐसी परिकल्पानाए मेरे मन में थी जिनके कारण मैंने उक्त विषय पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है।

उक्त विषय पर अध्ययन करने का मेरा निम्नलिखित उददेश्य रहा है :–

1. पुलिस के प्रति जनता में विश्वास उत्पन्न करने।
2. पुलिस एवं जनता के बीच बढ़ रही दूरी को कम करने।
3. प्रशासन को मजबूत बनाने, समाज में अमन एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की भूमिका को स्पष्ट करने।
4. कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने।
5. जनता में असुरक्षता की भावना को दूर कर पुलिस तंत्र के प्रति विश्वास एवं सहयोग की भावना पैदा करने।
6. पुलिस कि कार्य प्रणाली से जनता को अवगत कराने।
7. उच्चतम न्यायलय द्वारा पुलिस अधिकारी के ऊपर अधिरोपित कर्तव्य एवं दिशा निर्देशों को स्पट करने।
8. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी, जमानत, पूछताछ, तलाशी एवं एफ.आई.आर की जानकारी एवं प्रणाली से आम जनता को परिचित कराने के उददेश्य से।
9. कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक सुरक्षा के साधन के रूप में पुलिस की भूमिका स्पट करनें के उददेश्य से।

उक्त विषय पर अध्ययन प्रस्तुत करने के पूर्व मैंने उक्त विषय पर किये गये पूर्व कुछ शोधों का

* सहायक प्राध्यापक विधि बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी (छ०ग०)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B. C. S. GOVT. P.G. COLLEGE DHAMTARI (C.G.)

ESEARCH REVIEW JURNALS Volume-03 Issue-09 September-2018
ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

(65)

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के ऋण अग्रिम एवं अमानतों का स्पियरमेन कोटि सहसंबंध के साथ तुलनात्मक विश्लेषण

*1शर्मा मनोज कुमार, 2चौबे डॉ.चंन्द्रशेखर एवं 3खनूजा डॉ.एस.एस

*1शोधार्थी (सहा. प्राध्यापक वाणिज्य),शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी (छत्तीसगढ)
2निर्देशक (प्राचार्य) बी.सी.एस.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी(छत्तीसगढ)
3सहनिर्देशक (प्राचार्य) दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ)

RTICLE DETAILS

rticle History
ıblished Online: 07 September 2018

केताक्षर Keywords
ला सहकारी केन्द्रीय बैंक , ऋण व अग्रिम, ानत, ऋण जमा अनुपात

orresponding Author
ıail:sharmanagri[at]gmail.com

सारांश_ABSTRACT

सहकारिता का देश की आर्थिक प्रगति में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सहकारी बैंकिंग प्रणाली के त्रिस्तरीय ढॉचागत स्तर में जिला सहकारी बैंको की भूमिका राज्य सहकारी बैंक एवं जमीनी स्तर पर काम कर रही प्राथमिक सहकारी साख समितियों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रही मध्यस्थ के रूप में रही है जिसमें ग्रामीण कृषि एवं विकास के लिए सहकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रही दोनों शीर्ष एवं ग्रामीण स्तर की संस्थाओं एवं इससे जुड़े कृषकों के विकास के क्रम को नई ऊचाइयॉं प्रदान की है।सहकारी बैकिंग संरचना में जिला सहकारी कॅन्द्रीय बैंक अपनी संगठनात्मक संरचना ग्राहक तथा ऋण संबंधी सेवा प्रदान करने में तथा शासकीय योजनाओं के कियान्वयन में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में अपना विशिष्ट स्थान रखतें हैं। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य स्पियरमेन कोटि सहसंबंध सांख्यिकीय तकनीकी के माध्यम से सहकारी ऋण एवं साख संरचना के ढॉचे में नवगठित छत्तीसगढ राज्य की प्रमुख सहकारी बैंकों के रूप में अपना योगदान प्रदान कर रही जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बिलासपुर के अमानतों एवं ऋण व अग्रिम का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए उनकी प्रवृत्ति की जॉच करना है।

भारत में सहकारी ऋण एवं साख संरचना के ढॉचे में सहकारी बैंको का ादान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय रहा है। सहकारी बैंकिंग प्रणाली के तरीय ढॉचागत स्तर में जिला सहकारी बैंको की भूमिका राज्य सहकारी बैंक जमीनी स्तर पर काम कर रही प्राथमिक सहकारी साख समितियों के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रही मध्यस्थ के रूप में रही है जिसमें ोण कृषि एवं विकास के लिए सहकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रही दोनों शीर्ष ग्रामीण स्तर की संस्थाओं एवं इससे जुड़े कृषकों के विकास के क्रम को नई ाइयॉं प्रदान की है। ग्रामीण जीवन से जुड़ी प्राथमिक सहकारी समितियों के क सदस्यों के साख एवं ऋण की मांग का आंकलन करके जिला सहकारी राज्य एवं केन्द्र स्तर के प्राप्त वित्त की पूर्ति इन प्राथमिक सहकारी समितियों प्रदान करते है ताकि इन समितियों एवं बैंक से जुड़े किसानों को कृषि संबंधी त एवं धन की मांग आवश्यकताओं को पूरा किया जाकर उनके जीवनस्तर ऊँचा उठाया जा सके।

यह सत्य है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सहकारी बैंकिंग ढांचे में स्तर की श्रृंखला है किन्तु इन बैंको की अपनी स्वायत्तता भी प्राप्त हैं एवं ये ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने की गतिविधियों के साथ–साथ अन्य कृषित्तेर बैंकिंग कार्यो में भी संलग्न रहती है। एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सेंस की सहायता से नाबार्ड के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के अधीन बैकिंग नियम 1949 के प्रावधानों के अनुरूप अपनी बैकिंग संबंधी विभिन्न गतिविधियों अंजाम देती है।

प्रस्तावना :– सहकारिता का देश की आर्थिक प्रगति में अत्यंत ही महत्वपूर्ण न है। कम साधनों के पारस्परिक सहयोग से अधिकतम उपयोग करना कारिता के द्वारा ही संभव हो सकता है। भारत में सहकारिता आंदोलन का रंवत् विकास वर्ष 1904 के सहकारिता अधिनियम के द्वारा हुआ माना जाता है। सहकारी बैंको का इतिहास 100 वर्षो से भी अधिक पुराना है।

भारत में सहकारी बैंकिंग संगठन का स्वरूप त्रिस्तरीय है। प्राथमिक एवं ार स्तर पर प्राथमिक साख सहकारी समितियाँ है जो एक अथवा कुछ गांवों सीधे कृषकों अथवा शहरी क्षेत्र में एक क्षेत्र व्यवसाय एवं समुदाय विशेष के गों का संगठन है इस संगठनात्मक स्वरूप में शीर्ष स्तर पर ऊपर की कड़ी के में राज्य का सहकारी बैंक होता है जिसे राज्य सहकारी बैंक के नाम से ना जाता है जो एक राज्य में एक ही होती हे हॉ उसकी शाखाऐं राज्य में र्य कर सकती है तथा यह सहकारी बैंक उस राज्य के सभी जिला सहकारी द्रीय से सीधा प्रत्यक्ष संबंध रखती है एवं इन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको की सहायता से आधार स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख समितियों की समस्या को हल करती है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक व्दितीय स्तर अर्थात मध्य की इकाई है। जो एक ओर तो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली समस्त प्राथमिक सहकारी साख समितियों से तो वही दूसरी ओर राज्य के शीर्षस्थ सहकारी बैंक (अपेक्स) से संबंध एवं समन्वय बनाए रखती है।

वास्तव में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एक जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाली समस्त प्राथमिक साख सहकारी समितियों एवं उसके सदस्यों का संगठन है तथा अपने अंशधारी सदस्यों एवं समितियों पर नियंत्रण रखना तथा उनकी वित्तीय तथा अन्य साख (ऋण) एवं अमानतों को सुरक्षित रखने संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका कार्य है।

सहकारी बैंकिंग संगठनात्मक व्यवस्था के सबसे अंतिम एवं आधार स्तर पर ग्रामीण कृषि प्राथमिक साख सहकारी समितियॉं आती है जो एक अथवा कुछ गांवों को मिलाकर ग्रामीण कृषि एवं कृषित्तेर कार्यो से जुड़े कृषकों एवं श्रमिको का संगठन है इस प्रकार राज्यों में सहकारी बैंकिंग संगठन का ढांचा संघात्मक प्रकृति का है।

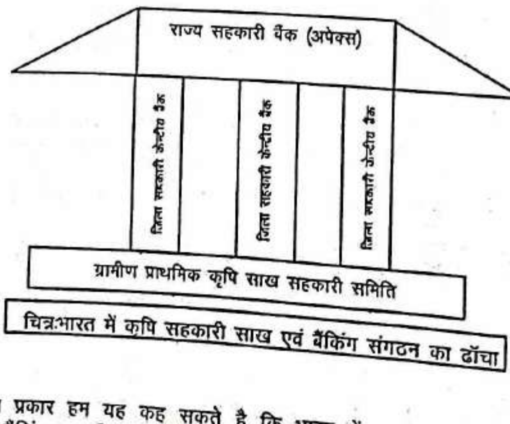

चित्र:भारत में कृषि सहकारी साख एवं बैंकिंग संगठन का ढॉचा

इस प्रकार हम यह कह सकते है कि भारत में सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी बैंकिंग प्रणाली रूपी भवन की नीव एवं आधार जहां ग्रामीण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है वहॉं दीवारे व स्तंभ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकें है एवं भवन की छत उस राज्य की शीर्षस्थ राज्य सहकारी बैंक है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

Civil and Criminal Liability for Defamation

Durgesh Prasad *

Introduction : The Law of Defamation is based upon the fundamental principal that the reputation of member of society, the esteem in which he is held by it, the credit and trust it reposes in his valuable asset, and that the love of reputation being a great moving principal of human action must be encourage and protected.

A man's reputation is his property, more valuable than other property. It is a *right in rem* means a right against all the world.

Defamation is the publication concerning a person of statement in words, writing by pictures or significant gestures, which expose such person to felling of hatred, ridicule or contempt where he suffers injury to his reputation.

As a principal of equity, every man is entitled to have his reputation preserved intact. Every man has a right to have his good name maintained unpaired.

According to Dr. Winfield, Defamation is the publication of a statement which tends to lower person in the estimation of right thinking members of the society generally, which tends to make them shun or avoid that person.

The right of person during his lifetime to unimpaired possession of his reputation and good name is recognized by law. An action is not maintainable for a deceased person. Every and has an inherent right to have his reputation preserved inviolate. A man reputation is his property and possible more valuable than any other from of property and possibly more valuable than any other from of property. It was not mere poctic fancy that suggested that a good name was to be chosen in performance to riches. Reputation depends on opinion, and opinion depends on the communication of thought and information one man to another.

Although actions for defamation for defamation and malicious prosecution are readily distinguishable, they both involve injury to the reputation, is a bar to subsequent suit for defamation based on the same facts.

This cause of action for defamation has been recognized from very beginning of our civilization and people have been

* Assistant Professor in Law, Govt. P.G. College, Dhamtari (C.G.)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B. C. S. GOVT. P. G. COLLEGE DHAMTARI (C.G.)

महिलाओं के संरक्षण में मानवाधिकार की भूमिका

डॉ. सपना ताम्रकर*

मानव जाति के इतिहास में 10 दिसम्बर, 1948 एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पारित की थी। इस ऐतिहासिक घटना को हुए 71 वर्षों से अधिक बीत चुके हैं तथा इस दौरान मानव अधिकारों का आन्दोलन पूर्ण विश्व में फैल चुका है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानव अधिकार संबंधी उपबन्ध एक सुनहरी माला के समान पूर्ण चार्टर में फैले हुए हैं। यद्यपि प्रारंभ में मानव अधिकारों के विकास को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी अत्याचारों एवं बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों के उल्लंघन की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया, मानव अधिकारों का विकास इतनी तीव्र गति से हुआ कि इसे लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्थायी भाग बनने में अधिक समय नहीं लगा। आणविक शस्त्रों, हिंसा, आतंकवाद, यंत्रणा आदि से त्रस्त विश्व के लिए मानव अधिकार के लिए सम्मान एवं उसका अनुपालन एक गहरी एवं लम्बी सुरंग से आती हुई प्रकाश की किरण के समान एक ऐसी प्रबल आशा है जो वर्तमान विश्व सभ्यता को विनाश से बचा सकती है। यदि विश्व को युद्धों एवं विनाश से बचाना है तो हमें मानव अधिकारों के प्रति सम्मान एवं उसके अनुपालन की प्रोन्नति करनी होगी।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने भेदभाव को न करने के सिद्धान्त की अभिपुष्टि की थी और यह घोषणा की थी सभी मानव स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा एवं अधिकारों में समान हैं तथा सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, जिसमें लिंग पर आधारित भेदभाव भी शामिल है, सभी अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के हकदार हैं। फिर भी महिलाओं के विरूद्ध अत्यधिक भेदभाव होता रहा है। इसी उद्देश्य से यह पेपर प्रस्तुत किया गया है।

सर्वप्रथम, सन् 1946 में महिलाओं के मुद्दों का निपटारा करने के लिए महिलाओं की प्रास्थिति पर आयोग की स्थापना की गयी थी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने भेदभाव की अग्राह्यता के सिद्धान्त को अभिपुष्ट कर दिया था और यह उद्घोषणा की थी कि सभी मानव गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं और हर व्यक्ति उसमें उपवर्णित सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का, लिंग पर आधारित भेदभाव सहित किसी भी प्रकार के बिना किसी भेदभाव के हकदार है। फिर भी महिलाओं के विरूद्ध व्यापक भेदभाव विद्यमान है, मुख्यतः इसलिए है, क्योंकि महिलाओं एवं लड़कियों को समाज द्वारा अधिरोपित अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, न कि विधि द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों का, इससे अधिकारों की समानता तथा मानव अधिकारों के सम्मान के सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ है।

महासभा ने 7 नवम्बर 1967 को महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति की घोषणा अंगीकार किया और घोषणा में प्रस्तावित सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के लिए महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय 18 दिसम्बर, 1979 को महासभा द्वारा अंगीकार किया गया। अभिसमय 1981 को प्रवृत्त हुआ और 12 जून, 2002 तक इसके 169 राज्य पक्षकार बन चुके हैं।

नारी समाज का एक अभिन्न अंग है। अतीत से ही नारी का समाज में सर्वोपरि स्थान रहा है। उसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता" हमारा आदर्श रहा है। यह स्थिति वर्षों तक चलती रही। लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया जब मनुष्य ने स्वार्थवश नारी को मात्र भोग–विलास की वस्तु मान लिया। नारी पर नाना प्रकार के अत्याचार किये जाने लगे। वह शोषण और यातना की शिकार होने लगी। लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकी। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में नारी के अतीत का गौरव पुन लौटने लगा। नारी स्वातन्त्र्य की लहर चली। समाज और कानून में नारी को पर्याप्त सम्मान एव संरक्षण मिलने लगा। जीवन के हर क्षेत्र में नारी पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगी। यहां तक कि सत्ता में भी उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई। संविधान के अनुच्छेद 243 घ में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 स्थान आरक्षित कर दिये गये। अब तो विधानसभाओं एवं संसद में भी महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किये जाने की मांग की जाने लगी है।

"नारी मात्र एक व्यक्ति ही नहीं, अपितु एक शक्ति भी है। उसका नारीत्व मॉं की ममता के रूप में छलकता है। ऐसी नारी का सम्मान एवं गौरव संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है।" चन्द्रा राजकुमारी बनाम पुलिस उपायुक्त, हैदराबाद ए.आई. आर. 1998 आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के इस अभियत से नारी का महत्व स्पष्ट हो जाता है। नारी अतीत का गौरव रही है। पारिवारिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक समारोहों व अनुष्ठानों में नारी की उपस्थिति अपरिहार्य मानी जाती रही है। लेकिन वही नारी कालान्तर में उपेक्षा का पात्र बन गई। उसे केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा। अपहरण, व्यपहरण, लज्जा भंग, बलात्कार, यौन--उत्पीड़न, दहेज--मृत्यु, निर्दयता आदि की घटनायें सामान्य बात

*सहा. प्राध्यापक विधि बी.सी.एस. शास. पी.जी. कॉलेज धमतरी

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

G.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE
DHAMTARI (C.G.)

व्यापार चिन्ह् विधि 1999 : एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. सपना ताम्रकर *

कला, साहित्य और संस्कृति जीवन की तीन महत्वपूर्ण विधायें हैं। इन तीनों विधाओं का सीधा संबंध व्यक्ति के बौद्धिक कौशल से है। इनका सृजन व्यक्ति की बौद्धिक चेतना पर निर्भर करता है। इसे हम प्रकृति अथवा ईश्वर प्रदत्त उपहार भी कह सकते हैं। इन विधाओं से व्यक्ति ख्याति अर्जित करता है और यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति इन विधाओं को अक्षुण्ण बनाये रखना चाहता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि अन्य व्यक्ति उसकी बौंद्धिक विधा की नकल करे। यह व्यक्ति का एक विशेषाधिकार है।

बुद्धि की सम्पत्ति, विधि की दृष्टि में, बुद्धि को धारण करने वाले अर्थात् मनुष्य की सम्पत्ति है। अतः जब हम बौद्धिक सम्पदा की बात करते हैं तो हमारा आशय मानव मेघा के किसी विशेष किया–कलाप से होता है। बौद्धिक सम्पदा विचारों की सम्पदा है, वस्तुओं की नहीं। मानव मन की बौद्धिक उपज होने के कारण ही इसे बौद्धिक सम्पदा कहा जाता है। प्रोफेसर नमिता अग्रवाल इण्टेलेवचुअल प्रापर्टी : कन्सेप्ट एण्ड स्कोप स्पाट लाइन आन इण्टेलेवचुअल प्रापर्टी राइट्स में कहा है कि हमारे दैनिक जीवन में बौद्धिक सम्पदा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। उदाहरणार्थ हम जिस कम्प्यूटर पर काम कर रहे हैं वह जिस तकनीक से बनाया गया है वह पेटेन्टेट, उसका जो ब्राण्ड नाम है वह उसका व्यापार चिन्ह है, उसका प्रारूप औद्योगिक डिजाइन के रूप में संरक्षित हैं और उसका साफ्टवेयर जो हम उपयोग कर रहे हैं उसका प्रतिलिव्याधिकार हमारे पास है।

प्रसिद्ध विधिशास्त्री सामण्ड के अनुसार, मनुष्य के मस्तिष्क के अमूर्त उत्पाद उतने ही मूल्यवान हो सकते जितना कि उसकी जमीन या सामान : इसलिए विधि मनुष्य को इस पर स्वत्वाधिकार देती है। इसी उद्देश्य से यह पेपर परस्तुत किया गया है।

मानवीय प्रयासों के प्रत्येक क्षेत्र में आदमी ने उत्कृष्टता प्राप्त करने की सदैव चेष्टा की है, ताकि वह दूसरों से आगे निकलकर सम्बन्धित क्षेत्र में अपनी एक छाप छोड़ सके। वह दुनिया को इस आशय की सूचना देना चाहता है कि उसने कोई ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है जो उस क्षेत्र में अब तक किसी ने नहीं की थी। वह पूरा–पूरा प्रयास करते हुए दुनिया को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि जिस तरीके से वह वस्तुओं के साथ संव्यवहार करता है, वह दूसरों द्वारा अनुपयुक्त तरीकों से काफी बेहतर है,

---

* सहायक प्राध्यापक विधि, बी.सी.एस. शास. पी.जी. कॉलेज धमतरी

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE
DHAMTARI (C.G.)

मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में स्वीप की भूमिकाः-धमतरी जिले के विशेष संदर्भ में

पंकज जैन*

प्रस्तावना :– भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर करती है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र चुनावों की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन की इस महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने चुनावों की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया है। पूर्व के तमाम अनुभवों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक मतदाता जागरूक नही होंगे तब तक मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा एवं तब तक स्थिर सरकार का निर्माण भी नहीं हो पाएगा अतः लोकसभा निर्वाचन 2014 में चुनाव में आयोग ने मतदान के प्रति जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से एक योजना का निर्माण किया जिसे स्वीप प्लान अर्थात् मतदान के प्रति जागरूकता लाने हेतु चलाया गया कार्यक्रम कहा गया। यह योजना लोकसभा चुनाव 2014 से पहले लाई गई।

स्वीप योजना हेतु प्रत्येक राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक जिले के जिलाधीश को स्वीप योजना का मुखिया बनाया गया जिसके तहत प्रत्येक जिले का जिलाधीश द्वारा अपने–अपने जिले में तिथिवार सभी व्यस्क मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने एवं ग्रामीण शहरी एवं सभी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप के कैलेण्डर का निर्माण किया गया। इसी परिपेक्ष्य में छ. ग. राज्य के प्रत्येक जिले मे भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार स्वीप कार्ययोजना तैयार की गई। जिसमें धमतरी जिले मे भी जिला निर्वाचन अधिकारी (जिलाधीश) के निर्देशानुसार जिला स्तर, विकासखण्ड स्तर, पंचायत स्तर, आंगनबाड़ी एवं अन्य विभागों पर स्वीप कार्यकम तैयार कर जिले के प्रत्येक स्थानों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। उक्त कार्यकम के तहत जिले के स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य विभागों में भी तिथिवार समय–समय पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत स्कूलों एवं कॉलेजो में कैम्पस अंबेसडकर नियुक्त कर शैक्षणिक संस्थानों में भी मतदान के प्रति जागरूकता लाने का भरसक प्रसास किया गया। मतदान संबंधी निबंध, नारा, लेखन, रंगोली प्रतियोगिता, रन फॉर वोट, भाषण, परिचर्चा, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक,रैली, लोकगीत, स्वीप पर आधारित फिल्मों एवं अन्य माध्यमों से पूरे धमतरी जिले में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाकर पूर्व के चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का जो प्रयास किया गया वह निश्चित रूप से काफी हद तक सफल भी रहा। स्कूल एवं कॉलेजों के अलावा जिलास्तर पर, तहसील स्तर पर, जनपद पंचायत स्तर, बूथ लेवल स्तर, आंगनबाड़ी एवं विभिन्न स्थानों पर समय–समय पर शिविर लगाकर भी लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर एवं मतदान संबंधी महत्वपूर्व जानकारी देकर मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। निश्चित रूप से स्वीप योजना का यह प्रभाव रहा कि पूर्व के चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव 2014 में न केवल मतदाता जागरूक हुए वरन् मतदाताओं ने अधिकाधिक अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया जिससे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा। यद्यपि स्वीप कार्यकम के बावजूद भी शत–प्रतिशत मतदान किसी भी राज्य एवं जिले में संभव नहीं हो पाया किन्तु फिर भी यह सत्य है कि मतदाता जागरूकता बढ़ाने में निश्चित रूप से स्वीप कार्यकम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। भारत में आज भी मतदान के प्रति बहुत उदासीनता है बेहद विडंबना का विषय है कि संविधान द्वारा दी गई अमूल्य एवं अचूक शक्ति का अहसास आज बड़ी संख्या में देशवासी नहीं कर पाए है। यही कारण है कि वे मतदान के प्रति लापरवाही, अरूचि एवं उदासीनता दिखाते है।

2014 के लोकसभा चुनाव की तरह पुनः 2018 में विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत छ.ग. के समस्त जिले में मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार स्वीप कार्यकम पुनः चलाया जा रहा है जिसके तहत प्रत्येक जिले में स्वीप कार्ययोजना जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में तैयार की जा रही है एवं उक्त स्वीप कार्ययोजना के तहत ही जिलास्तर, विकासखण्ड स्तर, आंगनबाड़ी, पंचायत स्तर, स्कूलों में

* सहायक प्राध्यापक विधि, बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

(72)

बाल श्रम वर्तमान परिपेक्ष्य में एक गंभीर समस्या- एक अध्ययन

पकंज जैन*

प्रस्तावनाः बाल श्रम संबंधी समस्या का इतिहास लम्बा एवं पुराना है। प्राचीन समय से ही यह प्रथा लागू थी। बाल श्रमिक विभिन्न उद्योगों के साथ-साथ शहर, गांव एवं अन्ह जगहों में कार्य करते पाए जाते रहे है। आमतौर पर 5 से 14 वर्ष तक के बच्चे खेत, होटल, रेस्टोरेंट, रिसार्ट, निर्माण केन्द्र, चाय दुकानों, ढाबों, जानवरों को चराने, घरेलू नौकर के रूप में आदि विभिन्न कार्यो में दिखायी देते है। गैरेज में गाड़ी धोना, पोछना, साफ करना आदि कार्यो में बालक ही ज्यादातर दिखाई देते है। भारत में बाल श्रमिको की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार एशियाई देशों में 10-14 वर्ष की उम्र के ही करीब 18 प्रतिशत मजदूरी कार्य में लगे हुए है । विभिन्न प्रयासों के बावजूद यह समस्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है।

भारत में बाल श्रमिक की समस्या विश्व के अन्य देशों से ज्यादा गंभीर है। कुछ वर्ष पूर्व भारतीय कल्याण परिषद द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार देश की कुल श्रम शक्ति का छटवॉ हिस्सा बाले श्रमिकों का है। विश्व में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक भारत में ही है। भारत में 1 करोड़ 65 लाख से भी अधिक बाल मजदूर कम पैसे, खतरनाक स्थिति में, एवं और अधिक समय तक कार्य करते है। विश्व के दासता विरोधी संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मजदूरों में अधिक दयनीय स्थिति लड़कियों की है। बाल श्रमिक केवल उद्योगों में ही काम नहीं कर रहा है वरन् वह शहरों से लेकर गांवों तक सर्वत्र काम कर रहा है। जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। भारत में वर्तमान सामाजिक बुराईयों के कारण सेवायोजक जघन्य कार्य करते है जैसे बाल मजदूरों का शोषण। भारतीय बाल मजदूर अपने माता पिता के साथ ही मिट्टी खोदने, मिट्टी ढोने कूड़ा हटाने, लोहे की छड़ी की कटाइ, मोड़ने एवं जोड़ने का कार्य करते है। बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते है एवं ये ही कल के नागरिक होते है अतः इनके स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं इनकी सुकुमार अवस्था का संरक्षण करना जनहित का विषय बन जाता है। परन्तु हमारे देश में स्थिति यह है कि बच्चे कई तरह के शोषण के शिकार हो रहे है एवं उनसे बलात् श्रम कराया जाता है। हमारे देश में बालश्रम एक अत्यंत गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुकी है हालाकि यह समस्या केवल भारत में ही नहीं वरन् पूरी दुनिया में व्याप्त है। बालश्रम एक सामाजिक बुराई है जो एक समाज के एक कमजोर वर्ग की गरीबी एवं अशिक्षा से जुड़ी हुई है। 14 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जो नियोजित है उन्हें बाल श्रमिक के नाम से जाना जाता है। सरकार की बच्चों के प्रति निरंतर योजना, कल्याणकारी कार्यक्रमों, विधिनिर्माण, प्रशासनिक कार्य, संविधानिक संरक्षण के बाद भी बालश्रम की समस्या अभी भी समाप्त नही हो पाई है। ग्रामीण, अशिक्षित एवं ऐसे ही परिवारों में बच्चों की लगातार उपेक्षा, देखभाल में अरूचि, दुर्व्यवहार एवं अन्य कारणों से बालश्रम की प्रवृत्ति दिखाई देती है। निर्धन परिवारों के लाखों बच्चों को आर्थिक कारणों से विवश होकर भी श्रम कार्यो में संलग्न होना पड़ जाता है। बाल मजदूरी, बाल श्रमिकों का शोषण, दुर्व्यवहार, कई घंटे काम के बदले अल्प वेतन, शिक्षा ग्रहण करने की बजाय काम करने की प्रवृत्ति निरंतर दिखाई देती है। पारिवारिक विपन्नता, सामाजिक, आर्थिक विषमता, निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, कम मजदूरी में कार्य, आदि बालश्रम के प्रमुख कारण है। यद्यपि हमारे देश मे बालश्रम के सभी रूपों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है लेकिन फिर भी यह समस्या अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बाल श्रमिक हमारे देश में ही दिखाई देते है। बाल श्रमिकों के संरक्षण हेतु बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 बनाया गया जिसमें खतरनाक क्षेत्रों एवं उद्योगों में बालश्रमिक के नियोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है एवं इनका उल्लंघन करने पर नियोजक को दंडित करने का भी प्रावधान रखा गया है। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलातश्रम एवं मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध एवं अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बालक को संकटपूर्ण नियोजनों में लगाने का प्रतिषेध किया गया है। इसी तरह अक्टूबर 2006 से बच्चों को घरेलू नौकर के कार्य उवं ढाबों आदि में नियोजित करने पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। संविधान के अनुच्छेद 21 ए. के तहत भी माता पिता एवं संरक्षक के ऊपर यह दायित्व डाला गया है कि वे 06 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलावें।

इस प्रकार कानूनों एवं सांविधानिक संरक्षण के बाद के भी विश्व के विभिन्न देशों की तरह हमारे देश में भी बाल श्रमिक की समस्या एक चिंतनीय विषय है। यह समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। बाल मजदूरी लेना कानून द्वारा दंडनीय बनाये जाने के बाद भी आज भी विभिन्न स्थानों पर

* सहायक प्राध्यापक विधि, बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)।

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
GOVT. P. G. COLLEGE DHAMTARI (C.G.)

स्वसहायता समूह (S.H.G.) के वितिय समावेशन की संभावना एवं चुनौतियों का अध्ययन "पाटन विकासखंड के विशष संदर्भ में"

KEY WORDS: वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास, स्वसहायता समूह

डा. तारामेश्वरी साहू सहायक प्राव्यापक; अर्थशास्त्र बी. सी. एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी; छत्तीसगढ

ABSTRACT

सतत् धारनीय विकास (S.D.G.) उन्मुखीकृत अर्थव्यवस्था के विकास में निर्धनता, पूंजी की कमी, बेरोजगारी, सामाजिक पिछड़ापन, लैंगिक असमानता प्रमुख चुनौतियां प्रस्तुत करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण, बचत की प्रवृत्ति एवं बचत का निवेश के रूप में पुनर्प्रवीकरण आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 में स्वसहायता समूहों के सृजन पर बल दिया गया। स्वयं सहायता समूह समुदाय की महिलाओं द्वारा संगठित स्वैच्छिक सूक्ष्म वितिय संगठन है। जिनको वर्तमान परिदृश्य में अधिक गतिशील, सक्षम एवं आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जाना आवश्यक है. देश में संगठित वितिय प्रणाली के विकास के लिए स्वसहायता समूह का बैकों के साथ लिंकेज एवं डिजिटाइजेशन आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के पांच गांवों के स्वसहायता समूहों की मौलिक समंकों पर आधारित है, अध्ययन में पाया गया ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन के लिए आधारभूत सुविधाओं का अभाव, स्वसहायता समूह के सदस्यों की निम्न साक्षरता दर, ई–साक्षरता का अभाव, बैंको का सीमित विस्तार, वितिय समावेशन में प्रमुख बाधा है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए महिलाओं की सहभागिता, बैंको की सक्रियता एवं नाबार्ड की नियोजित प्रयास आवश्यक है।

प्रस्तावना– वैश्विकरण के इस युग में विकासशील देशों का मुख्य आर्थिक लक्ष्य वितिय समावेशन है। वितिय समावेशन को बढावा देने के लिए वर्ष 2005 से भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सम्मिलित प्रयास से देश में कई तरह के कार्यकम संचालित है, जिसमें में स्वसहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यकम भी शामिल है।

स्वसहायता समूह (SHG) का वितिय समावेशन के लिए वर्ष 1992–93 में पायलट परियोजना प्रारंभ की गयी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं बैंको की मदद से 500 स्वसहायता समूह को विभिन्न बैंको से जोड़ा गया। 1994–95 में 2212 स्वसहायता समूह को बैंको से लिंक किया गया। स्वसहायता समूह द्वारा बैंक में बचत खाता खोलना बैंक से एक परिचय मात्र है, लिंकेज का पूर्ण स्वरूप है, बैंक से कर्ज लेना एवं व्यवहारिक संबंध है।

वित्तिय समावेशन का अर्थ — कम आय वाले लोगों और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमतों पर भुगतान, बचत केडिट आदि सहित वित्तिय सेवाएं पहुंचाने का प्रयास है, इसे समावेशी वित्तपोषण भी कहा जाता है।

एक नोडल संस्था के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) स्वयं सहायता समूह के वित्तिय समावेशन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

स्वसहायता समूह के बैंक लिंकेज ई शक्ति परियोजना के प्रमुख उद्देश्य– ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरक ऋण नीतियों का विकास करना, समूह की बचत क्षमता एवं ऋण वितरण क्षमता का विस्तार करना तथ ग्रामीण जनता के मध्यम बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करना।

समूह कम से कम छमाह से निर्बाध रूप से सक्रिय रहें एवं अन्य किसी बैंक से डिफॉल्टर न हों।

नाबार्ड के अनुसार भारत में लगभग 22 लाख स्वसहायता समूह के 330 लाख सदस्यों ने नाबार्ड के लिंकेज प्रोग्राम के माध्यम से बैंको से ऋण लिये है। स्व सहायता समूह के बैंक लिंकेज कार्यकम की प्रगति उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक हैं – आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल अग्रणी राज्यों में है, वर्ष 2005–06 में इन राज्यों के 57 प्रतिशत स्व सहायता समूह बैंको से केडिट लिंकेज थे। जबकि भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उत्तराखण्ड में इसकी प्रतिकिया मिश्रित रूप में है।

वित्तिय समावेशन एवं डिजिटाइजेशन

वितिय समावेशन (Financial Inclusion) को व्यापक एवं प्रभावशाली बनानें के लिए डिजिटाइजेशन आवश्यकता हैं।

डिजिटाइजेशन का अर्थ (Meaning of Digitization)– "Conversion of Analog information in to Digital information" अर्थात् इलेक्ट्रानिक एवं डिजिटल उपकरणों की सहायता से दस्तावेजों एवं अभिलेखों का अंकल्पन करना, विशेषतः कम्प्यूटर, मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों एवं ईंटरनेट के माध्यम से सूचनाओ के आदान–प्रदान को शीघ्र, सर्व सुलभ, पारदर्शी एवं विश्वव्यापी बनाना।

अध्ययन का उद्देश्य–

1. स्वसहायता समूह की कियाशीलता का अध्ययन।
2. स्वसहायता समूह के सदस्यों की आर्थिक सामाजिक स्थितियों का अध्ययन।
3. स्वसहायता समूह (S.H.G.) का ई शक्तिकरण द्वारा वितिय समावेशन की संभावनाओं एवं चुनौतियों का अध्ययन।

अध्ययन की परिकल्पना –

2. ई शिक्षा का अभाव एवं आधारभूत संरचना का अभाव वितिय समावेशन में बाधक है।

अध्ययन की प्रविधि– प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है–

1. अध्ययन क्षेत्र दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम 05 ग्राम के 25 स्वसहायता समूह एवं सदस्यों पर आधारित है, सर्वेक्षण अवधि फरवरी मार्च 2018 है।
2. प्रत्येक समूह के 55 प्रतिशत सदस्यों को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक समूह के अध्यक्ष एवं सचिव को न्यादर्श में अनिवार्यतः सम्मिलित किया गया है। शेष सदस्यों का चयन लॉटरी विधि से की गयी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, निःशक्त जनों को सविचार अध्ययन में शामिल किया गया।
3. पांच गांवों के 25 स्वसहायता समूह में 320 सदस्य है, जिसका 55 प्रतिशत सदस्यों को न्यादर्श के रूप में अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

तालिका कमांक . 1 न्यादर्श ग्रामों में स्वसहायता समूह एवं सदस्य संख्या

कमांक	ग्राम	समूह की संख्या	सदस्य संख्या	न्यादर्श सूचनादाता
1	अतमरा	04	55	30
2	झींकरदा	09	120	68
3	कुम्हारी	03	38	21
4	उमरपोटी	05	53	29
5	मटगा	04	54	30
योग	05	25	320	178

स्रोत– प्राथमिक आंकड़े

21 (84%) स्वसहायता समूह का खाता सहकारी बैंको में है। 04(16%) का खाता ग्रामीण बैंको मे है। सममूह के सदस्यों के अनुसार समूह के सदस्यों को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। समूह की बैठक मासिक होती है। किसी भी समूह ने अपनी माइको प्लान तैयार नहीं किया है। 07 (28%) ने कहा कि समूह का मास्टर डाटा दर्ज किया जाता है। 09 (36%) समूहों में अध्यक्ष द्वारा मास्टर डाटा तैयार किया जाता है। 10 (40%) समूह द्वारा मानक बही खाता प्रणाली का पालन किया जाता है।

अध्ययन में पाया गया (68%) प्रतिशत समूह में सदस्य संख्या 10.14 है, 24 समूह में सदस्य संख्या 15.25 सदस्य है, 25 से अधिक सदस्य संख्या वाला कोई भी समूह नहीं है। 60% समूहों में मासिक बचत जमा राशि 50 रू. की राशि है। 32: समूह में 100 रू. की धनराशि प्रतिमाह जमा करते, मात्र 2 समूह के सदस्य 20 रू.की राशि जमा करते है। अधिकांशतः 10 समूहों का गठन वर्ष 2013 में किया गया है। 1996 में 01 समूह का गठन हुआ है, तब से समूहों का गठन हो रहा है।

स्वसहायता समूह के 178 सदस्यों में 58 (33%) सदस्य 30.40 आयु वर्ग के है, 41 (23.3%) सदस्य 40.50 आयु वर्ग के है, 43 (24.2%) सदस्य 50 से अधिक आयु वर्ग के है, 08 सदस्य 18 से कम आयु के है, 80: सदस्य विवाहित है, 9% विधवा एवं 9% अविवाहित है।

चित्र कमांक .1 स्वसहायता समूह ...

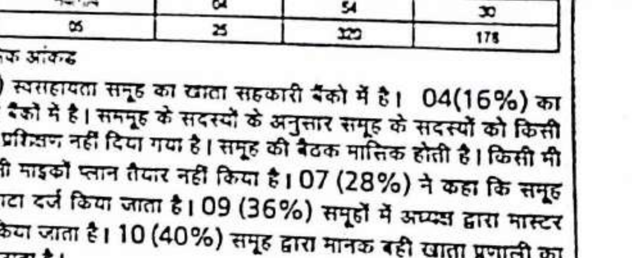

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)
B.C.S. GOVT. P.G. COLLEGE ... (C.G.)